लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खण्ड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—3, बुधवार, 19 नवम्बर, 1969/28 कार्तिक, 1891 (शक)

No.—3, Wednesday, November 19, 1969/Kartika 28, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
61. ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को रिहायशी फ्लैटों के लिये बैंक द्वारा ऋण	Bank Loan for Residential Flats for Officers and Staff of Indian High Commission in U. K.	1—3
62. रूस को रेलवे वैगनों की सप्लाई	Supply of Railway Wagons to USSR	3—12
64. भारत में काफी बोर्ड का कार्यकरण	Working of Coffee Board in India	12—14
65. सूडान की सरकार को रेल माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों और उपकरणों की सप्लाई	Supply of Railway Wagons, Coaches and Equipment to Sudanese Government	15—18
66. औद्योगिक एककों का विस्तार	Expansion of Industrial Units	18—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
63. विश्व के बाजारों में चाय की कीमत का गिरना	Fall in Prices of Tea in World Market	20

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
67.	रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Arms Supply to Pakistan by USSR	20—21
68.	रबात सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को शामिल न होने देना	Refusal to Admit Indian Delegation to Rabat Conference	21
69.	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के क्षेत्र में आने वाले देशों में क्षेत्रीय प्राथमिकता तथा भुगतान की व्यवस्था	Regional Perference and Payment Arrangements in ECAFE Region	21—22
70.	हनोई में भारतीय मिशन का दर्जा उन्नत करना	Upgrading of Indian Mission at Hanoi	22—23
71.	वैदेशिक व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Trade	23
72.	एशिया की सुरक्षा के लिये ब्रेझनेव योजना	Brezhnev Plan for Asian Security	23—24
73.	संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के विलय के बारे में अध्ययन दल	Study Team on Merger of Sick Textile Mills	24—25
74.	वियतनाम के मामले पर अमरीका और भारत में बातचीत	Indo-US talks on Vietnam issue	25
75.	रबात सम्मेलन में शामिल होने के प्रयत्नों से धर्म-निर्पेक्षता की नीति का उल्लंघन	Violation of Secular Policy by Attempts to Participate in Rabat Conference	25—26
76.	भूतपूर्व सैनिकों को ऋण	Loans to Ex-Servicemen	26
77.	रबात सम्मेलन सम्मिलित होने का भारत का निर्णय	India's decision to participate in Rabat Conference	26—27
78.	अल-फतह शिष्टमंडल की भारत यात्रा	Al Fatah Delegation's Visit to India	27

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
79.	भारतीय नागरिकता और राष्ट्रीयता नियमों पर पुनर्विचार	Review of Indian Citizenship and Nationality Rules	28
80.	आधुनिकतम राडार तथा सूक्ष्म तरंग उपकरणों के निर्माण के लिये भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के अधीन एक नये कारखाने की स्थापना	Establishment of a New Unit under Bharat Electronics Ltd. for Manufacturing Sophisticated Radar and Microwave Equipment	28
81.	चीन द्वारा हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया जाना	Hydrogen Bomb tested by China	28
82.	चण्डीगढ़ पर पंचाट	Award on Chandigarh	29
83.	चौथी योजना के लिये केरल सरकारी औद्योगिक योजना	Industrial Scheme of Kerala Government for Fourth Plan	29
84.	सभी समुदायों के लिये समान आचार संहिता	Uniform Code of Conduct for All Communities	29
85.	रबात में इस्लामी शिखर सम्मेलन में भारत का भाग लेना	India's Participation in Islamil Summit at Rabat	29—30
86.	नागालैंड में नरमुण्ड आखेट (हैड हंटिंग)	Head Hunting in Nagaland	30
87.	दिल्ली में अल फतह का कार्यालय	Al Fatah Office in Delhi	30—31
88.	पूर्वी जर्मनी को राजनयिक मान्यता	Diplomatic Recognition of GDR	31
89.	राज्य व्यापार निगम के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन	Review Committee's Report on State Trading Corporation	31
90.	रोजगार कार्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों के लिये पृथक विभाग खोलना	Opening of separate Cells for Ex-Servicemen in Employment Exchanges	32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject		पृष्ठ Pages
402.	छोटा नागपुर के लिये अलग विकास बोर्ड	Separate Development Board for chhota Nagpur	32
403.	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	32—33
404.	विदेशों के साथ व्यापार	Trade Agreements with Foreign Countries	33—34
405.	गुजरात से प्रादेशिक सेना कमीशन प्राप्त असैनिक राजपत्रिता सरकारी कर्मचारी	Civil Gazetted Government Employees from Gujarat holding T. A. Commission	34
406.	हांगकांग में औद्योगिक प्रदर्शनी	Industrial Exhibition in Hong Kong	34
407.	चैकोस्लोवाकिया में रूस द्वारा हस्तक्षेप	Soviet Interference in Czechoslovakia	35
408.	मेरीनो ऊन का आयात	Import of Merino Wool	35—36
409.	प्रधान मन्त्री की विभिन्न देशों की यात्रा	Prime Minister's visit to various countries	36—37
410.	इस्लामी शिखर सम्मेलन	Islamic Summit Conference	37
411.	कपड़ा मशीनों का निर्यात	Export of Textile Machinery	37—38
412.	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार	International Trade Fair Award	38
413.	मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh	38—39
414.	दिल्ली को ड्राई पोर्ट बनाना	Delhi as Dry Port	39—40
415.	इंजीनियरिंग उद्योग की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श	Discussion on Problems of Engineering Industry	40
416.	भारतीय समाजवाद के बारे में अमरीकी राजदूत का वक्तव्य	US Ambassador's Statement on Indian Socialism	40—41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
417.	भारत-नेपाल वार्ता	Indo-Nepal talks	41
418.	हांगकांग में भारतीयों का काली सूची में रखा जाना तथा उनका वहां से निकाला जाना	Black Listing and Squeezing of Indians in Hong Kong	41
419.	आयुध कारखानों के लिये स्वायत्तशासी बोर्ड	Autonomous Board for Ordnance Factories	42
420.	गैर सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा सामान का निर्माण	Manufacture of Defence Stores in Private Sector	42—43
421.	रबात सम्मेलन के पश्चात् विदेश नीति में परिवर्तन	Changes in Foreign Policy after Rabat Conference	43
422.	फ्रांस के सहयोग से बड़ौदा में भारी जल संयंत्र स्थापित करना	Setting up of a Heavy Water Plant at Baroda with French Collaboration	44
423.	चाय उद्योग सम्बन्धी बरुग्रा समिति का प्रतिवेदन	Barooah Committee's Report on Tea Industry	44
424.	रबात सम्मेलन से भारत का निकाला जाना	Expulsion of India from Rabat Conference	45—46
425.	मिलों द्वारा पटसन के सामान के उत्पादन में कटौती	Curtailment in Production of Jute Goods by Mills	46
426.	एशियाई सुरक्षा संधि के लिये रूसी प्रस्ताव	Soviet Proposal for Asian Security Pact	46—47
427.	भारत में यातायात विमानों का निर्माण	Production of Transport Aircraft in India	47
428.	कम्बोडिया से अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को वापस बुलाना	Withdrawal of International Control Commission from Cambodia	47—48
429.	वायुसेना के विमानों में प्रधान मन्त्री द्वारा किये गए दौरों पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on P. M. Tours in IAF Planes	48
430.	जिवाजी इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी ग्वालियर	Jivaji Industrial Research Laboratory at Gwalior	48

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
431.	सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के बारे में अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिश	Recommendations made by Committee on Untouchability Recruitment in Armed Forces	49
432.	दिल्ली तथा अन्य छावनी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियां	Jhuggis Jhoppris in Delhi and other Cantonment Areas	49
433.	एयरोनाटिक्स समिति का प्रतिवेदन	Aeronautics Committee's Report	49
434.	ईसाई धर्मप्रचारकों द्वारा विदेशों को भेजी गई युवतियां	Young Women sent abroad by Christian Missionaries	50
435.	कजाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक करार	Cultural Agreement with Kazakistan	50
436.	राज्यपालों द्वारा विदेशी शराब तथा तम्बाकू का प्रयोग	Use of Imported Wines and Tobacco by Governors	51
437.	कच्चे पटसन के मूल्यों की जांच	Investigations into Prices of Raw Jute	51
439.	यूनिट स्तर पर बूटों तथा मच्छर दानियों की कमी	Shortage of Boots and Mosquito-Net at Unit Level	51—52
440.	अवादी में टैंक कारखाना	Tank Factory at Avadi	52
441.	वायरलैस सैट ले जाने के लिये जीपों के ढांचे में परिवर्तन	Modifications in Jeeps carrying Wireless Sets	52
442.	भारतीय माल का नेपाल से होकर अन्य देशों को निर्यात	Diversion of Exports of Indian Goods through Nepal	53
443.	ऊनी माल के निर्यात लाइसेंसों के बीजकों में अधिक राशि दिखाना	Over-Invoicing of Export Licences for Woollen Goods	53
444.	रूसी हैलीकाप्टरों का खरीदा जाना	Purchase of Soviet Helicopter	54
445.	पख्तूनिस्तान आन्दोलन के लिये भारत का समर्थन	India's Support for Pakhtoonistan Movement	54—55

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
446.	पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता करने से इन्कार	Pak. Refusal to Hold Bilateral Trade talks with India	54—55
447.	हिन्द महासागर में रूस की बढ़ती हुई उपस्थिति	Increasing Soviet Presence in the Indian Ocean	55
448.	नेपाल से संश्लिष्ट कपड़े के आयात पर प्रतिबन्ध	Ban on Imports of Synthetic Fabrics from Nepal	55—56
449.	कच्चे रबड़ की कीमतें	Prices of Raw Rubber	56
450.	संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत के प्रश्न को उठाना	Raising of Tibet issue in UNO	57
451.	अल अक्स मस्जिद के मामले में भारतीय रूख पर इजरायल का रोष	Israeli Resentment over Indian stand on Al Aqsa Mosque	57—58
452.	फरक्का तथा पूर्वी नदियों के बारे में भारत-पाकिस्तान वार्ता	Indo-Pak. talks on Farakka and Eastern Rivers	58
453.	अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दल का बनाया जाना	Creation of International Voluntary Crops	59
454.	नागालैंड में युद्ध विराम	Cease Fire in Nagaland	59—60
455.	केन्द्रीय उपमंत्री की कुछ विदेशियों के साथ अजमेर की यात्रा	Union Deputy Minisrer's Visit to Ajmer with some Foreigners	60—61
456.	चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब	Delay in Finalizing of Fourth Five Year Plan	61
457.	टीटागढ़, पश्चिमी बंगाल में ईस्टर्न राइफल्स के सैनिकों का तैनात किया जाना	Posting of Eastern Rifles men at Titagarh West Bengal	61
458.	कोचीन से नौसेना भौतिक प्रयोगशाला का स्थानान्तरण	Shifting of Naval Physical Laboratory from Cochin	62
459.	भारत-पाकिस्तान संघर्ष में नष्ट हुआ पाकिस्तान का सैनिक सामान	Pakistan Military Equipment destroyed during Indo-Pak. Conflict	62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
461.	पूर्वी पाकिस्तान में चीनी छापामार युद्ध प्रशिक्षण स्कूल	Chinese Guerilla Training School in East Pakistan	62—63
462.	नेपाल से भारतीय कर्मचारियों को वापिस बुलाना	Withdrawal of Indian Personnel from Nepal	63
463.	राजनयिक थैलों की सुरक्षा के लिये प्रबन्ध	Arrangements for Safe Custody Diplomatic Bags	64
464.	रबात में भारतीय प्रतिनिधियों से किया गया व्यवहार	Treatment Meted out to Indian Delegates at Rabat	64—65
465.	हांगकांग में भारतीय राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार	Manhandling of Indian Diplomat in Hong Kong	65—66
466.	अल फतह शिष्ट मण्डल की यात्रा	Visit of Al Fatah Delegation	66
467.	चीन के साथ बातचीत	Dialogue with China	67
468.	ब्रिटेन को भारतीय कपड़े निर्यात पर प्रशुल्क लगाना	Imposition of Tariffs on Indian Textile Exports to U. K.	67—68
469.	नौसेना के लिये गश्ती नौकाएं	Patrol Boats for Navy	68
470.	विधि-उप-मन्त्री का अहमदाबाद का दौरा	Visit to Ahmedabad by Deputy Law Minister	68
471.	दलाई लामा की प्रधान मन्त्री के साथ भेंट पर चीन का विरोध	Chinese Protest on R.M.'s Meeting with Dalai Lama	69
472.	प्रतिरक्षा सेवाओं में इंजीनियरों की कमी	Shortage of Engineers in Defence Services	69—70
473.	सैनिक समाचार में प्रकाशित भारत का मानचित्र	Map of India Published in Sainik Samachar	70—71
474.	भारत में अल फतह कार्यालय	Al Fatah Office in India	71
475.	रबात सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेना	India's Participation in Rabat Conference	71—72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
476.	सेवा निवृति पर जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भुगतान की गई पेंशन, उपदान और सामान्य भविष्य निधि	Amount of Pension, Gratuity and G. P. Fund paid to J.C.Os and N.C.Os on Retirement	72
477.	सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा अधिकारियों को सैनिक बोर्डों के सचिवों के रूप में नियुक्ति	Appointment of Retired Defence Officers as Secretaries of Soldiers Boards	72—73
478.	भारतीय भूतपूर्व सैनिक लोगों द्वारा सैनिकों की पेंशनों में वृद्धि की मांग	Demand for Revision of Pensions of Soldiers made by Indian Ex-Servicemen League	73
479.	संसद् तथा राज्य विधान सभाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिये स्थानों के आरक्षण की मांग	Demand for Reservation of Seats for Ex-Servicemen in Parliament and State Assemblies	73
480.	हांगकांग में भारतीय राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार	Indian Diplomat Maltreated in Hong Kong	74
481.	नेपाल में भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों की पिटाई	Indian Technical Experts beaten up in Nepal	74—75
482.	चीन में प्रशिक्षण प्राप्त नागाओं की गिरफ्तारी	Capture of China trained Nagas	75
483.	रूस के प्रतिनिधियों और प्रतिरक्षा मन्त्री के बीच हुई बातचीत	Talks held between Representatives of USSR and Defence Minister	75—76
484.	विदेश मन्त्री की विदेश यात्रा	Foreign Minister's visited abroad	76
485.	विद्रोही नागाओं के साथ बातचीत	Talks with Rebel Nagas	76—77
486.	पाकिस्तान को अमरीकी हथियार सप्लाई	Supply of US Arms to Pakistan	77
487.	वियतनाम के लिये अमरीकी योजना	US Plan for Vietnam	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
488.	संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रवेश	Admission of China to UNO	78
490.	भारत के विरुद्ध चीन का विरोधपत्र	Chinese Protest against India	78
491.	रबात सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेने पर इसरायल का आरोप	Israeli Accusation for Indian Participation on Rabat Conferene	78
492.	कांगों के भारतीयों को कांगों छोड़ने का आदेश	Congo Indians asked to Leave	79
493.	ऐशियाई सुरक्षा योजना के बारे में अमरीकी राजदूत की प्रतिक्रिया	US Ambassador's Reaction to Asian Security Plan	79—80
494.	प्रतिरक्षा धातुकर्मक अनुसन्धान प्रयोगशाला, इछापुर (पश्चिम बंगाल)	Defence Metallurgical Research Laboratory at Ichapur, West Bengal	80
495.	कुआलालमपुर में हुए दंगों में भारतीय लड़की को चोटें	Inquiry to an Indian Girl in Kuala Lumpur Riots	80
496.	उत्तर कोरिया द्वारा पाकिस्तान को हथियारों का दिया जाना	Arms Supply by North Korea to Pakistan	81
497.	नाईलन के धागे के मूल्य	Prices of Nylon Yarn	81—82
499.	परमाणु शस्त्रों के निर्माण के बारे में नीति पर पुनर्विचार	Reviewing of Policy Re-production of Atomic Weapons	82
500.	निर्यात बढ़ाने के लिये एक संगठन की स्थापना	Organisation for Steping up Exports	82
501.	राजस्थान सीमा के साथ-साथ पाकिस्तान की सैनिक गतिविधियां	Military Activities of Pakistan along Rajasthan Border	82—83
502.	भारतीय निर्यात	India's Export	83
503.	रूस द्वारा पाकिस्तान को विमानों की सप्लाई	Supply of Aircrafts to Pakistan by USSR	83—84
504.	हिन्द महासागर में शान्ति के लिये बड़ी शक्तियों का आश्वासन	Big Power Assurance for Peace in the Indian Ocean	84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
505.	मलयेशिया से भारतीयों का निष्कासन	Eviction of Indians from Malaysia	84—85
506.	रबात सम्मेलन के निर्णय को स्वीकार करने के लिए भारत का पूर्ण आश्वासन	Prior Indian Assurance to accept Rabat Conference Decision	85—86
507.	अमरीका के साथ वायु रक्षा संधि	Air Defence Pact with USA	86
508.	पंचन लामा का श्रमिक शिविर (लेबर कैम्प) से बच निकलना	Escape of Panchen Lama from Labour Camp	86—87
509.	चौथी पंचवर्षीय योजना पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रभाव	Effects of Bank Nationalisation on Fourth Five Year Plan	87
510.	फरक्का को अन्तर्राष्ट्रीय मामला बनाने का पाकिस्तान का प्रयत्न	Pak Attempt to make Farakka an International issue	87
511.	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण भारत के प्रति विदेशों की नीति में परिवर्तन	Change in Policy of Foreign countries towards India due to Bank Nationalisation	87
512.	एशिया की सुरक्षा एवं अमरीका	Asian Security and the USA	88
513.	कपड़ा उद्योग में प्रयोग के लिये रसायनकों की कमी	Scarcity of Chemicals for use in Textile Industry	88—89
514.	भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के साथ शेख अब्दुल्ला की भेंट	Sheikh Abdullah's Meeting with Pak. High Commissioner in India	89
515.	दीमापुर कोहिमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर विद्रोही नागाओं द्वारा भारतीय सेना के कर्मचारियों का घायल किया जाना	Indian Army Personnel injured by Hostile Nagas on Dimapur-Kohima National Highway	89—90
516.	तिब्बत में चीनी गतिविधियां	Chinese Activities in Tibet	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
517.	बंगलौर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति प्रतिनिधियों पर काफी बोर्ड द्वारा किये गए खर्च की जांच	Enquiry into Expenditure incurred by Coffee Board on AICC Delegates Bangalore	90–91
518.	चीनी दूतावास द्वारा निमन्त्रण पत्र	Chinese Embassy Invitations	91—92
520.	अम्बरनाथ गोला बारूद कारखाने में उत्पादन	Production in Ambarnath Ammunition Factory	92
521.	छोटे रबड़ काश्तकारों संबंधी अब्दुल्ला समिति का प्रतिवेदन	Abdullah Committee's Report on Small Scale Rubber Cultivators	92
522.	निपुण शिल्पियों को पेंशन लाभ	Pension benefits to Master Craftsmen	93
523.	आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों के भुगतान के लिये आजाद हिन्द फौज संस्था द्वारा दिया गया अभ्यावेदन	Representation made by INA Association for Payment of Pay and Allowance to Ex-INA Personnel	9?
525.	भारतीय निर्यात वस्तुओं की मांग में कमी	Decline in Demand for India's Export Items	94
526.	पटसन उद्योग को प्रोत्साहन	Incentives to Jute Industries	94
527.	भारत का विदेशी मानचित्र जिसमें काश्मीर को नहीं दिखाया जाना	Foreign Map of India Excluding Kashmir	94–95
528.	व्यापार सम्बन्धी भारत-नेपाल वार्ता	Indo-Nepal talks on Trade	95
529.	रूस के प्रधान मन्त्री के साथ प्रधान मन्त्री की बातचीत	P.M.'s discussion with USSR Prime Minister	95–96
530.	कच्चे माल का आयात	Import Trade in Raw Material	96
532.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को वैदेशिक व्यापार में प्रशिक्षण	Training to Personnel of Nationalised Banks in Foreign Trade	96–97

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
533. कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर	Fast Breeder Atomic Reactor at Kalpakam	97
534. पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारत का व्यापार	India's Trade with East European Countries	97—98
535. बनावटी बालों का निर्यात	Export of Artificial Hair	98
536. राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात तथा आयात	Exports and Imports by State Trading Corporation	98—99
5'7. केलों का निर्यात	Export of Bananas	99
538. भारत को रबात सम्मेलन में भाग लेने के लिये निमन्त्रण	Invitation to India to Attend Rabat Conference	99—100
539. भारत सूचना सेवा के अधिकारियों का भारतीय विदेश सेवा में समावेश	Absorption of Information Service of Indian Officers in Indian Foreign Service	100
540. दक्षिण वियतनाम में अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार	Provisional Revolutionary Government in South Vietnam	100—101
541. तारापुर रिएक्टर में उत्पादित विद्युत	Energy produced in Tarapore Reactor	101
542. भारत में आयात	India's Imports	101
543. दूसरे देशों के राज्याध्यक्षों के साथ भारतीय वैदेशिक कार्य मन्त्री का सीधा सम्पर्क	Direct Contact by the Indian External Affairs Minister with Heads of Foreign States	102
544. भारत के साथ बातचीत करने के लिये पाकिस्तान की इच्छा	Pak. Readiness for talks with India	102
545. मन्त्री मण्डल सचिवालय में क्लर्कों की पदोन्नति परीक्षा	Examination for Promotion of Clerks in Cabinet Secretariat	103
547. मनाली लेह सड़क	Manali Leh Road	103
548. पाकिस्तान द्वारा अन्य देशों से प्राप्त शस्त्रास्त्र	Arms and Ammunition received by Pakistan from other countries	103—104
550. पाकिस्तान द्वारा चीन से टकों का अर्जन	Acquisition of Tanks by Pakistan from China	104

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
551.	भारतीय भाषाओं को जानने वाले राजदूतों की नियुक्ति	Appointment of Envoys knowing Indian Languages	104—105
552.	नौसैनिक उपकरण को बदलना	Replacement of Naval Equipment	105
553.	भूमि से भूमि पर छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र	Manufacture of Surface to Surface Missiles	105
554.	भारत वायु सेना द्वारा प्रयुक्त यातायात विमान	Transport Aircraft used by Indian Air Force	105—106
555.	नैट विमानों का निर्माण	Manufacture of Gnet Aircraft	106
556.	पाकिस्तान द्वारा रूस और अन्य देशों से प्राप्त की गई पनडुब्बियां	Sub-Marines received by Pakistan from USSR and other countries	106—107
557.	इलेक्ट्रोनिक्स का निर्यात	Exports of Electronics	107
558.	अल अक्सा मस्जिद	Al Aqusa Mosque	107—108
559.	रबात में भेजा गया भारतीय शिष्ट मण्डल	Indian Delegation sent to Rabat	108
560.	कपड़ा मिलों में रद्दी घोषित किये जाने वाले तकुवे तथा करघे	Spindles and Looms in Textile Mills to be Scrapped	108—109
561.	आयातित रूई का उपयोग	Use of Imported Cotton	109
562.	कपास का आयात	Import of Cotton	109—110
564.	पश्चिमी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार	Ill Treatment of Minorities in West Pakistan	111
565.	गुजरात के मुसलमानों को पाकिस्तान में प्रवेश से रोका जाना	Gujarati Muslims Barred from Entering into Pakistan	111
566.	पाकिस्तान जानेवाले चीनी दल का भारतीय सीमा पार करना	Crossing of Pak. Bound Chinese Caravan into Indian Territory	111—112
567.	रूस द्वारा प्रतिरक्षा मन्त्री को दिया गया खिताब	Title Conferred to Defence Minister by USSR	112
568.	विदेश भेजे गये संसद् सदस्य	M.P.'s sent Abroad	112

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
569.	अहमदाबाद के दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में एक केन्द्रीय उप-मंत्री का दौरा	Visit by a Union Deputy Minister to Riot affected Areas of Ahmedabad	112—113
570.	इण्डो ईरानियन कमीशन फार इकोनोमिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नीकल कोआपोरेशन की उपसमिति की सिफारिशें	Recommendations of Sub-Committee of Indo-Iranian Commission for Economic Trade and Technical Co-operation	113
571.	हिन्द महासागर में आस्ट्रेलिया का नौसैनिक अड्डा	Australian Naval Base in Indian Ocean	113—114
572.	चैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Czechoslovakia	114—115
573.	पाकिस्तान की जेलों में त्रिलोक चन्द को दी गई यन्त्रणाएं	Tortures undergone by Trilok Chandra in Pakistani Jails	115
574.	गणतंत्र दिवस परेड 1968 के लिये जारी किये गये पास	Passes issued for Republic Day Parade, 1968	115—116
575.	भारत संयुक्त अरब गणराज्य समाचार एजेन्सियां	Indo-UAR News Agencies	116—117
576.	गुट निरपेक्ष देशों के ग्रुप की बैठक से भारतीय प्रतिनिधि का उठ कर चला जाना	Indian Withdrawal from Meeting of Non-Aligned Nations Group	117
577.	पारगमन व्यापार के सम्बन्ध में भारत पाकिस्तान करार	Indo-Pak. Agreement on Transit Trade	117—118
579.	अहमदाबाद के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में केन्द्रीय विधि उप-मन्त्री का दौरा	Visit by the Union Deputy Law Minister to Riot Affected Areas of Ahmedabad	118
580.	चीन द्वारा काश्मीर में एक आयुध डिपो का बनाया जाना	Building of an Ordnance Depot in Kashmir by China	118
581.	प्रतिरक्षा सेवाओं में कमीशन प्राप्त अधिकारियों और असैनिक सेवाओं के अधिकारियों के वेतनमानों में अन्तर	Difference in Pay Scales of Commissioned Officers in Defence Services and Officers in Civil Services	118—119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
582.	राजस्थान सीमा पर पीर पगार द्वारा जासूसी	Spying by Pir Pagars in Rajasthan Border	119
583.	साम्यवादी चीन के साथ सम्बन्ध विच्छेद	Snapping of Ties with Communist China	119—120
58·.	अहमदाबाद में हुए दंगों के सम्बन्ध में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा इस्लामाबाद में नियुक्त भारतीय उच्च आयुक्त को बुलाया जाना	Summoning of Indian High Commissioner in Islamabad by Pak, Foreign Office in connection with Riots in Ahmedabad	120
585.	होशियारपुर जिले में हरियाणा कस्बे के समीप भारतीय वायु सेना के एक बमवर्षक विमान की दुर्घटना	Crash of an IAF Bomber near Hariana in Hoshiarpur District	120—121
586.	उगांडा से भारतीयों का निकाला जाना	Indians to be Evicted from Uganda	121
587.	ऊ० नू० का भारत में बसने के लिये अनुरोध	U. Nu's request to Settle in India	121—122
588.	जनसंख्या की अदला बदली के बारे में पाकिस्तानी नेताओं का संयुक्त वक्तव्य	Statement of Pak. Leaders on Exchange of Population	122
589.	हाइड्रोसलफाइट सोडे की कमी	Shortage of Hydro-Sulphite of Soda	122—123
590.	भारत थाइलैंड व्यापार करार	Indo-Thailand Trade Agreement	123
591.	पाकिस्तान को अमरीका द्वारा हथियार दिये जाना	Supply of Arms by USA to Pakistan	123—124
592.	एक पाकिस्तानी द्वारा लिखित पुस्तक का पाकिस्तानी उच्च आयोग द्वारा भारत में वितरण	Book written by a Pakistani Circulated in India through Pakistan High Commission	124
593.	गुजरात सीमा पर पाकिस्तान से सैनिक खतरा	Military Threat by Pakistan on Gujarat Border	124—125

अता० प्र० संख्या	विषय		पृष्ठ
U. S. Q. Nos.		Subject	Pages
594.	हिन्द-चीन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग	International Control Commission for Indo-China	125
595.	राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक	N. D. C. Meeting	125—126
596.	मुख्य मन्त्रियों द्वारा भारत-जर्मन सांस्कृतिक सम्मेलनों का उद्घाटन	Inauguration of Indo-German Cultural Conference by Chief Ministers	126
597.	भारत तथा रूस का सहयोग करार	Indo-Soviet Agreement on Co-operation	126
598.	भारत तथा युगोस्लाविया के बीच वीसा प्रणाली की समाप्ति	Abolition of Indo-Yugoslav Visa System	126—127
599.	सैनिक सन्धियों में पाकिस्तान की सदस्यता	Pakistan's Membership of Military Pacts	127
600.	भारत नेपाल सैनिक सन्धि	Indo-Nepal Military Pact	127
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	127—132
	निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यावधि संसदीय चुनावों के लिये कथित तैयारियां	Reported Preparations by Election Commission for Mid-term Parliamentary Elections	127
	श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	127
	श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	127—128
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	132—135
	राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	135
	प्राक्कलन समिति से सम्बन्धित पत्र	Paper Relating to Estimates Committee	135
	विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges	136
	नवां प्रतिवेदन	Ninth Report	136
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी	Committee on Private Members Bills and Resolutions	136
	चवनवां प्रतिवेदन	Fifty-fourth Report	136
	समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	136
	नारियल जटा बोर्ड	Coir Board	136

अता० प्र० संख्या विषय	Subject	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.		Pages
कोयलाखानों में स्थिति के बारे में	Re-Situation in Coal Mines	137
पंजाब विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक	Punjab Legislative Council (Abolition) Bill	138—156
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	138
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	138
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	138—139
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	139—140
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	140—142
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	142
श्री के० एम० अब्राहम	Shri K. M. Abraham	143
श्री अ० सिं० सहगल	Shri A. S. Saigal	144—145
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	145—146
श्री जयपाल सिंह	Shri Jai Pal Singh	146
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra	146—147
श्री ए० श्रीधरन	Shri A. Sreedharan	147—148
श्री अब्दुलगनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	148—149
श्री जे० एन० हजारिका	Shri J. N. Hazarika	149
श्री मुहम्मद युनूस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	149—150
खण्ड 2 से 9 तथा 1	Clause 2 to 9 and 1	150
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	151
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra	151
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	151
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	151—152
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	152—153
श्री जगेश्वर यादव	Shri Jageshwar Yadav	153
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	153
श्री वि० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal	153—154
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulsi Das Jadhav	154
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	154—155

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री मु० यूनुस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	155—156
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा बैंक (संशोधन) विधेयक	International Monetary Fund and Bank (Amendment) Bill	156—168
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	158
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	158
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K, Somani	160—162
श्री हिम्मत सिंहका	Shri Himatsingka	162
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	162—165
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	165—166
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	166—167
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	167
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinker Desai	168
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	169
चालीसवां प्रतिवेदन	Fortieth Report	169

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 19 नवम्बर, 1969/28 कार्तिक, 1891 (शक)

Wednesday, Nov. 19, 1969/Kartika 28, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को रिहायशी फ्लैटों के लिये बैंक द्वारा ऋण

+

*61. श्री उमानाथ :
श्री पी० रामभूर्ति :
श्री पी० वी० एस्थोस :
श्री बि० कु० मोडक :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये रिहायशी फ्लैट खरीदने के लिये जुलाई, 1965 में बैंकों से ऋण के रूप में कुल कितना धन लिया गया ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितना धन वस्तुतः खर्च किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि मिशन ने उस धन पर, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया था जून, 1968 तक का ब्याज दिया ; और

(घ) यदि हां, तो इस्तेमाल न किये गये धन पर ब्याज के रूप में कितनी राशि दी गई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) दिसम्बर, 1964 और जुलाई, 1965 में दो किश्तों में 1,72,000 पौंड लिए गए थे ।

(ख) 1,68,987 पौंड

(ग) जी हां ।

(घ) अक्तूबर, 1967 में ऋण पूंजी की अदायगी की अंतिम तारीख से जून, 1968 तक 119 पौंड।

श्री उमानाथ : महोदय, ज्ञात हुआ है कि फ्लैट तथा अन्य वस्तुओं की खरीद के लिये जो धन ऋण के रूप में लिया गया था उसमें से 60,000 रुपया इस्तेमाल नहीं हुआ; इस धन को जो इस्तेमाल नहीं हुआ था, बैंक को नहीं लौटाया गया क्योंकि यह ऋण फ्लैटों की खरीदने के उद्देश्य से ही लिया गया था। मुझे पता लगा है कि ऋण की रकम का पांचवा हिस्सा, उस धन पर ब्याज के रूप में दिया गया है, जिसका इस्तेमाल जून, 1968 तक नहीं हुआ था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस्तेमाल न किये गये धन के बैंक को न लौटाये जाने के क्या कारण हैं? दूसरे, उस धन पर, जिसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ, 10,000 रुपये ब्याज के रूप में देने की अनुमति क्यों दी गई? क्या आपने इन कारणों का और सार्वजनिक धन के अपव्यय के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगाया है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह सच है कि इस वित्तीय सौदे के अन्त में लगभग 3,000 पौंड बच गये थे। यह धन लौटाया नहीं जा सकता था क्योंकि करार में इसके लिये कोई उपबन्ध नहीं था। दूसरे लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त ने अपनी इच्छा से इस धन का उपयोग अपने कार्यालय-व्यय के लिये करने का निर्णय किया। उनके विचारानुसार राजकोष पत्रों को बेचने की अपेक्षा इस धन का उपयोग करना आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक थी क्योंकि राजकोष-पत्रों पर अधिक ब्याज देना होता है। उन्होंने सोचा कि बैंक से अल्पावधि के लिये ऋण लेने की अपेक्षा इस रकम का उपयोग करके कम ब्याज देना अधिक लाभदायक होगा।

श्री उमानाथ : इस सौदे में सारे के सारे धन का ही अपव्यय जान पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि 1964 में यह अनुमान लगाया गया था कि इन फ्लैटों की खरीद, मरम्मत, ब्याज की अदायगी और अन्य वस्तुओं पर हुए खर्च की तुलना में इन फ्लैटों को पट्टे (लीज) पर देने से उच्चायोग को जो आय होगी, उससे वस्तुतः बचत होगी। ऐसा ही अनुमान लगाया गया था। लेखा परीक्षा-रिपोर्ट से पता चलता है कि मरम्मत और ब्याज पर होने वाले व्यय की रकम, उस रकम से कहीं अधिक है जो उच्चायोग को आय के रूप में प्राप्त होती है। मेरा यह भी विचार है कि खरीदे गये इन 'फ्लैटों' के लिये 24 गराजों का निर्माण किया गया था जिनमें से 15 का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। इस सौदे के कारण धन के अपव्यय के कई मामलों का पता चला है। जहाँ तक इस विशेष सौदे का सम्बन्ध है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यह जानने के लिये कि इस सौदे में किसी अधिकारी का अनुचित प्रयोजन तो नहीं, क्या कोई जांच की गई थी और क्या इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि लोक-लेखा समिति पहले ही इस विषय पर विचार कर रही है; इस समय इस पर विस्तार से चर्चा करना उचित नहीं होगा। इसी लिये मैं ब्यौरा नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि सम्पत्ति की इस खरीद से लगभग 3,000 से 5,000 पौंड की बचत हुई है। यह रकम मंत्रालय अपने अधिकारियों को आवास-भत्ते के रूप में देता था।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय का कहना है कि लोक-लेखा समिति पहले ही इस विषय पर विचार कर रही है।

श्री उमानाथ : किन्तु मैं जो कहना चाहता हूँ, वह यह है कि समिति को 1968 में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था और आज 1969 का नवम्बर महीना चल रहा है। इसलिए प्रतिवेदन तो पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया होगा।

अध्यक्ष महोदय : जो भी हो, यह मामला लोक-लेखा समिति के सम्मुख है।

श्री उमानाथ : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने इस सारे सौदे में किसी अनुचित लेन-देन का पता लगाने के लिये किसी जांच का आदेश दिया था ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हम अभी लोक-लेखा समिति के सन्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके मिलते ही उचित विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री लोबो प्रभु : आपके कथनानुसार, क्योंकि लोक-लेखा समिति इस विषय पर विचार कर रही है, इसलिये मैं केवल खाता सम्बन्धी सामान्य प्रश्न ही करूंगा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सम्पत्ति की खरीद से पहले ही धन क्यों निकलवाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

श्री लोबो प्रभु : कौन से मकान खरीदने हैं, यह निश्चित करने से पूर्व ही धन क्यों लिया गया ? हिसाब लगाने का यह बिल्कुल गलत तरीका है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब यह धन ले ही लिया गया था तो क्या उच्चायोग में ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जो इस धन के वार्षिक उपयोग पर नजर रखता ? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जिस व्यक्ति को खरीदने का स्थान नियत करने को कहा गया था, उसे इस सम्बन्ध में पुनः स्मरण कराया गया अथवा इन तीन वर्षों तक निष्क्रिय बैठे रहने पर, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : जैसा मेरे सहयोगी ने कहा है, लोक-लेखा समिति इस विषय पर विचार कर रही है। समिति सभी सम्बन्धित बातों पर विचार करेगी। उसके पश्चात यदि सदस्य चाहें तो वे सदन में इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं।

रूस को रेलवे वैगनों की सप्लाई

+

*62. **श्री सु० कु० तापड़िया :**	**श्री वेदकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री एस० एम० कृष्ण :	**श्री राम सेवक यादव :**
श्री क० लकप्पा :	**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :	

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रूस को रेलवे वैगन सप्लाई करने के लिए रूस की सरकार के साथ एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) करार की शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). जी नहीं, सोवियत संघ को रेलवे वैगन सप्लाई करने के लिए भारत सरकार का रूसी सरकार के साथ कोई करार नहीं हुआ है। तथापि, 13 मार्च, 1968 को राज्य व्यापार निगम समिति द्वारा वी/ओ मशीनोइम्पोर्ट, मास्को के साथ एक संलेख लिखा गया, जिसमें 1969-70 की अवधि में सोवियत संघ को 54,000 गोन्डाला किस्म के रेलवे वैगनों के निर्यात के लिए संविदा की बातचीत की क्रियाविधि दी गई। तैयार की गई संविदा के अधिकांश तकनीकी पहलुओं पर एक अनौपचारिक सहमति हो चुकी है पर दोनों पक्षों के मूल्य अनुमानों में काफी भिन्नता है। सोवियत संघ द्वारा हाल में भेजे गये शिष्टमण्डल के साथ निर्यात मूल्य पर कोई समझौता न हो सका। यह शिष्टमण्डल मास्को वापिस आने के बाद सोवियत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। हम इस विषय में उनकी आगामी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे।

श्री सु० कु० तापड़िया : सम्भवतः इस करार पर मार्च मास की अशुभ तिथि 13 को हस्ताक्षर हुए थे और जब से यह करार हुआ है तभी से हम यह कहते आ रहे हैं कि यह करार सफल नहीं होगा। हम यह भी कहते आ रहे हैं कि यह करार केवल रूसी चाल है जो हमारी अर्थ व्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था के अनुकूल बनाना चाहते हैं। फिर भी सरकार हमें मिथ्या आशायें दिलाती रही है कि यह करार सफल रहेगा। सरकार मूल्य के व्यापक प्रश्न पर ही केवल राग अलापती रही यद्यपि यह प्रकट हो गया कि उन्होंने मूल्य को इस बारे में महत्त्वपूर्ण नहीं माना। अब मन्त्री महोदय ने बताया है कि मूल्य के अतिरिक्त जोकि इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रश्न है शेष सभी बातों पर अन्तिम निर्णय किया जा चुका है। क्या पिछली बैठक तथा इस बैठक के बीच की अवधि में विश्व भर में इस्पात के मूल्यों में वृद्धि हो गई है तथा रूस ने भी, जिसने उन वैगनों के लिए हमें इस्पात की पूर्ति करनी थी, अपने इस्पात के मूल्यों में 5000 रुपये प्रति वैगन के हिसाब से वृद्धि कर दी हैं और रूस ने इसी प्रकार के वैगनों के लिए 90,000 रुपये अर्थात 11,000 रूबल्स पर पौलेंड क्रयादेश दिये हैं जब कि वह हमें केवल 7000 डालर देने को तैयार हैं ? यदि ये बातें सच हैं तो, सरकार इस सम्बन्ध में बातचीत करते रहना किस प्रकार उचित समझती है ? क्या सरकार बतायेगी कि हमें अन्य देशों से इसी प्रकार के वैगनों का क्या मूल्य मिल रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि इस सम्बन्ध में कोई बातचीत न हो यद्यपि यह सच है कि...

श्री सु० कु० तापड़िया : अपनी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचा कर ऐसा नहीं चाहूँगा।

श्री ब० रा० भगत : वस्तुतः प्रत्येक देश अपने हित का ध्यान रखता है।

श्री सु० कु० तापड़िया : हमें भी रखना चाहिये।

श्री ब० रा० भगत : क्रेता तथा विक्रेता के बीच इस प्रकार का करार तभी सम्पन्न

हो सकता है जब मूल्य तथा अन्य शर्तें दोनों को स्वीकार्य हों। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूँ, मूल्य के सम्बन्ध में कुछ मतभेद है। हमने उन्हें अपनी ओर से मूल्य बता दिया है तथा वह उनके पास है। अब हम उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह करार केवल तभी सम्पन्न हो सकता है जब हमारे दृष्टिकोण से पूर्ण व्यवस्था संतोषजनक हो जाय।

श्री सु० कु० तापड़िया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता था कि हमें इसी प्रकार के वैगनों का अन्य देशों से क्या मूल्य प्राप्त हो रहा है तथा क्या रूस ने हमें देने वाले इस्पात के मूल्यों में वृद्धि कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए, केवल उसके संलेख पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब इस पर माननीय सदस्य और क्या जानना चाहते हैं ?

श्री सु० कु० तापड़िया : श्रीमन् मैंने एक दूसरा प्रश्न भी पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मेरे विचार से इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। इस प्रश्न में 7 माननीय सदस्यों के नाम हैं, दूसरे प्रश्न में 22 नाम हैं तथा एक अन्य प्रश्न में लगभग 12 नाम हैं। यदि इन सभी माननीय सदस्यों को एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय तो प्रश्न काल बेकार हो जाता है। अत: हमें इस प्रक्रिया में कुछ सुधार करना पड़ेगा।

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय बिल्कुल ठीक कहते हैं।

श्री शिव नारायण : मेरा सुझाव है कि प्रश्न में केवल एक ही माननीय सदस्य का नाम रखा जाय। प्रश्न केवल एक सदस्य के नाम से ही होना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस पर नियम समिति में विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम तो हमेशा से बना हुआ है कि यदि कोई प्रश्न किसी माननीय सदस्य के नाम से गृहित हो जाता है तो उसी प्रकार के प्रश्नों को इसलिये स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि उससे समान स्वरूप का प्रश्न पहले गृहीत हो चुका है। किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि जिन सदस्यों के नाम साथ रखे गये हैं उन्हें अनुपूरक प्र न पूछने का अधिकार है। यदि एक प्रश्न पर 22 सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं तथा अगले प्रश्न के साथ दिये गये सभी माननीय सदस्य अपने अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न काल तो व्यर्थ ही हो जाता है तथा सारे समय में केवल एक या दो प्रश्न ही निबटाये जा सकते हैं।

श्री प्र० के० देव : यदि आप इस प्रथा को जिस पर हम अब तक चलते आये हैं बदलना चाहते हैं तो इस पर पहले नियम समिति में विचार विमर्श होना चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्ता : उन्हें अपना दूसरा प्रश्न पूछने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री एस० एम० कृष्ण का नाम पुकार चुका हूँ। उनके पश्चात् श्री सु० कु० तापड़िया को समय दूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : आप इस प्रकार प्रक्रिया में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं ?

श्री ए० श्रीधरन : नहीं। परिवर्तन से पहले इस विषय पर नियम समिति में विचार विमर्श होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री एस० एम० कृष्ण का नाम पुकारा है।

श्री रंगा : हमें ज्ञात नहीं है कि आप कौन सी नई प्रक्रिया अपना रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : इस विषय में कुछ नियम निर्धारित हैं तथा उनका हमें अनुसरण करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने गत सत्र में भी कहा था कि अनुपूरक प्रश्न एक होना चाहिये तथा वह प्रश्न स्वतः पूर्ण होना चाहिये। किन्तु यहां तो ऐसा होता है कि सदस्य कहते हैं मेरा पहला प्रश्न यह है, दूसरा यह तथा तीसरा यह है। वास्तव में एक अनुपूरक प्रश्न के साथ बहुत से प्रश्नों को जुड़ा हुआ पाता हूँ। मैं सभा का समय बचाना चाहता हूँ और मैं उन सभी प्रश्नों को पूछा गया मानूँगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : प्रश्न के भाग (क) (ख) (ग) की हमेशा अनुमति दी जाती है।

श्री बलराज मधोक : यदि आप नियमों में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें नियम समिति की बैठक करनी चाहिये तथा उसमें इस मामले पर विचार विमर्श कर लेना चाहिये। हम इस परिपाटी का हमेशा से यही अनुसरण करते आ रहे हैं किन्तु आप इसमें अचानक ही कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न केवल एक होना चाहिये। इस का यह आशय नहीं है कि उसमें बहुत सी अन्य बातें सम्मिलित हों।

श्री रणधीर सिंह : माननीय सदस्यों को अध्यक्ष पीठ के साथ अवश्य ही सहयोग करना चाहिये।

श्री रंगा : पहले की प्रक्रिया यह थी कि केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती थी तथा उसमें भाग (ख) (ग) आदि नहीं होते थे। बाद में, भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय श्री हुकम सिंह ने कहा था कि यदि प्रश्न के कई भाग हों तो माननीय मंत्री उनमें से किसी एक प्रश्न को चुन सकते हैं तथा जिस की अनुमति अध्यक्ष महोदय दें उसका उत्तर दे सकते हैं। उसके पश्चात् प्रश्नकर्ता को यह भी अधिकार दे दिया गया था कि वह एक विषय पर दूसरा प्रश्न भी कर सकता है। यदि आप इसमें कोई परिवर्तन करना ही चाहते हैं तो पहले इस सम्बन्ध में हमें विचार विमर्श कर लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक या अधिक से अधिक दो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : हमें दो प्रश्न पूछने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु एक प्रश्न में तीन प्रश्न सम्मिलित हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और मैंने प्रारम्भ में ही यह बात स्पष्ट कर दी थी।

श्री सु० कु० तापड़िया : आप यदि इस बात की गारन्टी दे कि भविष्य में प्रश्नों के व्यापक तथा सर्वांगपूर्ण उत्तर मिलेंगे तो हम इस नियम का अनुसरण करने को तैयार हैं। हमें अधिक प्रश्न इस कारण पूछने पड़ते हैं कि मंत्री महोदय सदन को अन्धेरे में रखना चाहते हैं तथा प्रश्नों का पूरा उत्तर नहीं देते।

श्री ब० रा० भगत : नहीं, नहीं।

श्री सु० कु० तापड़िया : यह उनकी हमेशा से आदत रही है।

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं।

श्री रंगा : सदस्यों को दो प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दिये जाने की प्रक्रिया को चूंकि हम इतने दिनों से अपनाते आ रहे हैं अतः यदि आप इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उचित यही रहेगा कि सभी दलों के नेताओं को बुलाया जाय तथा उन्हें इस बात के लिये सहमत कर लिया जाय। आप इस प्रकार स्थापित प्रक्रिया को तोड़ नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वह कहां पर निर्धारित है।

श्री रंगा : हम सदा दो प्रश्न पूछते रहे हैं और यही प्रक्रिया रही है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : नियमों के अन्तर्गत इस की व्यवस्था है अथवा नहीं, किन्तु गत 10-15 वर्षों से सभा में यह परिपाटी रही है कि प्रश्नकर्त्ता दो अनुपूरक प्रश्न कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप उस प्रक्रिया का त्याग नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : तब मैं आपसे विशिष्ट रूप से यह जानना चाहता हूँ कि जहाँ तक प्रश्नकर्त्ता द्वारा दो अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने का सम्बन्ध है आप इस प्रक्रिया का त्याग नहीं करेंगे। आप इसमें और करना चाहते हैं कि प्रश्न एक होना चाहिए और उसमें अनेक प्रश्न सम्मिलित नहीं होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, इससे मैं सहमत हूँ। प्रश्न एक हो तथा स्वतःपूर्ण हो। एक प्रश्न में तीन या चार अन्य प्रश्न सम्मिलित नहीं होने चाहिए। किन्तु माननीय सदस्य तीन या चार

प्रश्नों को एक प्रश्न में इकट्ठा कर देते हैं तथा बाद में फिर अपना दूसरा प्रश्न पूछने को खड़े हो जाते हैं। मैं इस पर आपत्ति करता हूँ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यदि आप माननीय सदस्य को तभी रोक देते जब आप को ज्ञात हो गया था कि वह एक से अधिक प्रश्नों को सम्मिलित कर रहे हैं तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाता। किन्तु आपने उस समय ऐसा नहीं किया तथा जिस प्रकार वह प्रश्न पूछ रहे थे उनको आपने पूछने दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनका ध्यान इस ओर दिला दिया था।

श्री ही० ना० मुकर्जी : प्रश्न पूछा गया था तथा उसका उत्तर भी दे दिया गया था अतः प्रश्नकर्ता को यह ध्यान रहा कि उनके पहले प्रश्न का उत्तर मिला है। अब भी आपने कहा है कि उनको दूसरा अवसर दिया जायेगा'।

अध्यक्ष महोदय : हाँ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : किन्तु इसमें एक सिद्धान्त का प्रश्न है एक सदस्य को जो पहले प्रश्न पूछ रहे हैं दो अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार है। इस अधिकार को छीनना नहीं चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था उसमें अधिक प्रश्न सम्मिलित थे। मैं इस बात का निर्णय आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ।

श्री सु० कु० तापड़िया : मंत्री महोदय यह समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि मूल्य संबंधी प्रश्न एक महत्वहीन समस्या है। मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि यह समस्या प्रमुख समस्या है जिससे कि वह प्रश्न की महत्ता को उचितरूप से समझ सकें। फिर भी वह उसे समझ नहीं पाये तथा मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री बलराज मधोक : जब माननीय मंत्री समुचित उत्तर नहीं दे पाते तो आप हमारे ऊपर पाबन्दियाँ लगा देते हैं। क्या आप मंत्रियों से भी निवेदन करेंगे कि वे प्रश्नों का समुचित उत्तर दें ? हमें तो प्रश्न काल में सूचनायें प्राप्त करनी होती हैं।...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो कुछ कहा है वह सभी के ऊपर लागू होता है।

श्री ब० रा० भगत : यह निर्णय करना कि उत्तर प्रश्नों के अनुकूल है अथवा नहीं, अध्यक्ष पीठ ही का कार्य है।

अध्यक्ष महोदय : अब यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि अनुपूरक प्रश्न एक तथा स्वतःपूर्ण हो। क्योंकि प्रश्न में संख्या एक, दो और तीन आदि होने से बड़ी कठिनाई हो जाती है......

श्री स० मो० बनर्जी : यह तो हमारी आदत बन गई है आप उसे कैसे बदल सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : भाई श्री तापड़िया समझते हैं कि उन्होंने केवल एक प्रश्न ही किया है

तो वह अपना दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे विचार से तो उनका पहला प्रश्न एक नहीं था वरन् उसमें तीन प्रश्न थे।

श्री सु० कु० तापड़िया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें दूसरे देशों को माल के डिब्बों के निर्यात से अच्छी कीमत प्राप्त हो रही है क्या देश के लिये यह उचित होगा कि वह दीर्घावधि के लिये अलाभप्रद मूल्यों पर अपनी निर्माण क्षमता के ठेके दें और इस प्रकार अपनी निर्माण क्षमता को बुक कर अपनी भावी निर्यात क्षमता पर प्रभाव डालें।

श्री ब० रा० भगत : देश के लिये अलाभप्रद मूल्य पर कोई ठेका नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया मूल्य के बारे में विचार करना है। जहां तक अन्य देशों को निर्यात करने का प्रश्न है हम अन्य देशों को माल के डिब्बों का अच्छे मूल्यों पर निर्यात कर रहे हैं और हम माल के डिब्बों के निर्यात में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : प्रश्न क्या था और उत्तर क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : इस बात का निर्णय करना अध्यक्ष महोदय का काम है।

श्री अशोक मेहता : यह बेकार की बात है। यह बात बच्चे बच्चे को पता है कि हम वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि हम अन्य देशों को किन मूल्यों पर वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं ..(अन्तरबाधाएं)

श्री ब० रा० भगत : मुझे दुख है कि माननीय सदस्य अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। इसका निर्णय अध्यक्ष करेंगे। (अन्तरबाधाएं)

श्री बलराज मधोक : हम माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर चाहते हैं (अन्तरबाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने माल डिब्बे सप्लाई करने के बारे में रूस सरकार से कोई करार किया है। यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं और उसके लिये क्या कीमत निर्धारित की गई है। यदि माननीय सदस्य इस बारे में पूछते हैं और आपको इस बारे में जानकारी है तो आपको वह जानकारी देनी चाहिये।

श्री ब० रा० भगत : जहाँ तक शर्तों और दूसरे ठेकेदारों को दिये गये मूल्यों का प्रश्न है, इसके उत्तर के लिये दूसरे नोटिस की आवश्यकता होगी। यदि मैंने प्रश्न को ठीक समझा है तो वह यह है कि अन्य देशों को माल डिब्बे अच्छे मूल्यों पर निर्यात करने की बजाय क्या सरकार रूस सरकार को अलाभप्रद मूल्यों पर दीर्घावधि ठेके दे रही है ? यह सच नहीं है। हम अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं और हम किसी देश से दीर्घावधि आधार पर करार नहीं कर रहे हैं (अन्तरबाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार मैं कैसे सुन सकूंगा और आप भी उन्हें किस प्रकार सुन सकेंगे।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब कभी भी रूस द्वारा करार पर हस्ताक्षर किये जायेंगे तो इससे देश को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी । मेरी यह बात समझ में नहीं आती और इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या जब कभी भी करार पर हस्ताक्षर होंगे इससे देश को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी ?

श्री एस० एम० कृष्ण : गत वर्ष के आरम्भ में जब रूस के प्रधान मंत्री ने हमारे देश का दौरा किया था और हमारा देश अत्यधिक मंदी और मुद्रा स्फीति के दौरे से गुजर रहा था उस समय उन्होंने भारत द्वारा रूस को माल के डिब्बे सप्लाई करने का उल्लेख किया था उसके पश्चात रूस सरकार के दो प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर चुके हैं और अभी अभी मंत्री महोदय ने उल्लेख किया था एक प्रतिनिधिमंडल भारत से अभी लौटा है और वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला है ।

हम एक विशेषज्ञों का दल-रूस का दौरा करने के लिये भेज रहे हैं, हो सकता है यह अवकाश यात्रा करदाताओं के खर्चों पर हो और हम इस यात्रा के सफल होने की कामना करते हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में संसद् का विश्वास प्राप्त करेंगे और ईमानदारी से इस बात का उत्तर देंगे कि क्या सरकार का अभी भी यह विश्वास है कि विचार विमर्श द्वारा मूल्य निर्धारित किया जायेगा ? जैसा कि अभी पता लगा है कि जो मूल्य रूस सरकार ने उद्धृत किये हैं वे मूल्य तो कच्ची सामग्री की लागत के बराबर भी नहीं हैं । अतः जब अन्तर इतना अधिक है तो क्या सरकार अभी भी ईमानदारी से यह विश्वास करती है कि भारत और रूस सरकार के बीच करार किया जा सकता । मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या रूस सरकार इस कारण टाल मटोल कर रही है कि वह भारत सरकार को उनके टीयू-154 विमानों को खरीदने पर जोर दे सके ।

अध्यक्ष महोदय . केवल भाग (क) का उत्तर देने की आवश्यकता है ।

श्री ब० रा० भगत : उन्होंने पूछा था कि क्या हम विचार विमर्श के लिये कोई दल रूस को भेज रहे हैं । हम रूस को कोई दल नहीं भेज रहे हैं ।

श्री एस० एम० कृष्ण मैं इस बात पर जोर देता हूं कि मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूँ कि प्रश्न के केवल (क) भाग उत्तर दिया जाना चाहिये ।

श्री क० लकप्पा : यह दुर्भाग्य की बात है और भारतीय गणराज्य पर भी आक्षेप है कि भारत द्वारा बताये गये मूल्य को सरकार ने स्वीकार नहीं किया जैसा कि राज्य व्यापार निगम ने रूस में हुई पिछली बैठक के बाद उल्लेख किया था । इसके बाद कई श्रृंखलाओं में विचार विमर्श किया गया था । इन विचार विमर्शों के दौरान रूस सरकार को राजी करने के लिये कितने लाख रुपये खर्च किये गये । क्या भारत सरकार इस बारे में अपनी नीति का पुनः निर्धारण करेगी और रूस और भारत सरकार के व्यापार सम्बन्धों में एक नया परिवर्तन इस प्रकार होगा कि भारतीय मूल्य का स्तर बना रहे ।

श्री ब० रा० भगत : इस प्रकार के लम्बे विचार विमर्श में राज्य व्यापार निगम ने अवश्य कुछ खर्च किया होगा। लेकिन वह व्यापार के खाते में किया होगा। यह परम्परागत बात नहीं है कि प्रत्येक विचार विमर्श पर खर्च हुए धन की जानकारी दी जाये। शायद खाता तैयार न हो। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि यह बता सकूं कि राज्य व्यापार निगम ने उक्त विचार विमर्श पर कुल कितनी धनराशि खर्च की।

श्री क० लकप्पा : मैं इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कि रूस सरकार को माल के डिब्बे सप्लाई करने के लिये राजी करने के लिये हुए विचार विमर्श पर कितनी पर कितनी धनराशि खर्च की गई।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें उत्तर देने के लिये जोर नहीं दे सकता।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि सरकार के प्रतिनिधियों और राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधियों ने पहले यह विचार व्यक्त किया था कि हमारे मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्पर्धापूर्ण हैं और विश्व का कोई भी देश वैगन हमसे कम मूल्यों पर सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। यदि हां, तो इस विचार विमर्श के सफल न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रूस सरकार ने इसी प्रकार के माल डिब्बे भारत द्वारा बताये गये मूल्य की तुलना में अन्य देशों से बहुत अधिक मूल्य पर खरीदे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने कहा कि रूस ने अन्य देशों को अधिक मूल्य दिये हैं। परन्तु इस बात का पता लगाने के लिये हमारे पास कोई सरकारी साधन नहीं हैं। लेकिन हमें गैर-सरकार साधनों से यह पता लगा है कि अन्य देशों ने कितने मूल्यों का प्रस्ताव रखा है। हमने उन्हें जो मूल्य बताये थे वे स्पर्धात्मक थे और वे उत्पादन लागत तथा वाणिज्यिक दृष्टिकोण पर आधारित थे। जब तक मूल्यों के बारे में समझौता नहीं होता, इस प्रकार का करार पूरा नहीं होगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने यह पूछा था कि क्या सरकारी प्रतिनिधियों ने पहले यह वक्तव्य दिया था कि हमारे मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्पर्धात्मक हैं और विश्व का कोई भी देश उक्त मूल्यों पर वैगन सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है। मैंने यह भी पूछा था कि क्या अन्य कुछ देशों ने रूस सरकार से हमारी तुलना में वैगनों के अधिक मूल्य प्राप्त किये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : रूस सरकार ने जो हमें विशिष्ट विवरण दिये थे वे विशेष प्रकार के थे और हमारी जानकारी में ऐसे विशिष्ट तुलनात्मक विवरण नहीं है। हमने उन्हें प्रतियोगी मूल्य बताये थे।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या हमारे मूल्य सबसे कम थे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। मैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मजबूर नहीं कर सकता।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has stated that the agreement has not be concluded and the Russian Trade delegation has returned after holding talks. He has also stated that the price, Russia is paying for our wagons is not even enough to cover our cost of production. I want to know under such circumstances on what basis the negotiations are going on. I want to know the difference between the price being paid by Russia and our cost of production ?

श्री ब० रा० भगत : अपने मूल्यों को पहले बताना परम्परागत नहीं है। व्यापार में ऐसा कभी नहीं किया जाता। मैं सरकार द्वारा बताये गये मूल्यों को बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जब इस बारे में कोई करार होगा तब हम उसकी जानकारी सभा को दे देंगे।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Russia has asked for eight wheeler wagons from us. I want to know whether the hon. Minister is aware that there is eight wheeler track in Russia or not. It is possible that Russia, after purchasing wagons from us, may sell them to other countries on profit. How far it is justifiable to have a long term contract of five to seven years when the prices of every thing are going higher every minute ?

Shri B. R. Bhagat : Russia wants these wagons for their newly constructed railway lines under its syberian railways. They have given the specifications according to their requirements.

They do not want to purchase the wagons for supplying them to other countries. whenever long term agreement is entered into the question of increasing and decreasing prices of those wagons is taken into consideration.

श्री स्वैल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारा वैगन उद्योग इस समय प्रतिवर्ष कितने वैगनों का उत्पादन कर रहा है और क्या वह हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है और क्या यह सच है कि अन्य देशों, जैसे दक्षिण कोरिया, बर्मा, श्रीलंका, पूर्व अफ्रीका और पूर्व जर्मनी, से बड़ी मात्रा में क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और उन्होंने वैगनों के लिये अधिक मूल्य देने का प्रस्ताव रखा है ; यदि हां, तो क्या रूस सरकार से सौदा करना उचित होगा ?

श्री ब० रा० भगत : मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि यह बता सकूं कि देश में कुल कितने वैगनों का निर्माण होता है। इसकी जानकारी मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास मन्त्री दे सकते हैं। लेकिन देश वैगन की आंतिरक मांग पूरा करने में समर्थ है और वह वैगनों की अन्तर्राष्ट्रीय मांग को पूरा कर सकता है। हम पहले ही बर्मा, दक्षिण कोरिया, कीनिया, हंगरी और ईरान को वैगनों का निर्यात कर रहे हैं। सूडान और पोलैंड के साथ ठेके किये गये हैं।

भारत में काफी बोर्ड का कार्यकरण

*64. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में भारत में कॉफी बोर्ड के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की अनियमितताएं पायी गईं ; और

(ग) बोर्ड के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं, कॉफी

बोर्ड कानूनी रूप से गठित प्राधिकारी है जिसे कॉफी अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के द्वारा रोजमर्रा का कार्य सौंपा गया है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

श्री ए० श्रीधरन : मैं एक साधारण प्रश्न पूछ रहा हूँ। इसके उत्तर के लिये मन्त्री महोदय को अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी।

अन्य संस्थाओं और निकायों की भांति कॉफी बोर्ड का कार्य विचित्र और खराब है। यह बोर्ड फिजूल खर्चा बहुत करता है। उदाहरण के तौर पर जब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक बंगलौर में हुई थी तब इसने कांग्रेस दल के सदस्यों की बैठक में मुफ्त सैंडविच और कॉफी सप्लाई की थी। कांग्रेसियों को मुफ्त कॉफी देने की बात मैं समझता हूं क्योंकि हमें बताया गया है कि उनके नेताओं द्वारा एकत्रित धन का कोई लेखा जोखा नहीं है। (अन्तर्बाधाएं) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि कॉफी बोर्ड राजनीतिक पक्ष ले रहा है और कांग्रेस दल के सदस्यों को मुफ्त सैंडविच और कॉफी सप्लाई कर फिजूलखर्ची कर रहा है।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : इस प्रश्न का उत्तर अतारांकित प्रश्न के रूप में पहले ही दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह अवश्य पूछें कि ऐसा कौन से कांग्रेस दल ने किया।

श्री क० लकप्पा : सिंडीकेट कांग्रेस ने। ऐसा बंगलौर में हुआ। यह बात समाचार पत्रों में भी छपी थी और बोर्ड की निन्दा की गई थी। माननीय मंत्री जानकारी देने से क्यों हिचक रहे हैं।

श्री ब० रा० भगत : मैंने अभी कोई उत्तर नहीं दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रश्न का उत्तर अतारांकित प्रश्न के उत्तर में पहले ही दिया जा चुका है। कॉफी बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत दो पहलू हैं वाणिज्यिक पहलू और प्रोत्साहन-सम्बन्धी पहलू। ये पहलू कॉफी बोर्ड के सामने हैं। कॉफी बोर्ड कुछ खर्च कॉफी को प्रोत्साहन देने के लिये करता है... (व्यवधान)

श्री ब० रा० भगत : काफी लोग जमा होते हैं जिस में केवल कांग्रेस दल के सदस्य ही नहीं होते बल्कि पत्रकार तथा अन्य व्यक्ति भी होते हैं। इस अवसर पर ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य अवसरों पर भी (व्यवधान)।

श्री बलराज मधोक : आप पत्रकारों का नाम इसमें न लाइये। क्योंकि वे इसका विरोध नहीं कर सकते और आप उन पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री ब० रा० भगत : केवल कांग्रेस अधिवेशन में ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक तथा दूसरे अवसरों पर भी कॉफी बोर्ड कॉफी आदि की व्यवस्था कर देता है।

श्री ए० श्रीधरन : मन्त्री महोदय इस बात की आड़ ले रहे हैं कि यह एक सांविधिक बोर्ड है। भारत सरकार का इस पर कुछ तो नियंत्रण होगा और वह उन्हें निदेश जारी कर सकती होगी। एक ओर तो बेकार व्यय किया जा रहा है और दूसरी ओर कॉफी बोर्ड के

कर्मचारी बोनस के भुगतान के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। क्या उन्होंने भारत सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन भेजा है कि कॉफी बोर्ड उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उनकी उचित मांगों को पूरा करे ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक कर्मचारियों को बोनस देने का सम्बन्ध है, उसे स्वीकार कर लिया गया है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि अधिनियम के अधीन, भारत सरकार को जो शक्ति दी गई है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे बेकार का व्यय न होने पाये। जब भी कभी हमें ऐसे मामले की सूचना मिली है हमने उस पर कार्यवाही की है परन्तु जैसा कि मैंने बताया है यह एक सांविधिक निकाय है। बोर्ड के दैनिक कामकाज को चलाने के लिये संसद ने हमें कोई शक्ति नहीं दी है।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether Coffee Board has served coffee free of charge in meeting of any other political party and if so, in which meeting ? Otherwise is it not political corruption or misuse of power ?

श्री ब० रा० भगत : मैं यह सारी जानकारी प्राप्त करूंगा। परन्तु मुझे पता चला है कि गत दुशहरा समारोहों में भी उन्होंने इसी प्रकार की व्यवस्था की थी। इस प्रकार कई अन्य अवसर भी थे।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में पूछना चाहता था।

श्री ब० रा० भगत : मैं इसका पता लगाऊंगा।

श्री क० लकप्पा : क्या सरकार ने बोर्ड के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है ? हाल ही में कॉफी बोर्ड ने बंगलौर में हुए आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में 45,000 रुपये की कॉफी और सडविच मुफ्त सप्लाई किये थे...**(व्यवधान)**

श्री ब० रा० भगत : नहीं, नहीं।

श्री क० लकप्पा : क्या सरकार अन्य राजनीतिक दलों को उनके सम्मेलनों में निःशुल्क कॉफी सप्लाई करने के लिये कॉफी बोर्ड को विदेश देना सिद्धान्त रूप से स्वीकार करेगी ? **(व्यवधान)**

श्री ब० रा० भगत : मुझे पता चला है कि उस अवसर पर खर्च की गई राशि 9000 रुपये थी, न कि 45,000 रुपये जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है। **(व्यवधान)**

Shri Rabi Ray : This is also a huge.

श्री ए० श्रीधरन : हमारा देश गरीब देश है ; इतनी राशि खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री ब० रा० भगत : मैंने केवल माननीय सदस्य के कथन को ठीक किया है। अब क्योंकि यह प्रश्न उठाया गया है, मैं इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये तैयार हूँ कि क्या भविष्य में राजनीतिक बैठकों में कॉफी बोर्ड को व्यवस्था करनी चाहिये या नहीं ?

सूडान की सरकार को रेल माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों और उपकरणों की सप्लाई

+

*65. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **वैदेशिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूडान की सरकार ने हाल में विभिन्न प्रकार के रेलवे माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों और अन्य उपकरणों की सप्लाई के लिये भारत को क्रयादेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो दिए गये क्रयादेश का ब्यौरा क्या है तथा यह क्रयादेश किन शर्तों पर स्वीकार किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) 120 छत वाले डिब्बे, 43 सवारी डिब्बों के नीचे के फ्रेम और 3,000 स्वचालित कपलरर्स सामान्य शर्तों पर ।

श्री सु० कु० तापड़िया : सामान्य शर्तें क्या हैं ?

श्री बलराज मधोक : क्या सभा में इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये ? स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा गया है कि शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : यह ब्यौरे की बात है । पूरक प्रश्न करते हुए वे ये बातें पूछ सकते हैं ।

श्री बलराज मधोक : जब मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता तो वे पूरक प्रश्न का उत्तर क्या देंगे ?

श्री ब० रा० भगत : छत वाले माल डिब्बे 120—मूल्य लगभग 75 लाख रुपये ; सवारी डिब्बे के नीचे के फ्रेम 43 —मूल्य 35 लाख रुपये ; स्वचालित कपलर 100—मूल्य 2 लाख रुपये ; विभिन्न प्रकार के स्वचालित कपलर 2,900—मूल्य 33 लाख रुपये । इसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया जायेगा और साख-पत्र खोला जायेगा । राज्य व्यापार निगम और सूडान सरकार के बीच लगभग एक करोड़ रुपये के सौदे के लिये विश्व बैंक धन देगा और टेंडरों के माध्यम से ठेका लिया गया है ।

यदि यह ब्यौरा दिया जाता तो उत्तर बहुत लम्बा हो जाता और इसीलिये ऐसा नहीं किया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : एक विवरण साथ लगाया जा सकता था ।

श्रीमती इलापाल चौधरी : सूडान के संचार मंत्री श्री महमूद हसीब भारत आये थे और उन्होंने चित्तरंजन, वाराणसी तथा पैराम्बूर में हमारे सभी कारखानों का दौरा किया था । वह

सवारी डिब्बे बनाने वाली कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं में भी गये थे । मैं यह पूछना चाहती हूं कि इस क्रयादेश में से गैर-सरकारी क्षेत्र को कितना क्रयादेश दिया है और सरकारी क्षेत्र को कितना ? क्या गैर सरकारी क्षेत्र को कोई क्रयादेश दिया गया है ?

चौधरी राम सेवक : 75 लाख रुपये के तथा 2 लाख रुपये के अर्थात् 77 लाख रुपये के क्रयादेश—स्वचालित कपलर और छत वाले डिब्बे—राज्य व्यापार निगम को दिये गये हैं और शेष क्रयादेश गैर-सरकारी फर्मों को दिये गये हैं ।

श्री नि० रं० लास्कर : यह अच्छी बात है कि हम विभिन्न देशों को माल डिब्बों आदि का निर्यात कर रहे हैं । क्या हमारे उद्योग का उत्पादन बढ़ाया गया है जिससे हम निर्यात की सभी मांगों को पूरा कर सकें ?

श्री ब० रा० भगत : जी, हां । जैसा कि मैंने बताया है हम बहुत से देशों को निर्यात कर रहे हैं । क्षमता तो पहले से है । हम अपनी आंतरिक मांग तथा बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय मांग को पूरा कर सकते हैं ।

श्री रा० बरुआ : हमें पता चला है कि रूस भारत की अपेक्षा अन्य देशों को ऐसे डिब्बों के लिये काफी अधिक मूल्य देने की पेशकश कर रहा है । हमारे रेल डिब्बे बनाने वाले उद्योग और निर्माताओं को बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । अब तक उनको आशा थी कि वे रूस को सप्लाई करने के लिये बड़ी संख्या में माल डिब्बे बनायेंगे परन्तु अब वह आशा बहुत कम रह गई है । क्या सूडान को माल डिब्बों की सप्लाई दीर्घावधि के आधार पर की जायेगी और क्या माल डिब्बा निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिये अन्य साधनों अथवा क्षेत्रों का पता लगाया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : यह कोई विशेष ठेका नहीं है । यह दीर्घावधि ठेका नहीं है ।

श्री ई० के० नायनार : समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सरकार रूस को छोड़कर अन्य सभी देशों को माल डिब्बों के सौदों में 20 प्रतिशत राज्यसहायता देती है । क्या सरकार सूडान के इस सौदे में भी 20 प्रतिशत राज्यसहायता दे रही है ?

श्री ब० रा० भगत : निर्यात सहायता पूरे उद्योग को दी जाती है और यह उद्योग की सभी निर्यात वस्तुओं पर दी जाती है ।

श्री ई० के० नायनार : सरकार अन्य देशों को 20 प्रतिशत की जो राज्यसहायता देती है वह रूस को नहीं देती । क्या सरकार रूस के साथ किये गये वैगन के सौदे के सम्बन्ध में भी वह राज्यसहायता दे रही है ?

श्री ब० रा० भगत : हम ऐसी कोई राजसहायता नहीं देते । हम उद्योग को निर्यात के योग्य बनाने के लिये उद्योग को निर्यात सहायता देते हैं । यह सहायता सभी माल डिब्बे बनाने वालों को दी जाती है जो किसी भी देश को निर्यात करने के लिये निर्यात समझौता करते हैं ।

श्री रा० बरुआ : क्या ऐसे उद्योगों को राज्यसहायता देना सरकार की घोषित नीति है ?

श्री ब० रा० भगत : हम राजसहायता नहीं देते हैं। इस शब्द जो छोड़ देना चाहिये।

श्री उमानाथ : यह सहायता उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये दी जाती है।

Shri Hukam Chand Kachuwai : The hon'ble Minister has stated that wagons are being manufactured in private sector. It is understood that more quota is given to big industries and small industries are ignored. Will the Government give assistance to small industries, while booking the order of any other country ? At present discrimination is being done unto them.

Shri B. R. Bhagat : There is no small industry manufacturing wagons. Either it is a big industry or slightly less big industry but there is no discrimination as such from our side.

श्री स० कुण्डू : गत दो वर्षों से देश के पूर्वी भाग में विशेषकर कलकत्ता में वैगन बनाने वाले उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रेलवे इस उद्योग द्वारा बनाये गये डिब्बे खरीदने के लिये तैयार नहीं है। क्या मंत्री महोदय बता सकेंगे कि निर्यात किये जाने वाले माल डिब्बों में से भारत के पूर्वी भाग में स्थिति कारखानों को कितने माल डिब्बे तैयार करने के क्रयादेश दिये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने बताया है यह सच है कि कुछ समय पहले पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता तथा अन्य स्थानों के निकट स्थित माल डिब्बे बनाने वाले कारखानों को संकट का सामना करना पड़ रहा था और उनकी क्षमता अप्रयुक्त पड़ी थी। उनको क्रयादेश मिले हैं परन्तु बिना पूर्व सूचना के मेरे लिये माल डिब्बों की सही संख्या बताना कठिन है।

Shri Tulshidas Jadhav : It has been reported in the Press that Russia have rejected the contract for purchase of wagons on the place that these wagons do not suit their climate. Will Government keep in view this fact while manufacturing wagons and take necessary precautions ?

Shri B. R. Bhagat : We had given specifications keeping in view the climate of that country and they have accepted it.

श्री स० मो० बनर्जी : जब देश में मन्दी का दौर था, विशेषकर इंजीनियरिंग व्यापार में, तो बहुत से वैगन निर्माताओं की समस्त क्षमता अप्रयुक्त पड़ी रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सूडान तथा अन्य देशों को वैगन निर्यात करने के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और यदि हां, तो रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि हुई है और क्या फ़ालतू घोषित किये गये कर्मचारियों को नौकरी में वापिस ले लिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : यह बहुत बड़ा प्रश्न है और यदि मुझे सूचना दी जाये तो इसका अनुमान बताया जा सकता है। इस प्रश्न का सम्बन्ध मुख्यतः औद्योगिक विकास मन्त्रालय से है। हमारा सम्बन्ध केवल निर्यात से है। तथ्य यह है कि यद्यपि वे पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में स्थिति भिन्न है—क्षमता का प्रयोग अब बढ़ गया है और यदि हमें रूस से या किसी अन्य देश से कोई क्रयादेश मिलते हैं तो हमें न केवल पूरी क्षमता का प्रयोग करना पड़ेगा बल्कि अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री स० कुण्डू : प्रश्न यह है कि जहां क्षमता है उन्हें क्रयादेश नहीं दिये गये हैं और नई क्षमता की व्यवस्था की जा रही है । क्या मन्त्री महोदय इस समस्या पर विचार करेंगे ? क्योंकि यह एक गम्भीर बात है क्योंकि हजारों कर्मचारियों की छटनी की जा रही है ।

श्री ब० रा० भगत : नई क्षमता की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है ।

Shri K. N. Tiwary : Is it a fact that wagon manufacturers had given a memorandum to West Bengal Government and West Bengal Government recommended to the Central Government that they have the capacity, workers are sitting idle and they have no work to do. Government should pay attention towards this. If this is correct they may I know the contents of the communication sent by West-Bengal Government and action taken by the Central Government thereon ?

Shri B. R. Bhagat : This is a fact. West Bengal Government had written about not only wagon manufacturers but about entire engineering industry. They had stated that workers were sitting idle, they should be given work by Railways or they should be given export work. Sufficient progress has been made on both the sides and the situation is much better now.

औद्योगिक एककों का विस्तार

\+

*66. **श्री वासुदेवन नायर** : **श्री जनार्दनन** :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 40 औद्योगिक एककों को इस दृष्टि से विस्तार की अनुमति देने के बारे में निर्णय किया है कि वे विदेशों को अपना माल निर्यात कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं जिनके विस्तार का प्रस्ताव है और किन-किन वस्तुओं का निर्यात किये जाने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख). हाल ही में घरेलू मांग में पुनः उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप किन्हीं क्षेत्रों में निर्यात क्षमता में कमी होने की संभावना है और निर्यात किये जाने योग्य फालतू माल में कमी आने की आशंका है । विदेशी व्यापार मंत्रालय इस समय उन औद्योगिक एककों और उत्पाद-क्षेत्रों का पता लगाने के लिए व्यस्त है, जहां हमारे निर्यातों में 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से यौगिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात की गति को बनाये रखने के लिए क्षमता के विस्तार की आवश्यकता है । क्षमता के विस्तार के लिए कुछ आवेदन-पत्र भी प्राप्त हुए हैं और वे विचाराधीन हैं । क्षमता के विस्तार के लिए ठोस सुझावों के बाद इन आवेदन-पत्रों को सलाह के लिए लाइसेंसिंग समिति को भेजा जायेगा । वर्तमान अवस्था में सम्बन्धित एककों की सूची देना सम्भव नहीं है । फिर भी इस सम्बन्ध में अब तक चिन्हित की गई उत्पाद लाइनों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है ।

विवरण

अब तक चिन्हित लाइनों की सूची

सिलाई की मशीन

ड्राप फ़ोर्जड हैंडटूल्स

स्माल कटिंग टूल्स

ड्राई बैटरिया

स्टोरेज बैटरियां

इस्पात की ट्यूबों के लिए सट्रैच--रीडक्शन मिल

ब्राइट बार्स एण्ड शेफ्टिंग्स

रेडियो रीसीवर और इलैक्ट्रानिक कम्पोनेंट्स

प्रोपेर्जी राड्स

रेफरीजरेट्रस

डीजल इंजन

फ़्यूल इन्जेक्शन इक्विपमेंट

बाइसिकल और उसके हिस्से ।

श्री वासुदेवन नायर : यह सम्भव है कि ऐसी वस्तुओं की मांग अब बढ़ गई है जिसके निर्यात की आवश्यकता है और कुछ कारखानों के विस्तार की आवश्यकता हो । परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने कारखानों के विस्तार के लिए बहुत ब्यौरेवार, कड़े और ठोस सिद्धांत बना रखे हैं और क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी कि जब इस प्रकार का विस्तार होता है तो उससे उद्योग के क्षेत्र में अग्रेतर एकाधिकार न बढ़ने पाये और यह विस्तार सरकार की इस घोषित नीति के अनुसार हो कि एकाधिकार के अग्रेतर विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यह महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है और इस ओर ध्यान दिया जायेगा । इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है और अब यह विचार बन रहा है कि जो कारखाना काफी निर्यात कर सके, उसे लाइसेंस दिया जा सकता है और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । परन्तु यह पर्याप्त क्षमता प्रत्येक कारखाने के सम्बन्ध में अलग अलग होगी और यह सम्भव है कि वह बहुत बड़ा व्यापार अथवा एकाधिकार गृह हो, यदि यह ऐसा उत्पाद है जिसके लिए लाइसेंस देना पड़ता है तो वह शत प्रतिशत के आधार पर हो सकता है, परन्तु यदि कुछ अन्य उत्पाद कम मात्रा में निर्यात वाले हों तो फिर क्षमता कम हो जायेगी और यह 20 या 25 प्रतिशत रहेगी परन्तु यह स्थिति प्रत्येक उद्योग के लिए भिन्न होगी और यह उत्पादन करने वाले उपक्रमों पर भी निर्भर करता है ।

श्री वासुदेवन नायर : मैं सरकार से विशेष रूप से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वे नये उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेंगे जो निर्यात की जाने वाली मदों का उत्पादन करने के लिए क्षेत्र में आ रहे हैं।

श्री ब० रा० भगत : नये उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा परन्तु स्पष्टतः नया उद्यमी शत प्रतिशत निर्यात के लिए उत्पादन नहीं कर सकता, अतः इस प्रकार के मामले में अन्य मामलों से प्रचुर क्षमता भिन्न होगी, जहां विस्तार करके कोई उपक्रम शत प्रतिशत, 80 प्रतिशत अथवा 90 प्रतिशत निर्यात कर सकेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विश्व के बाजारों में चाय की कीमतों का गिरना

*63. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में चाय के मूल्य में सम्भावित कमी का चाय के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(ख) क्या सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने का विचार है कि इस कारण चाय उद्योग को हानि न हो ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). चाय के विश्व मूल्यों में लगातार गिरावट का कुप्रभाव भारत सहित सभी चाय निर्यातक देशों की विदेशी मुद्रा की आय पर पड़ता है। फिर भी, इस कुप्रभाव का ठीक-ठीक अनुमान लगाने का अभी वक्त नहीं आया है। चाय मूल्यों को स्थिर करने के उपायों पर खाद्य तथा कृषि संस्था के तत्वावधान में विचार किया जाता रहा है। चाय निर्यातक देशों की मारीशस में हुई एक बैठक में इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि 1970 में अनुमानित निर्यातों से 9 करोड़ पौण्ड चाय की कमी कर दी जाएगी। उत्पादक तथा बड़े आयातक देशों की एक चाय परामर्श समिति बनाई गई है जो इस विनिश्चय को कार्यान्वित करेगी और मूल्यों को स्थिर करने के लिए आवश्यक अन्य उपायों का अध्ययन करेगी।

जहां तक भारतीय चाय उद्योग का सम्बन्ध है, अक्तूबर 1968 और मार्च 1969 में निर्यात तथा उत्पादन शुल्कों में भारी राहत दी जा चुकी है।

Arms Supply to Pakistan by U. S. S. R.

*67. **Shri Sheopujan Shastri : Shri Manibhai J. Patel : Shrimati Sushila Rohatgi : Shri Tulshidas Jadhav : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the quantity of arms and the number of aircraft supplied to Pakistan by U. S. S. R. so far ; and

(b) the result achieved from the protests lodged by Government ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) According to our information, the Soviet Union supplied tanks, 130 mm guns, and ammunition, radar sets, helicopters, spare parts for tanks and other miscellaneous Military stores. Though sufficiently reliable figures of the quantities are known, it would not be desirable to reveal them.

(b) We have conveyed to the Soviet authorities our concern over these supplies. It has been pointed out to them that any accretion to the armed strength of Pakistan, particularly because of Pakistan's military collusion with China, poses a gave threat to India's security and that supplies of arms to Pakistan would accentuate tension in the sub-continent. We hope that Soviet Government and other governments will take due note of this.

रबात सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को शामिल न होने देना

*८8. **श्री बे० कु० दास चौधरी : श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अ० कु० गोपालन : श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आमंत्रित भारतीय शिष्ट मण्डल को रबात के इस्लामी शिखर सम्मेलन में भाग लेने से रोक दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतीय प्रतिनिधिमंडल को इस सम्मेलन के समापन अधिवेशन में भाग लेने से रोक दिया गया था ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मान्य और स्थापित तरीकों के विरुद्ध जिस असाधारण ढंग से इस सम्मेलन में कार्य हुआ है उस पर भारत सरकार ने अपना आक्रोष प्रकट किया है । मोरक्को स्थित भारतीय राजदूत तथा जोर्डन स्थित कार्यनायक को वापस बुला लिया गया है ।

एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग के क्षेत्र में आने वाले देशों में क्षेत्रीय प्राथमिकता तथा भुगतान की व्यवस्था

*69. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के क्षेत्र में आने वाले देशों में क्षेत्रीय प्राथमिकता तथा भुगतान की व्यवस्था करने की पद्धति संबंधी भारतीय प्रस्ताव का जापान ने कड़ा विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का सही स्वरूप क्या है तथा जापान ने किन आधारों पर इसका विरोध किया है ;

(ग) इस क्षेत्र के उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं ; और

(घ) प्रस्ताव की स्वीकृति के लिये सरकार और क्या उपाय कर रही है ?

वैदेशिक व्यापा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). दिसम्बर 1968 में एशियाई आर्थिक सहयोग के विषय में हुए तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में लिये गये संगत निर्णयों के अनुसरण में हाल के पिछले कुछ वर्षों में हुई विभिन्न इकाफे बैठकों में क्षेत्रीय भुगतान प्रबन्धों को सम्यक रूप से समाविष्ट करते हुए एक एशियाई व्यापार विकास तथा उदारीकरण कार्यक्रम बनाने के सुझावों और योजनाओं पर विचार किया गया है। किसी विशेष देश ने न तो कोई ठोस प्रस्ताव रखा है और न किसी देश ने विचाराधीन सुझावों तथा योजनाओं का विरोध ही किया है। ठोस योजना के विषय में मतैक्य पर पहुंचने के विचार से ग्रुप-वार्ताएं चल रही हैं। क्षेत्रीय अधिमानों और विशिष्ट भुगतान व्यवस्थाओं के हक में आये सुझावों को इकाफ के अनेक देशों से सामान्य समर्थन मिला है परन्तु किसी भी देश ने अभी तक कोई वचनवद्धता नहीं की है। इस बहु-कार्य अनुष्ठान में भारत सरकार का राष्ट्रीय एकक इस क्षेत्र के अन्य राष्ट्रीय एककों तथा इकाफे कार्य दल के साथ घनिष्ट सहोयग से कार्य कर रहा है।

हनोई में भारतीय मिशन का दर्जा उन्नत करना

*70. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री गु० च० नायक :
श्री सीताराम केसरी :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री झारखंडे राय :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वंशनारायण सिंह :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्रविचन :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री पीलु मोदी :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री स० कुन्दू :
श्री बलराज मधोक :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री लखन लाल कपूर :
श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनोई स्थित हमारे मिशन का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या अमरीका सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्तूबर, 1969 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि दक्षिण वियतनाम ने अनौपचारिक रूप से सरकार से कहा है कि यदि भारत ने हनोई स्थित अपने मिशन का दर्जा बढ़ाया तो सैगोन सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकेगी ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त दक्षिण वियतनाम सरकार के अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि दोनों देशों में परस्पर सम्बन्ध सुदृढ़ करने की जो इच्छा है उसे पूरा करने के लिए क्या करना सर्वोत्तम रहेगा ।

(ख) दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की सीमा और स्वरूप का निर्णय करना भारत सरकार का काम है । किसी तीसरे देश के किसी विरोध पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता । लेकिन, अमरीका सरकार ने हमें अपने विचारों से अवगत कराया है क्योंकि वियतनाम में वे उलझे हुए हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) यह रिपोर्ट ठीक नहीं है । दक्षिण वियतनाम की सरकार की ओर से ऐसा कोई विरोध नहीं आया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

वैदेशिक व्यापार का राष्ट्रीयकरण

*71. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री दे० अमात :
श्री मीठालाल मीना :
श्री मुत्तुस्वामी :

क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संपूर्ण वैदेशिक-व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). जी नहीं । परन्तु, आयात तथा निर्यात व्यापार में राज्य व्यापार अभिकरणों के कार्यक्षेत्र का उत्तरोत्तर विस्तार करने का, विशेषतया इन अभिकरणों को कच्चे माल के आयात का कार्य सौंपने की प्रक्रिया को तीव्र करने का विचार है ।

एशिया की सुरक्षा के लिये ब्रेझनेव योजना

*72. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके हाल के मास्को के दौरे का क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या रूसी अधिकारियों ने 'एशिया सुरक्षा व्यवस्था" नामक ब्रेझनेव योजना के अर्थ का स्पष्टीकरण किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या रूस सरकार भारत में बढ़िया किस्म के मिग-21 विमान के निर्माण के नये करार के लिए सहमत हो गई है ; और

(ङ) भविष्य में पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देने की रूसी योजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (घ). रक्षा मन्त्री के हाल के सोवियत संघ के भ्रमण ने सोवियत संघ के रक्षा मन्त्री तथा अन्य नेताओं के साथ सांझी रूचि की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श का अवसर प्राप्य किया। इन विचार विमर्शों के विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) और (ग). सदस्य महोदय शायद सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रथमसचिव श्री ब्रेज्नेव के 7 जून, 1969 के एक वक्तव्य में उन द्वारा किन्हीं कथनों का उल्लेख कर रहे हैं। विभिन्न साधनों से स्पष्टीकरणों से पता चलता है कि अवेक्षित प्रबन्ध यह है कि समस्त एशयायी देश अपने मतभेद दूर करने के लिए बल प्रयोग त्याग दें। और आर्थिक विकास के लिए सहयोग दें।

(ङ) पाकिस्तान को आयुधों और सैनिक साजसामान की सप्लाई के संबंध में सरकार के विचार यू० एस० एस० आर० सरकार को पुनः अवगत कराए गए थे। ऐसा प्रत्याशित है कि सोवियत संघ हमारे विचारों को उचित महत्व देगा।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के विलय के बारे में अध्ययन दल

*73. **श्री स० मो० बनर्जी** : **डा० रानेन सेन** :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के मजबूत मिलों के साथ संभाव्य विलय के परिणामों पर विचार करने के लिये अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस दल में कौन-कौन व्यक्ति हैं और यह दल कब अपना कार्य आरम्भ कर देगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकारियों के दल में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

1. वस्त्र आयुक्त।
2. प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
3. आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
4. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
5. विदेशी व्यापार मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

दल पहले से ही कार्य कर रहा है और इसके प्रतिवेदन के शीघ्र ही मिलने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वियतनाम के मामले पर अमरीका और भारत में बातचीत

*74. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह हाल ही में अमरीका गये थे ;

(ख) वहां पर हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वहां वियतनाम के मामले पर भी विचार विमर्श हुआ था ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय पर दोनों ओर से क्या विचार व्यक्त किये गये और क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महा सभा अधिवेशन में शामिल होने के सिलसिले में 25 सितम्बर से 6 अक्तूबर 1969 तक संयुक्त राज्य अमरीका में थे। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने विभिन्न देशों के बहुत से नेताओं से विविध विषयों पर विचार विमर्श किया। इस बातचीत का ब्यौरा बताना संभव नहीं है क्योंकि यह गोपनीय थी।

(ग) जी हां।

(घ) बहुत से देशों के प्रतिनिधियों से वियतनाम के प्रश्न पर भी विचारविनिमय हुआ था। यह विचार-विनिमय गोपनीय था। विशेष निर्णय लेना इस विचार-विमर्श का प्रयोजन नहीं था।

Violation of Secular Policy by Attempts to Participate in Rabat Conference

75. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Samar Guha :
Shri S. A. Agadi :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri Baswant :
Shri B. P. Mandal :
Shri P. N. Sonlanki :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India had tried to get the invitation for Summit Conference of Muslim countries in Rabat ;

(b) the reasons for which Shri Fakhruddin Ali Ahmed visited Rabat and the manner and the capacity in which he went there ;

(c) whether India is a secular State and if so, in what capacity India wanted to take part in the Islamic Summit Conference ;

(d) the reaction of Government to the treatement meted out to the Indian delegation in Rabat ; and

(e) the policy to be adopted by Gevernment in regard to the future Islamic Conferences ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) There had been suggestions that India should participate in the Rabat Conference. Government of India had made it known that if invited they would attend the Conference.

(b) Shri Fakhruddin Ali Ahmed visited Rabat in the capacity of leader of the Indian delegation to the Rabat Conference.

(c) India is a secular State. In the view of the Government the Conference at Rabat although organised under the label of an Islamic Conference, was to consider important political issues concerning the region. Keeping in view our national interests, it was considered desirable to accept the invitation to attend the Conference.

(d) The Government of India has expressed its anguish and resentment at the developments which led to the exclusion of our delegation from the concluding session. The Indian Ambassador to Morocco and Charged' Affairs in Jordon have been recalled.

(e) Invitation to any future Conference of this nature, will be considered on its merits The decision, whether or not to accept it, will rest on the circumstances and the nature of the Conference. Of course, India will not participate in purely religious Conferences at Government level.

भूतपूर्व सैनिकों को ऋण

*76. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जमानत या जामिन के आधार पर नहीं बल्कि केवल श्रम क्षमता के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों को ऋण देने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : जी नहीं ऐसा कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

रबात सम्मेलन में सम्मिलित होने का भारत का निर्णय

*77. श्री जय सिंह :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री हेम राज :
श्री द० रा० परमार :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री देवेन सेन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री किंकर सिंह :
श्री पी० एन० मेहता :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल-अक्सा मस्जिद को जलाये जाने की घटना पर इसराइल की निन्दा करने के उद्देश्य से बलाये गये मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों के रबात सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत ने कोई निमंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निमंत्रण प्राप्त होने के पश्चात 24 घंटे से भी कम समय के अन्दर औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल रबात गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मामले में मंत्रिमंडल की स्वीकृति नहीं ली गई थी और प्रधान मंत्री भी दिल्ली से बाहर दौरे पर गई हुई थीं ;

(घ) यदि हाँ, तो प्रतिनिधि मण्डल को किसने अनुमति दी थी ; और

(ङ) उस सम्मेलन में भारत को भाग लेने से हमारा जो अपमान हुआ है उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) इस तरह के सुझाव दिये गये थे कि भारत को रबात सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। भारत सरकार ने यह बता दिया था कि अगर निमंत्रण दिया गया तो भारत इस सम्मेलन में भाग लेगा।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय सरकार द्वारा सर्वोच्च स्तर पर किया गया था। इसके लिये मंत्रिमंडल के अनुमोदन की जरूरत नहीं थी।

(ङ) जिन घटनाओं के कारण हमारे प्रतिनिधि मंडल को समापन समारोह से बाहर रहना पड़ा उन पर भारत सरकार ने अपना आक्रोष और नाराजगी प्रकट की है। मोरक्को से भारतीय राजदूत और जोर्डन से भारतीय कार्यनायक को वापस बुला लिया गया है।

'अल फतह' शिष्टमण्डल की भारत यात्रा

* 78 **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'अल फतह' शिष्टमण्डल ने सितम्बर, 1969 के अन्तिम सप्ताह में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) इस शिष्टमण्डल द्वारा भारत की यात्रा करने का उद्देश्य क्या था और उन्होंने किन-किन स्थानों की यात्रा की ;

(ग) भारत में उनका क्या कार्यक्रम था ; और

(घ) ऐसे संगठन के प्रतिनिधियों को भारत-यात्रा की अनुमति देना गुट-निरपेक्ष नीति के कहां तक अनुरूप था जिसका कि भारत सदा समर्थन करता रहा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ). अफ्रो-एशियाई एकता के लिए भारतीय एसोसियेशन के नियंत्रण पर, जो कि एक गैर-सरकारी संगठन है 'अल-फतह' के तीन सदस्य भारत आये थे। यह समझा जाता है कि दिल्ली के अतिरिक्त वे लोग लखनऊ, कानपुर, पटना, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और हैदराबाद भी गए थे जहां उन्होंने सभाओं में भाषण किये और कुछ लोगों से मुलाकात की। एक गैर-सरकारी संगठन के निमंत्रण पर अल-फतह के कुछ सदस्यों के आने से भारत की गुटों से अलग रहने की नीति पर कोई असर नहीं पड़ता।

भारतीय नागरिकता और राष्ट्रीयता नियमों पर पुनर्विचार

*79 श्री धीरेश्वर कलिता : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 30 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 229 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नागरिकता तथा राष्ट्रीयता नियमों के बारे में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

आधुनिकतम राडार तथा सूक्ष्म तरंग उपकरणों के निर्माण के लिये भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के अधीन एक नये कारखाने की स्थापना

*80. **श्री कं० हाल्दर** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 30 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1559 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिकतम राडार और सूक्ष्म तरंग उपकरणों की मांग को पूरा करने के लिये भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के अधीन एक नया कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सुझाव के विस्तारों की अन्तिम रूपरेखा अभी तैयार की जानी है ।

चीन द्वारा हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया जाना

*81. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने हाल में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीन से खतरा बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस खतरे का सामना करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चीन ने 29 सितम्बर 1969 को एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था ।

(ख) और (ग). अपनी सुरक्षा के लिए संकट का निर्धारण और उसका सामना करने के लिए उठाए गए पग 23 जुलाई 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 462 और 495 के उत्तर में दर्शाए गए थे ।

चण्डीगढ़ पर पंचाट

*82. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने या उन्होंने पंजाब को चण्डीगढ़ देने का बचन दिया हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा वचन कब तक किन परिस्थितियों में दिया गया था ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी योजना के लिये केरल सरकार की औद्योगिक योजना

*83. **श्री ई० के० नायनार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार केरल सरकार के आयोजन सलाहकार निकाय द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भेजी गई औद्योगिक योजना को स्वीकार करने का है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : योजना आयोग को केरल सरकार से ऐसी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

Uniform Code of Conduct for all Communities

84. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even while aiming at maintaining unity in the public, different codes are prevalent in the country ;

(b) whether it is also a fact that it is different to establish unity unless it is established in behaviour and conduct ; and

(c) whether Government propose to set up a uniform code which should be equally applicable to people belonging to all faiths and communities ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The Government have codified almost all branches of civil law in India, except personal laws applicable to certain sections of society. In a vast country like India, inhabited by people of many faiths and belonging to the various tribal and other communities constituting the Indian Nation, it is inevitable that there should be variations in regard to personal laws governing matters like marriage, divorce and inheritance.

(c) Government have no such proposal under consideration at present. The House will appreciate that in such matters any suggestions for a uniform code must necessarily emerge on the basis of understanding and agreement among the sections of society who may be directly affected by the proposed measures. Government hope that with the passage of time, such understanding will be forthcoming.

रबात में इस्लामी शिखर सम्मेलन में भारत का भाग लेना

*85. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबात में इस्लामी शिखर सम्मेलन में निमन्त्रण प्राप्त करने

तथा भाग लेने के लिए मन्त्रीमण्डल ने निर्णय लिया था, यदि हां, तो ऐसा करने के कारण क्या थे ;

(ख) यदि नहीं, तो जिस मन्त्रालय ने निर्णय लिया उसका नाम क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद का वैदेशिक कार्य मन्त्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है, किन कारणों से भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व करने के लिए उनसे कहा गया था ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस्लामी शिखर सम्मेलन वास्तव में एक धार्मिक और साम्प्रदायिक सम्मेलन था जिसकी कार्यवली में केवल अलअक्सा मस्जिद में आग लग जाने का विषय था।

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). रबात में प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय सरकार द्वारा सर्वोच्च स्तर पर लिया गया था । विदेशों के साथ भारत के संबंधों का संचालन विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इस मामले में मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) ऐसा समझा गया था कि फखरुद्दीन अली अहमद प्रभावशाली ढंग से इस प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व करेंगे।

(घ) जी नहीं। कार्यसूची के अधिकांश विषय समूचे क्षेत्र से सम्बद्ध राजनीतिक मसलों से सम्बन्धित थे।

नागालैण्ड में नरमुण्ड आखेट (हैड हंटिंग)

*86. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में नरमुण्ड आखेट के समाचार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) अब तक कितने मामलों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). गत कई वर्षों से नागालैंड में नरमुण्ड आखेट की कोई खबर नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Al-Fateh Office in Delhi

87. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the Al-Fatah delegation which visited India in September 1969 sought the permission of Government to open a mission in India ;

(b) whether it is proper for Government to entertain such request ;

(c) whether this request has been granted ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (d). Three members of Al-Fatah who visited India at the invitation of the Indian Association for Afro-Aslan Solidarity refferred to the question of opening an Information Office in India. Permission has not been given.

पूर्वी जर्मनी को राजनयिक मान्यता

*88. **श्री जे० अहमद :**

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वी जर्मनी के 20 वे वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिये एक सरकारी शिष्टमंडल सोफिया भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उस शिष्टमंडल ने पूर्वी जर्मनी की सरकार को यह आश्वासन दिया था कि भारत सरकार शीघ्र ही पूर्वी जर्मनी को राजनयिक मान्यता प्रदान करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यह निर्णय कब किया था ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार-निगम के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन

*89. **श्री जि० मो० बिस्वास :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री 30 जुलाई, 1969 अतारांकित प्रश्न संख्या 1435 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य-व्यापार निगम सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति ने इस बीच सरकार को अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभापटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1990/69**]

(ग) प्रतिवेदन विचाराधीन है।

Opening of Separate Cells for Ex-Servicemen in Employment Exchanges

90. *Shri Nihal Singh :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government propose to open separate cells for ex-servicemen in each Employment Exchange of the country so that they may get early employment ;

(b) if so, the time by which the above scheme will be introduced ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). In order to improve the placement of ex-servicemen through employment exchanges it has been suggested to the State Governments that a special cell may be set up in each State Directorate of Employment. With the transfer of financial control of Manpower and Employment Schemes to the States with effect from 1st April, 1969, it will be for the State Governments to take a decision in this matter.

छोटा नागपुर के लिए अलग विकास बोर्ड

402. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हे छोटा नागपुर 'सोशलिस्ट फोरम' से कोइ ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य द्वारा विमाता जैसा व्यवहार किये जाने की शिकायत करते हुए यह अनुरोध किया गया है कि बिहार में छोटा नागपुर के लिए एक अलग बोर्ड बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह विषय राज्य सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः इसे राज्य सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है ।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

403. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969-70 से 15 वर्षों की अवधि में जपान को 1250 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए बातचीत मार्च, 1969 के आरम्भ में शुरू हुई थी परन्तु वह पूरी नहीं हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस विलम्ब का कारण यह है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम मंत्रीमंडल की अनुमति प्राप्त नहीं कर सका था क्योंकि मंत्रीमंडल राजनैतिक कार्यों में व्यस्थ था ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इस मामले में आस्ट्रेलिया के प्रतियोगियों ने इस बीच जापान में सफलता प्राप्त कर ली है ; और

(घ) क्या इस सौदे की अब अनुमति दे दी गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जापान को 20 करोड़ टन से अधिक के लौह अयस्क बेचने के विषय में जापानी इस्पात मिलों के साथ बातचीत पहली बार अप्रैल-मई, 1969 में हुई बातचीत का दूसरा दौर इस समय चल रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी, नहीं । आस्ट्रेलिया जापान को लौह अयस्क के मुख्य पूर्तिकर्ताओं में से एक है ।

(घ) जैसा की ऊपर संकेत दिया गया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम का शिष्टमंडल इस समय जापान में है और जापानी इस्पात मिलों के साथ बातचीत कर रहा है ।

विदेशों के साथ व्यापार करार

404. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में भारत ने अन्य देशों के साथ कितने व्यापार करार किये ;

(ख) किन-किन देशों के साथ करार किये गये हैं ;

(ग) इन करारों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ।

(घ) क्या अन्य देशों के साथ दिये गये वस्तुओं के निर्यात सम्बन्धी करारों में हथकरघा कपड़ा भी शामिल है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक देश को लगभग कितने मूल्य का हथकरघे के कपड़े का निर्यात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). 1968-69 वर्ष में सरकार ने निम्नलिखित देशों के साथ आठ व्यापार करार/प्रबन्ध किये :

थाईलैण्ड, सूडान, बलगारिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, पोलैण्ड, रूमानिया, कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य तथा अफगानिस्तान ।

(ग) इन करारों का ब्यौरा "इंडीयाज ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज" नामक प्रकाशन में किया गया है, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(घ) और (ङ). पोलैण्ड, बलगारिया तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के साथ हमारे व्यापार करारों में हथकरघा कपड़े के निर्यात को विशेष रूप से शामिल किया गया है । अन्य देशों के साथ किये गये व्यापार करारों में इस मद का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है,

फिर भी इन देशों के आयातकों तथा भारतीय निर्यातकों के बीच होने वाली संविदाओं के अनुसार इन देशों के वस्त्र के अन्तर्गत हथकरघा कपड़े का निर्यात किया जा सकता है।

व्यापार करारों में हथकरघा कपड़े के निर्यात के लिये कोई विशेष मूल्य सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

गुजरात से प्रादेशिक सेना कमीशन प्राप्त असैनिक राजपत्रित सरकारी कर्मचारी

405. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात से प्रादेशिक सेना कमीशन प्राप्त असैनिक राजपत्रित सरकारी कर्मचारी कितने हैं ;

(ख) क्या इन अधिकारियों को आपात काल में सेवा के लिए बुलाया गया था ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उनके मूल विभागों में पदोन्नतियों के लिए उनके हितों का ध्यान रखा गया है ; और

(घ) क्या इनमें से किसी अधिकारी की पदोन्नति के मामले में उपेक्षा की गई है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

हांगकांग में औद्योगिक प्रदर्शनी

406. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1969 में हांगकांग में हमारे देश ने एक औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई थी ;

(ख) उस पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) इस प्रदर्शनी के कारण कुल कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) प्रदर्शनी पर व्यय की गई कुल राशि 79,400 रु० के लगभग थी जिसमें से 16,518 रु० की राशि सरकार द्वारा और शेष हांगकांग में भारतीय व्यापार समुदाय द्वारा व्यय की गई।

(ग) यद्यपि प्रदर्शनी में कोई विशेष क्रयादेश प्राप्त नहीं हुए, फिर भी 2200 के लगभग प्राप्त हुई व्यापारिक पूछताछ के कारण पर्याप्त व्यापार होने की आशा है। तथापि, प्रदर्शनी में 80,000 रु० के लगभग का प्रदर्शित सामान बेचा गया।

Soviet Interference in Czechoslovakia

407. **Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Russian Statesmen was drawn by him to the interference in the internal affairs of Czechoslovakia during his talks with them ;

(b) if so, what are their reaction ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). The talks were of a confidential nature and it is not the practice to divulge details.

मेरीनों ऊन का आयात

408. **डा० कर्णी सिंह :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में मेरीनों ऊन का आयात किया जाता है और विभिन्न राज्यों में किस प्रतिशतता से इसका वितरण किया जाता है ;

(ख) क्या राजस्थान को उसका उचित भाग मिल रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मैसर्स चारसहोजरी, बीकानेर से उन्हें मेरीनों ऊन की सप्लाई करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). आस्ट्रेलिया से आयातित कच्ची ऊन का जो सामान्यत मेरीनों ऊन होती है, परिमाण तथा मूल्य निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	परिमाण	मूल्य
	परिमाण लाभ किग्रा० में	मूल्य लाख रु० में
1966-67	110	1110
1967-68	116	1104
1968-69	117	1101

(ये आंकड़े वास्तविक उपयोक्ताओं तथा पंजीयित निर्यातकों हेतु आयातों के हैं । वास्तविक उपयोक्ताओं से सम्बन्धित अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

वास्तविक उपयोक्ताओं को आयातित ऊन का आवंटन मान्यता प्राप्त स्थापित क्षमता के के आधार पर अर्थात वर्स्टेड बुनाई क्षेत्र में प्रति करघे के आधार पर, वर्स्टेड कर्तन क्षेत्र के मामले में प्रति तकुए के आधार पर और होजरी तथा निटिंग ऊन क्षेत्र के मामले में विहित आधारभूत अवधियों के दौरान हुई खपत के आधार पर किया जाता है । उपरोक्त नीति के अनुसार आवंटन के पात्र राजस्थान के मान्यता प्राप्त एककों को उनका कोटा नियमित रूप से मिल रहा है ।

2. हौजरी क्षेत्र के मामले में आयातित कच्ची ऊन का आबंटन सामान्यत: विहित आधारभूत अवधि अर्थात 1956 से 1959 तक की विगत खपत के आधार पर किया जाता है। चूंकि पारस हौजरी, बीकानेर इस अवधि के बाद खुली थी अत: वह देश के अन्य एककों की भाँति नियमित कोटे की पात्र नहीं है फिर भी उन्हें नियमित आबंटन के लिये अपात्र एककों के लिये रखे गये भण्डार में से थोड़ा आबंटन किया जाता है। चूंकि किसी भी एकक के बारे में कोई अपवाद नहीं किया जा सकता, अतः अधिक आबंटन हेतु इस एकक के अभ्यावेदनों को अस्वीकार कर देना पड़ा।

Prime Minister's visit to various Countries

409. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the names of countries visited by her during the period from 1966 to July, 1969 ;

(b) the names of those countries among them from which she received gifts ; and

(c) the number of those gifts which were deposited by her in Government treasury ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) A statement giving the requisite information is placed on the Table of the House.

STATEMENT

Name of the country visited	Period of visit
France and U. S. A.	24.3.66 to 3.4.66
U. A. R., Yugoslavia and Russia.	7.7.66 to 17.7.66
Nepal.	4.10.66 to 7.10 66
Ceylon.	18.9.67 to 24.9.67
Moscow, Poland, Yugoslavia, Bulgaria, Romania and U. A. R.	8.10.67 to 21.10.67
Moscow.	6.11.67 to 8.11.67
Sikkim and Bhutan.	3.5.68 to 6.5.68
East Asian Countries (Singapore, Australia, Newzealand and Malaysia).	18.5.68 to 1.6.68
Latin American Countries : Brazil, Uruguay, Argentina, Chile, Peru, Colombia, Venezuela, Trinidad and Tobago and Guyana.	21.9.68 to 17.10.68
United Kingdom.	5.1.69 to 11.1.69
Burma.	27.3.69 to 30.3.69
Afghanistan.	5.6.69 to 10.6.69
Japan and Indonesia.	23.6.69 to 3.7.69

(b) As has been stated in the House on an earlier occasion, the disclosure of information asked for would entail embarrassing comparisons as between one friendly country and another and it would not be in the public interest to disclose such details.

(c) Except for a small number of gifts, of trifling value, which were retained in accordance with the relevant rules, most of them have either been deposited with the Toshakhana or kept in safe custody by the Government for purposes of display or for use

at the official residence of the Prime Minister. With regard to the remaining ones, a Committee has been formed to recommend the manner in which they should eventually be utilised or disposed of.

इस्लामी शिखर सम्मेलन

410. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोरक्को में रबात में हुए इस्लामी शिखर सम्मेलन में भाग लेने जो भारतीय शिष्ट-मंडल गया था, उस पर कुल कितना खर्च हुआ है ; और

(ख) इस कार्य के लिये कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). रबात में जो इस्लामी सम्मेलन हुआ था उसमें जाने वाले प्रतिनिधिमंडल पर 49,705,81 रुपये खर्च हुए थे जिसमें 3,306-81 रु० की विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी।

कपड़ा मशीनों का निर्यात

411. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कुछ अन्य देशों को कपड़ा मशीनों का निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कपड़ा मशीनों का निर्यात किन देशों को किया जा रहा है ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में कितने मूल्य की कपड़ा मशीनों का निर्यात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत से कपड़ा मशीनों का निर्यात

(मूल्य लाख रुपयों में)

देश	1968-69	1969-70 (अप्रैल-अगस्त)
1	2	3
श्रीलंका	18	8
चैकोस्लोवाकिया	---	31
पूर्वी जर्मनी	1	5
इथोपिया	15	2

1	2	3
केन्या	26	2
सऊदी अरब	9	नगण्य
सिंगापुर	1	1
यूगांडा	4	1
संयुक्त अरब गणराज्य	46	84
	—	—
अन्य देशों सहित योग	128	137

(स्रोत : होम बुलेटिन आफ ई० ई० पी० सी०)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार

412. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 सितम्बर, 1969 को मवलंकर आडीटोरियम, रफी मार्ग, नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार देने के लिये एक समारोह का आयोजन किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसमें केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री को पुरस्कार वितरित करने थे ;

(ग) क्या वहां हाल में समस्त देश से प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या मन्त्री ने समारोह में भाग लिया था तथा उन्होंने पुरस्कार वितरित किये थे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). चूंकि विदेशी व्यापार मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई समारोह आयोजित नहीं किया गया अतः खेद है कि मंत्रालय इस सम्बन्ध में कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं है ।

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों का बन्द होना

413. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जून में इन्दौर (मध्य प्रदेश) में गड़बड़ के कारण कपड़े के उत्पादन में कितनी कमी हुई ;

(ख) नगर में विभिन्न कपड़ा मिलें कितने समय तक बन्द रहीं ; और

(ग) इन मिलों के बन्द रहने के कारण मजदूरी, सरकारी राजस्व, विदेशी निर्यात आदेशों तथा स्थानीय खपत में कितनी कमी हुई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) दस लाख मीटर (अनुमानित) ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	मिल का नाम	बन्द होने की अवधि
1.	इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स	दिनांक 3, 19, 23 तथा 28 जून, 1969 को पूर्णतः बन्द रही । दिनांक 4 से 9 जून, 1969 तक अंशतः बन्द रही ।
2-	हुकम चन्द मिल्स	दिनांक 2 जुलाई, 1969 को अंशतः रही । दिनांक 19 तथा 20 जून, 1969 को पूर्णतः बन्द रही ।
3.	कल्याणमल मिल्स	दिनांक 19 तथा 20 और 21 को पूर्णत : बन्द रही । (केवल दिन की पारी)
4.	राजकुमार मिल्स	दिनांक 19, 20, 24 तथा 25 जून, 1969 को पूर्णतः बन्द रही ।

(ग) इन मिलों के बन्द रहने के कारण मजदूरी, सरकारी राजस्व, विदेशी निर्यात आदेशों तथा स्थानीय खपत में हुई कमी आंकने के बारे में सरकार द्वारा कोई अध्ययन शुरू नहीं किया गया है ।

दिल्ली को "ड्राई पोर्ट" बनाना

414. **श्री मुहम्मद शरीफ :**　　　**श्री ए० श्रीधरन :**

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :　　　**श्री क० लकप्पा :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली का "ड्राई पोर्ट" के रूप में विकास करने की मांग को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). दिल्ली में एक "ड्राई पोर्ट" के विकास की मांग सरकार के विचाराधीन है और मामले के सभी पहलुओं की जांच हेतु एक अन्तर मन्त्रालय कार्यकारी दल का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय, कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर लिया जाएगा।

इंजीनियरिंग उद्योग की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श

415. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग के समक्ष आई विभिन्न समस्याओं पर व्यापार सम्बन्धी सलाहकार परिषद् ने इस वर्ष सितम्बर महीने में विचार विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो जिन समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया उनका निश्चित स्वरूप क्या था तथा उन समस्याओं को सुलझाने के लिये क्या उपाय ढूंढे गये ; और

(ग) परिषद् द्वारा किये गये निर्णयों के अनुसरण में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). निर्यात के निमित्त इंजीनियरी माल के उत्पादन के लिये लोहे तथा इस्पात के विभिन्न वर्गों की पूर्ति से सम्बन्धित इंजीनियरी उद्योग की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया था। इंजीनियरी उद्योग की इस वर्ष के लिये निर्यात वचनबद्धताओं हेतु इस्पात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जो उपाय किये जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं (1) इस्पात के दुलर्भ वर्गों के आयात के लिये मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा एक क्रयादेश के सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है। (2) देश में उत्पादित लोहे तथा इस्पात के वितरण में रक्षा के बाद केवल इंजीनियरी माल के निर्यात उत्पादन को ही प्राथमिकता दी जा रही है।

भारतीय समाजवाद के बारे में अमरीकी राजदूत का वक्तव्य

416. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में शिलांग में हुए एक प्रेस सम्मेलन में अमरीकी राजदूत के समाचारपत्रों में छपे इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि समाजवाद लाने के भारत के उद्देश्य का यह अर्थ नहीं है कि यह देश साम्यवाद की ओर बढ़ रहा है और भारत में साम्यवादी सिद्धान्त को फैलने से रोकने के हेतु लोगों के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या सरकार के विचार में इस वक्तव्य का अर्थ हमारे देश के आंतरिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार का ध्यान असम ट्रिब्यून (गोहाटी) के 2 सितम्बर के अंक में प्रकाशित खबरों की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें राजदूत कीटिंग के भाषण के कुछ अंश दिए गए हैं।

(ख) और (ग). भारत सरकार का यह विचार है कि राजदूत कीटिंग के भाषण आमतौर से इस देश के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। प्रश्न में विशेष रूप से जिस वक्तव्य का उल्लेख किया गया है वह एक सामान्य टिप्पणी की प्रकृति का ही प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में सरकार का इस बारे में कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं है।

भारत-नेपाल वार्ता

*417. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री निहाल सिंह : **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1969 में विवादग्रस्त सभी मामलों पर भारत और नेपाल के बीच व्यापक विचार विमर्श हुआ था :

(ख) क्या यह सच है कि 5 सितम्बर, 1969 को नेपाल के महाराजा ने प्रधान मन्त्री के साथ विचार विमर्श किया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो किन-किन मामलों पर विचार विमर्श किया गया तथा क्या-क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) नई दिल्ली में 29 अगस्त से 4 सितम्बर 1969 के बीच भारत-नेपाल वार्ता के अन्त में जो सम्मिलित वक्तव्य जारी किया गया था उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 1991/69]

5 सितम्बर 1969 को दिल्ली में प्रधान मन्त्री को भेंट महामहिम महाराजाधिराज से हुई थी जबकि वे यूरोप जा रहे थे। उनकी बातचीत सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण वातावरण में हुई थी और इसमें दोनों देशों के आपसी हित के सभी मामलों पर विचार किया गया था।

हांगकांग में भारतीयों का काली सूची में रखा जाना तथा उनका वहां से निकाला जाना

418. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग में रहने वाले भारतीयों को निकट भविष्य में वहाँ से निकालने के लिये हाँगकाँग प्राधिकारियों ने इन भारतीयों की एक काली सूची तैयार की है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है तथा इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हमने जो पूछताछ की है उससे यह पता चलता है कि हांगकांग की सरकार ने हांगकांग में रहने वाले भारतीयों की कोई काली सूची तैया नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयुध कारखानों के लिये स्वायत्तशाली बोर्ड

419. श्री बे० कृ० दासचौधरी : श्री राम किशन गुप्त :
श्री गाडिलिंगन गौड : श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री क० प्र० सिंह देव : श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में आयुध कारखानों के लिये एक स्वायत्तशाली बोर्ड बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो बोर्ड के कब तक गठित किये जाने की संभावना है तथा वह कब से कार्य आरम्भ कर देगा ; और

(ग) बोर्ड को क्या क्या मुख्य मामले सौंपे जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). आर्डनेंस उत्पादन बोर्ड की स्थापना का सरकार द्वारा निरीक्षण अधीन है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में रक्षा सामान का निर्माण

420. श्री बे० कृ० दासचौधरी : श्री ओमप्रकाश त्यागी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री रवि राय :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने चौथी योजना की अवधि में गैर-स कारी क्षेत्र में रक्षा सामान बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ताकि उनका आयात बन्द किया जा सके ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ला० ना० मिश्र) : निजी क्षेत्रों में अब तक आयात रक्षा मदों के उत्पादन के प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा निम्न पग उठाए गए हैं :—

(1) आयात वस्तुओं के प्रतिबिंबनो का कार्य हस्तगत करने के लिये रक्षा पूर्ति का एक भिन्न विभाग बनाया गया है ।

(2) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में नमूना कक्ष स्थापित किये गये हैं, जहां पर बहुत प्रकार की आयात वस्तुओं के नमूने प्रदर्शित किये गए हैं । इच्छुक निर्माता नमूना कक्षों में आते है जहाँ तकनीकी व्यक्तियों द्वारा उनका मार्ग प्रदर्शन किया जाता है ।

(3) उन फर्मों की सहायता की जाती है कि जिनको नियंत्रित या दुर्लभ कच्चे माल को अधि-प्राप्ति के लिए आर्डर दिए जाते हैं ।

(4) यदि आवश्यकता हो तो आवश्यक संतुलन उपस्करों को आयात करने के लिए लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं ।

(5) कच्चा माल तथा संघटक खरीदने के लिए लेखों में अदायगी की सुविधा भी दी जाती है ।

(6) जहां तक विकास की लागतें अधिक हैं, या जहां क्रेता को बहुत से प्रयोग तथा परीक्षण करने पड़ते हैं, ऐसे व्यय की सरकार प्रतिपूर्ति करती है।

(7) निर्माताओं को जो किसी पद का विकास करते हैं प्रथम वर्ष की आवश्यकता के 100% दूसरे साल की आवश्यकता के 80% तथा बाद की सालों की आवश्यकताओं के बड़े भाग के लिए आर्डर दिया जाता है।

रबात सम्मेलन के पश्चात् विदेश नीति में परिवर्तन

421. श्री हिम्मतसिंहका :
डा० सुशीला नैयर :
श्री मधु लिमये :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री स० कुण्डू :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री बलराज मधोक :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री यमना प्रसाद मंडल :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री मयावन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री देवेन सेन :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता भंग किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित रबात सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों के साथ किये गये व्यवहार को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अपनी विदेश नीति में, विशेषकर अरब देशों और अन्य मुस्लिम देशों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करना आवश्यक समझती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन किस प्रकार के हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये कोई सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया है अथवा बुलाया जा रहा है, यदि हाँ, तो कब तथा कहाँ ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). पश्चिम एशिया के प्रति सरकार की बुनियादी नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। प्रत्येक देश के साथ, जिसमें इस क्षेत्र के देश भी शामिल हैं, द्विपक्षीय सम्बन्धों पर निःसंदेह हमेशा ध्यान रखा जाता है।

(ग) जी नहीं।

फ्रांस के सहयोग से बड़ौदा में भारी जल संयंत्र स्थापित करना

*422. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री वाल्मीकि चौधरी :
श्री वाल्मीकि चौधरी :
डा० प० मण्डल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के सहयोग से बड़ौदा में भारी पानी का एक संयंत्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की उत्पादन क्षमता, लागत तथा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी व्यय बताते हुए इस योजना का मुख्य-मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सहयोग करार की मुख्य शर्तें क्या हैं और इस कम्पनी के प्रबन्ध पर दोनों देशों का कितना-कितना नियंत्रण होगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। हमने फ्रांस के एक सहयोग-संस्था से उपकरणों की सप्लाई करने, उसको लगाने के बारे में परिवीक्षण करने और उसको चालू करने के सम्बन्ध में एक समझौता किया है ;

(ख) संयंत्र की भारी पानी की उत्पादन क्षमता 67 मैट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। संयंत्र की कीमत लगभग 15.1 करोड़ रुपये होगी और इसमें 7.75 करोड़ रुपये के विदेशी उपकरण लगे होंगे।

(ग) संयंत्र पूर्णत: अणु-शक्ति विभाग का स्वामित्व होगा और वह उक्त विभाग द्वारा ही पूर्ण रूप से चलाया जायेगा।

चाय उद्योग सम्बन्धी बरुआ समिति का प्रतिवेदन

423. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री वासुदेवन नायर :
डा० रानेन सेन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 30 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1428 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय उद्योग सम्बन्धी बरुआ समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ; और

(ख) उस पर निर्णय करने में देरी के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). चाय उद्योग पर बरुआ समिति द्वारा की गई सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं। कुछ दूरगामी परिणामों वाली सिफारिशों पर, निर्यात के अन्तर्राष्ट्रीय विनियम के लिए हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए तथा कुछ क्षेत्रों में संयुक्त विपणन के उद्देश्य से, पुनः विचार करना पड़ा।

रबात सम्मेलन से भारत का निकाला जाना

424. श्री रा० की० ग्रमान : श्री राम सेवक यादव :
श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री देवराव पाटिल :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : श्री एन० शिवप्पा :
श्री देवव्रत बरुग्रा : श्री लीलाधर कटकी :
श्री वेंगलराय नायडू : श्री रामावतार शर्मा :
श्री पी० विश्वम्भरन : डा० सुशीला नैयर :
श्री यमुना प्रसाद मंडल : श्री निहाल सिंह :
श्री रवि राय : श्री शिव चरण लाल :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्री हेम बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री एम० सुदर्शनम ;
श्री शिवचन्द्र झा : श्री ए० श्रीधरन :
श्री जें० के० चौधरी : श्री क० लकप्पा :
श्री मयावन : श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री ग्रदिचन : श्री जे० एच० पटेल :
श्री कृ० मा० कौशिक : श्री एस० आर० दामानी :
श्री पीलु मोदी : श्री शशि भूषण :
श्री बाल्मीकि चौधरी : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मृत्युंजय प्रसाद : श्री बेनी शंकर शर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर : श्री ग्रब्दुल गनी दार :
श्री रा० बरुग्रा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रारंभ में भारत को रबात में एस्लामी सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्रामंत्रित नहीं किया गया था ;

(ख) क्या बाद में हमारे देश को निमंत्रण दिया गया था ग्रौर वहां से एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था ;

(ग) क्या यहां से एक प्रतिनिधिमंडल गया था ग्रौर रबात पहुंचने पर उसे सम्मेलन से निकाल दिया गया ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता ग्रौर कुछ सदस्यों को रबात पहुंचने से पहले 23 सितम्बर की ग्रपराह्ण के ग्रधिवेशन में रबात में भारत के राजदूत ने स्थानापन्न नेता के रूप में

भाग लिया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता और तीन सदस्य, जो 24 सितम्बर, 1969 के अपराह्न में रबात पहुंचे थे इस सम्मेलन के समापन अधिवेशन में हिस्सा नहीं ले पाए।

(घ) सर्वसम्मति से निमंत्रित किए जाने के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल को जिन परिस्थितियों में इस सम्मेलन के समापन अधिवेशन में भाग लेने से रोका गया उसे भारत सरकार बहुत गंभीर समझती है। इसी की वजह से उन्होंने मोरक्को से अपना राजदूत और जोर्डन से अपना कार्यनायक वापस बुला लिया है।

मिलों द्वारा पटसन के सामान के उत्पादन में कटौती

425. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री रामावतार शास्त्री :
डा० रानेन सेन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुतायत: में कच्चा पटसन उपलब्ध होते हुए भी सितम्बर तथा अक्तूबर 1969 में पटसन मिलों का उत्पादन उनकी क्षमता से कम रहा है;

(ख) क्या इस से निर्यात करने के लिए पटसन के सामान की भारी कमी की गई है; और

(ग) क्या जहाज मालिकों तथा व्यापारियों ने मिल मालिकों पर कच्चे पटसन के मूल्य में कमी कराने के लिए जानबूझ कर कम उत्पादन करने का आरोप लगाया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). सितम्बर, 1969 में पटसन माल का उत्पादन 208 काम घंटों के आधार पर लगभग 86100 मे० टन था और अक्तूबर 1969 में 200 काम के घंटों के आधार पर 85,000 मे० टन था। पटसन मिलों के कार्यचालन के विश्लेषण करने से संकेत मिला है कि अधिकांस मिलें अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग कर रही हैं और आमान्य अनुरक्षण आदि प्रयोजनों को छोड़ कर कोई बेकार क्षमता नहीं है। टनेज में कमी भारी माल के स्थान पर सूक्ष्म माल बनाने, वित्त के अभाव में कुछ मिलों के बन्द होने और कुछ क्षेत्रों में जहां पर पटसन मिलें हैं, अनिश्चित परिस्थितियों के कारण हुई है। निर्यात प्रयोजनों के लिये पटसन माल की कमी रही परन्तु स्थिति में सुधार हो रहा है। कच्चे पटसन के मूल्य बहुत मजबूत है और 126 रु० से 128 रु० प्रति क्विटल के लगभग है, जबकि समर्थन मूल्य 107.17 रु० प्रति क्विटल ही है।

एशियाई सुरक्षा संधि के लिये रूसी प्रस्ताव

426. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री पी० विश्वम्भरम :
श्री हेम बरुआ :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री क० लकप्पा :

श्री मि० सू० मूर्ति : श्री मयावन :
श्री श्रीनिवास मिश्र : श्री हिम्मतसिंहका :
श्री श्रविचन : श्री देवेन सेन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई सुरक्षा संधि सम्बन्धी रूसी प्रस्ताव का विस्तार से अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान प्रश्न संख्या 3443 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है जो लोक-सभा में 13 अगस्त, 1969 को दिया गया था ।

भारत में यातायात विमानों का निर्माण

427. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोकर विमान निर्माताओं ने भारत में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के सहयोग से यातायात विमान का निर्माण करने के लिये एक प्रतास्व सरकार को प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) उस प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया गया है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). फोकर कम्पनी द्वारा भारत में लाईसेंस के अन्तर्गत फोकर एफ-28 विमानों के निर्माण की पेशकश की गई थी, और कई आरम्भिक सुझावों पर विचार विमर्श किया गया था । उन द्वारा कोई औपचारिक और पक्का सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

कम्बोडिया से अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को वापस बुलाना

428. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** श्री बलराज मधोक :
श्री जे० अहमद : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री सीताराम केसरी : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री हरदयाल देवगुण : डा० रानेन सेन :
श्री स० कुन्डू : श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री ही० ना० मुकर्जी : डा० सुशीला नैयर :
श्री बेधर बेहेरा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया ने माँग की है कि उसके क्षेत्र से अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को वापस बुला लिया जाय ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) जनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्षों द्वारा कम्बोडिया की इस मांग पर क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). 9 अक्तूबर, 1969 को कम्बोडिया की सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग को अपनी यह इच्छा बता दी थी कि वह यह आयोग 31 दिसम्बर, 1969 से खत्म कर दिया जाना चाहिए। बाद में, 18 अक्तूबर, 1969 को कम्बोडिया की सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया कि इसे बन्द करने का कारण सिर्फ वित्तीय है राजनितिक नहीं और अगर समुचित वित्तीय प्रबंध किए जा सकें तो आम हित में कम्बोडिया में इस आयोग को रखकर उन्हें प्रसन्नता होगी।

(ग) और (घ). भारत सरकार दोनों सह-प्रधानों से और इस आयोग के दूसरे दो सदस्यों से अर्थात् कनाडा और पोलैंड से इस बारे में विचार करने के लिये सम्पर्क बनाए हुए हैं कि कम्बोडिया की सरकार की प्रार्थना की रोशनी में क्या उपाय किया जाना चाहिए।

Expenditure Incurred on P. M's Tours in I. A. F. Planes

429. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the names of the places and the dates on which the Prime Minister travelled in Air Force Planes during the last two years ;

(b) the total expenditure incurred thereon and the bills for which the Prime Minister made payments upto the 1st October, 1969 ; and

(c) the names and addresses of the persons who accompanied her in these planes in addition to Government Officials and Press Correspondents and the reasons for which they were taken into the planes ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). The information is being collected and would be placed on the Table of the Lok Sabha in the course.

Jivaji Industrial Research Laboratory at Gwalior

430. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Defence be pleased to state the scheme drawn up by Government for the development of Jivaji Industrial Research Laboratory at Gwalior and the progress so far made in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : The scheme drawn up by the Government of India for the Jiwaji Industrial Laboratory, envisaged the accommodation of some of the overflow of the expanded Defence Research Laboratory (Materials), Kanpur in that Laboratory. In accordance with this scheme, the Divisions of Drugs and Antibiotics, and Applied Chemistry were transferred from the Defence Research Laboratory (Materials), Kanpur to the Jiwaji Industrial Research Laboratory at Gwalior in 1963.

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के बारे में अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिश

431. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की सशस्त्र सेनाओं में भर्ती की नीति के बारे में अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति ने हाल में कुछ ठोस सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि अभी तक नकारात्मक रवैया बना हुआ है, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). "अस्पृश्यता, अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा शिक्षात्मक विकास" पर कमेटी ने देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित वर्गों के लिए विशिष्ट सुरक्षण की सिफारिश की है।

Jhugi-Jhonpries in Delhi and other Cantonment Areas

432. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Sharda Nand :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of Jhuggi-Jhonpries in Delhi Cantonment area ;

(b) the steps taken so far to give housing facilities to their residents, the result thereof and the future scheme in this regard ; and

(c) the total number of Jhuggi-Jhonpries in all the Cantonments in the country and the scheme which Government propose to introduce in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). The number of encroachments in Delhi Cantonment by way of Jhuggi-Jhonpries is approximately 825. The information regarding the total number of encroachments in the remaining Cantonments is being ascertained and a statement will be placed on the Table of the House. No decision has been taken to extend any special housing facilities to these encroachors.

Aeronautics Committee's Report

433. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Sharda Nand :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Defence be pleased to state the details of the decisions taken, measures adopted, with reference to the Report of the Aeronautics Committee and the results achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : Action has been taken on a number of matters covered by the recommendations made by the Committee. Certain matters covered by the recommendations are however still under consideration by the Government.

It will not be in public interest to disclose details of action taken. When, however, decisions are taken on all the recommendations, a statement will be laid on the table of the House giving such information as can be disclosed.

Young Women sent Abroad by Christian Missionaries

434. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Sharda Nand :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in Panchajanya issued from Delhi on the 2nd September, 1969 that the Indian Young Women are being sent abroad in large number by Christian missionaries ;

(b) the number of young women sent abroad from India in this manner during the 1st three years, the reasons therefor, the countries to which they were sent and the number of those out of them who have been able to come back ; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). Necessary enquiries are being made and the facts will be communicated to the House as soon as information is available.

Cultural Agreement with Kazakistan

435. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Sharda Nand :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Wilt the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a judge of Kerala High Court on behalf of the Chairman of the Kerala Branch of Indo-Soviet Friendship Association has recently signed an agreement with Kazak-India Friendship Association in Kazakistan, under which there is a provision for the mutual exchange of cultural delegations, films and literature and for the celebration of the National festivals of one country in other country ;

(b) if so, whether Government propose to lay a copy of the said agreement on the Table ;

(c) whether a Judge is authorised to sign such an agreement and whether Government consider it justified ; if so, how ; and

(d) if not, the action taken in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy is placed in the Library of the House.

(c) and (d). Before appointment as a Judge every Judge has to take an oath (or affirmation), as detailed in the Third Schedule to the Constitution, that he will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that he will uphold the sovereignty and integrity of India. No formal Code of Conduct has been prescribed in addition for Judges of the High Court, and it is left to each Judge to conform strictly to the well recognized, healthy and salutary conventions. The Judges are free to participate in social gatherings and other meetings such as those at which cultural and intellectual matters are discussed. They are expected to so conduct themselves that no doubts can be raised about their judicial detachment.

Use of Imported Wines and Tobacco by Governors

436. Shri Sharda Nand : Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan : Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Yajna Datt Sharma : Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news published in the *Organiser* of the 5th July, 1969 that some of the Governors of States imported wine and tobacco worth Rs. 17,789 last year ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Import licences worth Rs. 13,921 for import of liquor and tobacco were issued in favour of Governors of various States during April, 1968 to March, 1969 in consonance with Governments' policy to allow small quantities of liquor and tobacco to Governors for the entertainment of foreign dignitaries.

कच्चे पटसन के मूल्यों की जांच

437, श्री जे० मुहम्मद इमाम : श्री महेन्द्र माझी :
श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री गार्डिलिगन गौड़ :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन के मूल्यों की जांच आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी जांच करने का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

यूनिट स्तर पर बूटों तथा मच्छरदानियों की कमी

439. श्री नारायण स्वरूप शर्मा : श्री रणजीत सिंह :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट स्तर पर हाल ही में बूटों तथा मच्छरदानियों जैसी वस्तुओं की कमी रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी का क्या कारण है तथा इस सम्बन्ध में क्या उपचारीय उपाय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) बूटों की कोई कमी नहीं है । तदपि मच्छरदानियों की कमी है ।

(ख) गोल सूराखों वाला जालीदार कपड़ा कि जो रक्षा सेनाओं को सप्लाई की गई मच्छरदानियों के लिए इस्तेमाल होता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्य नहीं है। तदनुसार कमी को पूरा करने की सीमा तक वर्गाकार सूराखों वाला जालीदार कपड़ा इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अगले कुछ मासों के अन्दर-अन्दर मच्छरदानियों की सप्लाई स्थिति के सुधरने की शक्यता है।

आबादी में टैंक कारखाना

440. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आबादी स्थित टैंक कारखाने में गतिरोध उत्पन्न होने से पूरे टैंकों के उत्पादन में रूकावट पैदा हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यूनिटों को टैंकों की निश्चित पूर्ति में कितने प्रतिशत कमी है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). उत्पादन की प्रक्रिया में समय-समय पर बाधाएं पैदा होती हैं। इनको उचित समय की कार्यवाही द्वारा अपास्त किया जाता है और टैंकों के उत्पादन के कार्यक्रम में बाधा नहीं बनने दिया जाता है।

अब तक विजयंत टैंक के निर्माण के लिये नियत किये गये लक्ष्य प्रायः निष्पन्न कर लिये गये हैं।

वायरलैस सैट ले जाने के लिये जीपों के ढांचे में परिवर्तन

441. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायरलैस सैट ले जाने के लिए सैनिक टुकड़ियों को दी जाने वाली जीपों तथा मोटर-गाड़ियों के ढांचों में परिवर्तन करने पड़ते हैं ;

(ख) क्या जीपों तथा मोटर-गाड़ियों के ढांचों में ये परिवर्तन प्रत्येक सैनिक टुकड़ी तथा कमान अधिकारी की इच्छा के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे परिवर्तन आयुद्ध कारखानों अथवा सैनिक वर्कशापों में करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) ई० एम० ई० वर्कशापों में आवश्यक रूपान्तरण पहले से किए जा रहे हैं।

भारतीय माल का नेपाल से होकर अन्य देशों को निर्यात

442. **श्री जय सिंह :**

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री 6 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय माल को नेपाल से होकर अन्य देशों को निर्यात करने के बारे में इस बीच जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) किस प्रकार की जांच की जा रही है और इस मामले में कितना समय लगेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं । अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ). जांच का स्वरूप ही इस प्रकार का है कि उसमें समय लगने की सम्भावना है ।

ऊनी माल के निर्यात लाइसेंसों के बीजकों में अधिक राशि दिखाना

443. **श्री जय सिंह :**　　　　**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री 6 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न 2348 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी माल की निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत जारी किये गये लाइसेंसों के सम्बन्ध में बीजकों में अधिक राशि दिखाने और जैसी अन्य कदाचारों, अनियमितताओं के मामलों की जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 1992/69]

रूसी हेलीकाप्टरों का खरीदा जाना

444. **श्री जय सिंह : श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 20 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 637 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रूस के एम० एस० हेलीकाप्टर खरीदने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य किस प्रकार के हेलीकाप्टर खरीदे जायेंगे ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छोटे हेलिकाप्टर का चयन विचाराधीन है।

पख्तूनिस्तान आन्दोलन के लिये भारत का समर्थन

445. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान अब्दुल गफ्फार खां ने सितम्बर 1969 में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) क्या उन्होंने सरकार से अपने पख्तूनिस्तान आन्दोलन का समर्थन करने के लिए कहा था ;

(ग) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). 13 नवम्बर 1968 को लोकसभा में श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा उठाए गये आधे घंटे के विचार-विमर्श के दौरान पख्तूनिस्तान के प्रति भारत की नीति विस्तार से समझाई गई थी। उसके बाद से इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता करने से इन्कार

446. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान भारत के साथ पुन: व्यापार आरम्भ करने के विरुद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार पाकिस्तान सरकार पर बराबर इस बात के लिये जोर देती रहेगी कि दोनों देशों के लाभ के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पुनः शुरू होना वांछनीय होगा।

हिन्द महासागर में रूस की बढ़ती हुई उपस्थिति

447. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री जे० के० चौधरी :
श्री न० रा० देवघरे :
श्री निहाल सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री वेंगलराया नायडू :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री मयावन :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में रूस की बढ़ती हुई उपस्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी है।

(ख) और (ग). भारत सरकार का विचार यह है कि हिन्द महासागर हमेशा शांति और सहयोग का क्षेत्र बना रहे। लेकिन अपने प्रादेशिक समुद्र से परे खुले समुद्र में विदेशी गतिविधियों पर भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं है। बहरहाल, सरकार स्थिति पर निगरानीं रख रही है।

नेपाल से संश्लिष्ट कपड़े के आयात पर प्रतिबन्ध

448. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को नेपाल से आयातित कपड़े से बड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ उद्यमियों ने नेपाल में कपड़े बनाने वाले उद्योग स्थापित किये हैं क्योंकि जापानी तथा चीनी कपड़े बड़े सस्ते हैं, और इनसे बने हुए कपड़े देशी कपड़े से बने कपड़ों से बढ़िया हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नेपाल में ये कपड़े बनाने वाले कोई कपड़ा मिल नहीं है और कपड़ा जापानी, चीनी या किसी अन्य देश का होता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या नेपाल से सिले सिलाये कपड़ों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की वांछनीयता पर विचार किया गया है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) नेपाल से संश्लिष्ट वस्त्रों के आयात से कतिपय समस्यायें उत्पन्न हो गई थीं, परन्तु अब इस बात पर सहमति हो गई है कि आयातों को 1967-68 के स्तर पर सीमित कर दिया जाये ।

(ख) से (घ). उपलब्ध जानकारी के अनुसार कतिपय उद्यमियों ने सिले-सिलाये परिधान बनाने के लिए नेपाल में फैक्टरियां स्थापित कर ली हैं। नेपाल में ऐसी वस्त्र मिलें हैं जो संश्लिष्ट धागे का वस्त्र बनाती हैं ।

ऐसी भी सम्भावना है कि नेपाल की परिधान निर्माता फैक्टरियाँ आयातित वस्त्र का भी प्रयोग करती हों । भारत सरकार नेपाल से परिधानों के आयातों पर निगरानी रख रही है और यदि स्थिति का तकाजा हुआ तो उपयुक्त उपाय किये जायेंगे ।

कच्चे रबड़ की कीमतें

449. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रबड़ उत्पादक संघ और रबड़ विपणन सहकारी समितियों के अध्यक्ष की कोट्टायम में हाल ही में हुई एक संयुक्त बैठक में सरकार से अनुरोध किया गया है कि प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम मूल्य 550 रुपये प्रति क्विंटल से कम नियत न किया जाये ;

(ख) क्या बैठक में यह अनुरोध भी किया गया था कि सरकार आगे के लिए रबड़ के आयात के लिए परमिट जारी करना बन्द कर दे ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) संघ ने यह सिफारिश की थी कि जब तक आंतरिक मूल्यों में वृद्धि न हो जाए तब तक रबड़ के आयात पर रोक लगा दी जाए ।

(ग) आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रबड़ का स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है । कमी को पूरा करने के लिए आयात करना अपेक्षित है । आयातों को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से विनियमित किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित रहे कि इन से कच्चे रबड़ के आंतरिक मूल्यों पर कुप्रभाव न पड़े । कच्चे रबड़ के न्यूनतम मूल्यों में परिवर्तन करने के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत के प्रश्न को उठाना

450. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री निहाल सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री अदिचन :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री न० रा० देवघरे :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
डा० सुशीला नैयर :
डा० यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 200 संसद सदस्यों ने तिब्बत के मामले के सम्बन्ध में सरकारी नीति पर पुर्नविचार करने के लिए सरकार को लिखा है ;

(ख) क्या सरकार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवीय अधिकार आयोग के समक्ष उठाने पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या दलाई लामा ने भी इस मांग का समर्थन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). जी हां । इस मामले पर अभी विचार चल रहा है ।

अल अक्स मस्जिद के मामले में भारतीय रुख पर इजराइल का रोष

451. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल अक्स मस्जिद में आग की घटना के बारे में भारत सरकार के सरकारी ब्यानों पर इजराइल के विदेश मंत्री ने खेद प्रकट किया है ;

(ख) क्या इस मामले पर उन्होंने कोई सरकारी विरोध पत्र भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार से इस आशय की सिर्फ अखबारी खबरें देखी हैं ।

(ख) कोई अधिकृत पत्र नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फरक्का तथा पूर्वी नदियों के बारे में भारत पाकिस्तान वार्ता

452. **श्री सु० कु० तापड़िया : श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फरक्का बांध तथा पूर्वी नदियों से संबंधित मामलों पर भारत और पाकिस्तान के बीच तकनीकी विषयों पर सचिवीय स्तर पर हुई बातचीत में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) किन-किन मामलों पर विधिवत समझौता हो गया है, किन किन मामलों पर अभी बातचीत होगी और यह कब तक होगी ; और

(ग) क्या पाकिस्तान के प्रेजीडेंट ने भारत के प्रधान मंत्री को बताया है कि काश्मीर के प्रश्न को भी इस विषय के साथ जोड़ दिया जाये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सचिवों के स्तर बैठक तकनीकी विचार विमर्श की दिशा में हुई प्रगति पर विचार करने के उद्देश्य से और इन तकनीकी स्तर की वार्ताओं को व्यापक और इनकी गति तीव्र करने के उद्देश्य से होती है । अब तक सचिवों की तीन बैठकें हुई हैं जिनमें विभिन्न तकनीकी मामलों पर विचार किया गया है और मुख्य-मुख्य स्थलों के जल संबंधी आंकड़ों का आदान प्रदान किया गया है ।

फरक्का में खुश्क मौसम में प्रवाह के आंकड़ों के बारे में समझौता हो गया है । पूर्व पाकिस्तान में हार्डिंग पुल पर प्रवाह के आंकड़ों के बारे में इसी तरह का समझौता अभी होना है ।

इन बैठकों में पाकिस्तानी पद्मा से अपनी जरूरतों को ठीक-ठीक आँकड़े देने मे असमर्थ रहे हैं । पाकिस्तान ने जो परियोजनाएं तैयार की हैं वे अयथार्थ हैं और उनसे भारत के हितों को गम्भीर खतरा हो सकता है । तदनुसार पाकिस्तान को यह बता दिया गया है कि वे अपनी जरूरतों के बारे में यथार्थ आँकड़े दें ताकि आगे प्रगति हो सके ।

तीस्ता पर भारत और पाकिस्तान की प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में भी विचार-विमर्श हुआ है और पाकिस्तान की परियोजना के बारे में और आगे की सूचना की प्रतीक्षा है ।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इन बैठकों में पाकिस्तान की कर्णफुली परियोजना का सवा . भी उठाया था ।

इन सभी विषयों पर आगे अभी बातचीत होनी है ।

(ग) जी नहीं ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी बल का बनाया जाना

453. श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने छः अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के समक्ष इस आशय का एक प्रारूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दल गठित किया जाये ;

(ख) क्या इस दिशा में कोई प्रगति की गई है या महासचिव उथांट से इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ग) उन अन्य देशों के नाम क्या जिन्होंने संकल्प का समर्थन किया ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । यह प्रस्ताव निर्विरोध स्वीकार किया गया था ।

(ख) आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के प्रस्ताव में अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल बनाने के लिए "संवैधानिक, प्रशासनिक तथा विभिन्न वित्तीय प्रबन्धों का अध्ययन करने की बात कही गई है । संयुक्त राष्ट्र महासचिव को, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक तथा संयुक्त राष्ट्र की स्वयंसेवकों से सम्बद्ध अन्य संगठनों के प्रमुखों के साथ मिलकर यह अध्ययन करेंगे, यह हिदायत दी गई है कि वे 1970 के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट पेश कर दें जिससे कि उस पर विचार करके संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी अधिवेशन में उसे विचारार्थ भेजा जा सके और उस पर निर्णय लिया जा सके । संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(ग) इस प्रस्ताव के सह-प्रस्तावक थे :—भारत, इंडोनेशिया, जमैका, क्वाइत, नार्वे, पाकिस्तान, टर्की, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया । इसके अतिरिक्त निम्न-लिखित देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया —चाड, लिबिया, सियरालीओन, सूडान, अपर-वोल्टा, जापान, बल्गारिया, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, यूगोस्लाविया, अर्जेनटीना, गुआटेमाला, मैक्सिको, उरूग्वे, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमरीका ।

नागालैंड में युद्ध विराम

454. श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड में युद्ध विराम बढ़ाने की समय सीमा क्या है ; और

(ख) दूसरी ओर से की गई हाल की हिंसात्मक कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वहाँ पर एक समय में एक मास से अधिक समय के लिये युद्ध विराम बढ़ाना चाहती है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) "युद्ध विराम" शब्द भ्रामक है। सही शब्द "कार्रवाई-बंद रखने से संबद्ध समझौता" अथवा संक्षेप में "एग्सौप" है। यह 6 सितम्बर 1964 को पहली बार लागू किया गया था और तब से समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जाती रही है। इस समय इसकी अवधि एक महीने के लिये बढ़ाई गई है जो 30 नवम्बर 1969 को पूरी हो जायेगी।

(ख) 'एग्सौप" की अवधि बढ़ाई जानी चाहिये अथवा नहीं और अगर बढ़ाई जानी चाहिये तो कितनी अवधि के लिये, इस बात का निर्णय राज्यपाल वर्तमान स्थिति के आकलन के आधार पर करते हैं। यदा कदा हिंसा की घटनाओं के बावजूद स्थिति धीरे-धीरे बराबर सुधर रही है।

केन्द्रीय उप मंत्री की कुछ विदेशियों के साथ अजमेर की यात्रा

455. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक केन्द्रीय उप मंत्री ने सितम्बर/अक्तूबर, 1969 के दौरान कुछ विदेशियों के साथ अजमेर की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो वे विदेशी किस-किस देश के थे ;

(ग) क्या उन विदेशियों के पास कोई वैध वीजा था ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का उस केन्द्रीय उप मंत्री के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). शायद इसका संबंध इस्पात और भारी इंजीनियरी उप मंत्री से है। उप मंत्री का कहना है कि वे 31 अगस्त और 2 सितम्बर 1969 के बीच उसमें सामिल होने के लिए अजमेर गए थे। पीर-मीर अजीजुल्ला हक्कानी के नाम से एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक भी अपनी बीबी और दो बच्चों सहित उप मंत्री के साथ उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। वह अधिकृत-पत्र के आधार पर कश्मीर की यात्रा के लिए भारत आया था। कश्मीर जाने से पहले पीर हक्कानी उस के लिए अजमेर गया। वह भूल से अपना यात्रा पत्र दिल्ली में ही छोड़ गया था। दिल्ली लौटने पर यह पता चला कि हालांकि उसके पास वैध पासपोर्ट था, लेकिन उस पर अजमेर के लिए पृष्ठांकन नहीं था। उसने उत्काल इस मामले की ओर संबद्ध अधिकारियों का ध्यान दिलाया। उप मंत्री का कहना कि पिछले साल श्री हक्कानी को उस समारोह में अजमेर जाने की अनुमति दी गई थी। बिना अधिकृत अनुमति के उसकी अजमेर यात्रा करने के विरुद्ध स्थानीय तौर पर कानूनी कार्रवाई की गयी। मुकदमे के दौरान श्री हक्कानी ने अपराध स्वीकार कर लिया और उन्हें विदेशी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत सजा दी गयी। लेकिन चूंकि मजिस्ट्रेट महोदय इस

निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अधिकारियों को धोखा देने की उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी अथवा उसे जो वीज़ा दिया गया था, उसका वह अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहता था, इसलिए मजिस्ट्रेट ने नरम रुख लिया और उन्हें अदालत के उठने तक कैद भुगतने और 400 रुपये का जुर्माना अदा करने अथवा अदा न करने की सूरत में 6 महिने की सादा कैद की सज़ा दी।

ऊपर जो स्थिति समझाई गयी, उसको ध्यान में रखते हुए भाग (ङ) का प्रश्न नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

456. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री राम सेवक यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनवरी 1970 के अन्त तक चतुर्थ योजना को अन्तिम रूप देने की सम्भावना है।

टीटागढ़, पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न राइफल्स के सैनिकों का तैनात किया जाना

457. **श्री चपलकांत भट्टाचार्य :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 18 सितम्बर को पश्चिमी बंगाल में टीटागढ़ में ईस्टर्न राइफल्स के सैनिकों को तैनात करना पड़ा था ;

(ख) यह किन परिस्थितियों में करना पड़ा था ; और

(ग) स्थानीय सरकार ने सेना की सहायता लेने के लिए क्या कारण बताये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). 18 सितम्बर को टीटागढ़ में सैनिकों के प्रयोग के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई थी, न ही सेना में "पूर्वी राइफल्स" के नाम की कोई यूनिट नहीं है।

कोचीन से नौसेना भौतिक प्रयोगशाला का स्थानान्तरण

458. श्री ई० के० नायनार : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार नौसेना भौतिक प्रयोगशाला को कोचीन से भारत के किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त प्रयोगशाला के शीघ्र विकास के लिए कार्यवाही करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) नौसैनिक भौतिकी और समुद्रज्ञान प्रयोगशाला अपना ध्यान नौसेना समुद्रज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य पर केन्द्रित करेगी। इस उद्देश्य के लिए प्रयोगशाला को पर्याप्ततौर पर सज्जित करने के लिए पद उठाए जा रहे हैं।

Pakistani Military Equipment destroyed during Indo-Pak Conflict

459. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of military equipment of Pakistan was destroyed during Indo-Pakistan conflict in 1965 ;

(b) whether it is also a fact that Pakistan has constantly being trying to make up the loss ; and

(c) if so, the name of the countries which have helped her to make up this loss and the number of tanks, aircraft etc. it has acquired ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Yes, Sir, Pakistan has more than made good the losses in military equipment suffered during the conflict. As the House is aware, since 1965 Pakistan has virtually doubled its land forces which now include 2 Armoured Divisions, and has also doubled the number of combat aircraft. Modern vessels including submarines have been added to its Naval Arm. The types and quantities of military equipment which Pakistan obtained from various countries was brought to the notice of the House in reply to Unstarred Question No. 202 on 19th February, 1969. Information relating to supply of military equipment by the Soviet Union to Pakistan has also been conveyed to the House in reply to Starred Question No. 67 today.

Chinese Guerilla Training School in East Pakistan

461. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri S. M. Krishna :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri N. R. Laskar :
Shri Vishwanath Pandey :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri S. Kundu :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri Mohan Swarup :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Mayavan :
Shri R. Barua :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the press report that

China is setting up a school in East Pakistan to impart training in guerilla warfare to the Officers of Armed Forces of Pakistan ;

(b) whether it is a fact that the said School is being established in Pakistan as a result of the talks held during the Pakistan's Chief of the Air Staff, Air Marshal Noor Khan's visit to China ;

(c) whether it is also a fact that the problem of security in Kashmir and Mizo Hills would become more acute due to the presence of persons who have undergone training in Guerilla warfare ; and

(d) it so, the steps Government propose to take for making proper secure arrangements ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (d). Government have seen Press reports to this effect and are aware of the training being imparted by Chinese instructors to Pakistani personnel in guerilla tactics, etc. Government have also information relating to recent activities of Chinese instructors in East Pakistan. These developments have been taken into account in making our plans for the security of the country.

Withdrawal of Indian Personnel from Nepal

462. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ramavtar Sharma :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri R. Barua :
Shri Mayavan :
Shri M. R. Laskar :
Shri S. M. Krishna :
Shri J. Ahmed :
Shri S. C. Samanta :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a persistant fear of entry of some suspected and foreign persons due to the unrestricted movement on the border of India and Nepal ;

(b) whether it is a fact that Nepal has been persistently requesting India to withdraw Indian Wireless Operators and Military Liaison team ; and

(c) if so, the steps taken in this regard and the measures proposed to be taken by Government for the security of this border ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir. The border between India and Nepal is only open for the free movement of the nationals of the two countries. The entry of other nationals into Nepal or into India is regulated according to international practice.

(b) This matter was discussed at the official level talks between the two countries held in New Delhi from 29th August to 4th September and joint recommendations have been made to the two Governments regarding a solution of these issues which are under study.

(c) Does not arise.

राजनयिक थैलों की सुरक्षा के लिये प्रबन्ध

463. **श्री बाबू राव पटेल :** **श्री मयावन :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : **डा० प० मण्डल ;**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक राजनयिक थैले जिस पर 'ए' का चिह्न था और जिसमें एक साम्यवादी देश से एक भारतीय शिष्टमण्डल द्वारा भेजे गये मूल्यवान गोपनीय दस्तावेज थे, हवाई अड्डे पर इसकी सुरक्षा के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण, 15 सितम्बर, 1969 को गायब हो गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के सुरक्षा अधिकारी ने, जो उस समय हवाई अड्डे पर था, थैले को देखा और इसे मंत्रालय में ले गया ; यदि हां, तो उस अधिकारी का नाम क्या था ।

(ग) क्या इस प्रकार की घटनाएं पहले भी कभी हुई हैं ; और यदि हां, तो कब और कितनी ; और

(घ) गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार कूरियरों के कैडर से यह काम क्यों नहीं कराती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं । कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन सुरक्षा प्रबंधों प्रभविष्णुता, की परीक्षा करने के लिए अनायास जो जाँच की गई थी उसमें हवाई अड्डे पर एक थैला कब्जे में लिया गया था । चूंकि वहां कारगर सतर्कता थी, इसलिए यह थैला छोड़ दिया गया और गन्तव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया गया ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों की उड़ानों के साथ अर्थात् एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स की उड़ानों के साथ विदेश-स्थित भारतीय मिशनों को राजनयिक थैले भेजने के वर्तमान संतोषजनक प्रबंधों को देखते हुए सरकार विदेश-स्थित सभी मिशनों के लिए, जिनकी संख्या 109 है, कूरियरों का संवर्ग कायम करने की जरूरत नहीं समझती ।

रबात में भारतीय प्रतिनिधियों से किया गया व्यवहार

464. **श्री बाबू राव पटेल :** **श्री अदिचन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री न० ना० देवघरे :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री एस० के० संबंधन : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्रेम चन्द वर्मा : **श्री शशि भूषण :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोरक्को के अधिकारियों ने रबात शिखर सम्मेलन में गये

भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ, उनके निवास पर पानी की सप्लाई बन्द करके, समय पर उन्हें भोजन न देकर, उन्हें पहले दिए आश्वासन के अनुसार पैरिस तक विमान उपलब्ध न करके एक अनुसूचित उड़ान के लिए कैसाबलांका तक 90 किलोमीटर तक मोटर के जाने के लिए मजबूर करके दुर्व्यवहार किया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संलग्न ड्राइवरों ने प्रतिनिधियों को इस बहाने से विला से बाहर ले जाने से इन्कार कर दिया कि उन्हें ऐसे आदेश नहीं है।

(ग) रबात को भेजे प्रतिनिधिमंडल पर विमान भाड़े सहित सरकार का कुल कितना व्यय हुआ।

(घ) प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मोरक्को के अधिकारियों द्वारा उनके साथ किये गये अभद्र व्यवहार की कलई रबात में ही क्यों नहीं खोली , और

(ङ) क्या इस बारे में सरकार ने विरोध प्रकट किया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) 49,705. 81 रुपये।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

हांगकांग में भारतीय राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार

465. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाँगकांग स्थित भारतीय मिशन से सम्बद्ध एक राजनयिक श्री एल० टी० पुडायटे को पुलिस ने एक बस में जेब काटते हुए पकड़ा था, उनके सारे कपड़े उतार दिये गये थे तथा ब्रिटेन के एक अधिकारी ने उनकी तलाशी ली थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह घटना इस कारण हुई थी कि श्री पुडायटे, जो मिज़ो हैं की आकृति भारतीयों की अपेक्षा चीनियों से अधिक मिलती है ;

(ग) क्या कारण है कि सरकार विशिष्ट भारतीय मुखाकृति तथा रक्षणों वाले राजनयिकों का चयन करके ऐसी घटनाओं का परिहार नहीं कर पाती ; और

(घ) क्या ब्रिटिश अधिकारियों से इस बात का विरोध किया गया है, और यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). हांगकांग-स्थित भारतीय कमीशन में तृतीय सचिव, श्री एल० टी० पुदैत को जेब काटने के सर्वथा निराधार आरोप में थाने ले जाया गया था और पहचानने में गलती होने तथा भाषा सम्बन्धी कठिनाई के कारण उनकी तलाशी ली गई थी।

(ग) भारत लोगों में जातीय आकृतियों की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि संबद्ध भारतीय राजनयज्ञ की मुखाकृति उतनी ही भारतीय है जितनी किसी अन्य भारतीय की।

(घ) जी हाँ। ब्रिटेन की सरकार ने इस पर खेद प्रकट किया है और यह स्वीकार किया है कि श्री पुर्दैत के साथ जो व्यवहार किया गया वह उनकी हैसियत को देखते हुए शिष्ट नहीं था। इसको देखते हुए भारत सरकार ने इस घटना को खत्म ही समझने का निश्चय किया है।

"अल फतह" शिष्टमण्डल की यात्रा

466. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन-संसदीय "अल फतह," शिष्टमण्डल की हाल की भारत-यात्रा के दौरान उसे थैलियों के रूप में कुल कितना धन दिया गया ; उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने थैलियां भेंट कीं ; इस शिष्टमण्डल का आतिथ्य सत्कार करने में सरकार ने कुल कितना धन व्यय किया ;

(ख) क्या यह सच है कि "अल फतह" सदस्यों को भारत में कार्यालय खोलने तथा इस आन्दोलन के लिए स्वयंसेवक भर्ती करने के लिए सरकार का अनुमति देने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का यह खुला प्रोत्साहन हमारी तटस्थता की नीति तथा अहिंसा के सिद्धान्त के अनुकूल है ;

(घ) क्या सरकार ने अनुभव किया है कि भारत में "अल फतह" की इन शाखाओं के कारण विधि तथा व्यवस्था के लिए शीघ्र खतरा पैदा हो सकता है ; और

(ङ) क्या "अल फतह" के एक सदस्य ने भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए काश्मीर में गोरिल्ला-युद्ध का प्रशिक्षण देने के अपने इरादे की घोषणा कर दी है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अल-फतह प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्यों के हाल ही में भारत के दौरे के समय उन्हें ठीक-ठीक कितना रुपया भेंट किया गया था, इस बारे में भारत सरकार को जानकारी नहीं है। भारत सरकार के पास उन व्यक्तियों और संगठनों के नामों के बारे में भी सूचना नहीं है जिन्होंने यह धनराशि दी है। अल फतह प्रतिनिधिमण्डल पर भारत सरकार का कुछ भी खर्च नहीं हुआ था क्योंकि यह अफ्रो-एशियाई एकता के लिए भारतीय एसोसियेशन के निमंत्रण पर आया था जो कि एक गैर-सरकारी संगठन है।

(ख) से (घ). अभी तक भारत में एक कार्यालय खोलने के बारे में कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं आई है। अगर प्रार्थना की गई तो भारत सरकार की नीति के परिप्रेक्ष्य इस मामले पर विचार किया जाएगा।

(ङ) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

चीन के साथ बातचीत

467. **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
डा० सुशीला नैयर :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रति चीन के शत्रुतापूर्ण रवैये में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) क्या चीन के साथ कोई बातचीत करने की दिशा में कोई प्रयास किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार की स्थिति स्पष्ट है । हम चीन के साथ किसी ऐसे आधार पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं जो भारत की प्रादेशिक अखण्डता, प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय गौरव के अनुकूल हो ।

(ग) अभी तक चीन की ओर से कोई जबाब नहीं आया है ।

ब्रिटेन को भारतीय कपड़े निर्यात पर प्रशुल्क लगाना

468. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री ई० के० नायनार :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलैंड को भारतीय कपड़े के निर्यात पर प्रशुल्क लगाने के बारे में ब्रिटेन से कोई बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) बातचीत का क्या परिणाम रहा ; और

(घ) भारतीय माल के आयात सम्बन्धी समझौते को ब्रिटेन सरकार द्वारा समाप्त करने और उस पर शुल्क लगाने से भारत से कपड़े के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रायल में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जैसा कि 28 जुलाई, 1969 को लोक-सभा में रखे गये विवरण में उल्लेख किया था, लन्दन स्थित भारत के उच्चायुक्त ने इस मामले में भारत की गहन चिन्ता की ओर ब्रिटेन सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था । इस मामले पर निरन्तर ध्यान रखा जा रहा है और इसे कूटनीतिक स्तर पर उठाया

गया है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच शीघ्र ही सरकारी स्तर पर नई दिल्ली में दिसम्बर आरम्भ में वार्ताएं होंगी।

(घ) चूंकि ब्रिटेन सरकार का विचार जनवरी, 1972 से ही शुल्क लगाने का है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

नौसेना के लिये गश्ती नौकाएं

469. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के लिये गश्ती नौकाएं बनाने के लिये कुछ विदेशी फर्मों से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने संबंधी बातचीत पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) ऐसी नौकाओं का उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विधि उप-मन्त्री का अहमदाबाद का दौरा

470. **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जयसिंह : **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें गुजरात सरकार से विधि उप-मंत्री श्री मुहम्मद यूनस सलीम के बारे में यह शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्होंने अपनी अहमदाबाद यात्रा के दौरान दंगा पीड़ित लोगों को शरणार्थी शिविर न छोड़ने और अपने घर वापस न लौटने को कहा था ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस प्रकार की साम्प्रदायिक गतिविधियों के लिए विधि उप-मंत्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) केन्द्रीय सरकार के उप विधि मन्त्री श्री मुहम्मद यूनस सलीम के गुजरात के दौरे के बारे में प्रधान मंत्री को गुजरात के मुख्य मन्त्री से 2 पत्र मिले हैं। श्री सलीम ने भी अपने दौरे और स्थिति के मूल्यांकन के बारे में प्रधान मंत्री को एक रिपोर्ट भेजी है सदन यह मानेगा कि एक ओर प्रधान मंत्री और उनके मंत्रमण्डल के सदस्यों के बीच अथवा दूसरी ओर राज्य सरकारों के साथ हुए पत्र व्यवहार के बारे में विवरण देना संभव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

दलाई लामा की प्रधान मन्त्री के साथ भेंट पर चीन का विरोध

471. **श्री जे० अहमद :**　　　　**श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री सीताराम केसरी :　　　　**श्री ज० के० चौधरी :**
श्री स० कुन्दू :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित चीन के कार्यवाहक राजदूत ने दलाई लामा की प्रधान मन्त्री के साथ हाल में हुई भेंट पर सरकार को कड़ा विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 16 अक्तूबर, 1969 को चीनी कार्यनायक ने भारत के विदेश मन्त्री (प्रधान मन्त्री नहीं) के साथ परमपावन दलाई लामा की भेंट के खिलाफ मौखिक रूप से विरोध प्रकट किया था ।

(ख) भारत सरकार ने जवाब में कहा था कि परमपावन दलाई लामा के प्रति समुचित शिष्टता का व्यवहार किया जाता है जिसमें नेताओं से उनकी भेंट भी शामिल है और यही हुआ था । चीनी कार्यनायक के विरोध को साफ-साफ शब्दों में अस्वीकार कर दिया गया ।

रक्षा सेवाओं में इंजीनियरों की कमी

472. **श्री जे० अहमद :**　　　　**श्री मोहन स्वरूप :**
श्री बेघर बेहरा :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सेवाओं में इंजीनियरों की कमी है ;

(ख) क्या रक्षा विभाग ने इंजीनियरों को अच्छी सेवा-शर्तों की पेशकश करके उन्हें आकर्षित करने के कोई प्रयास किये थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सेना तथा नौसेना में इंजीनियरों की कमी नहीं है, परन्तु वायु सेना में इंजीनियरों की कमी है ।

(ख) और (ग). सेना : इंजीनियरों को आकर्षित करने के लिये उन्हें दूसरे वर्गों की तुलना में निम्नलिखित अधिक अच्छी सेवा की शर्तें देने के प्रयास किये गये थे ।

(1) पाठ्यक्रम के प्रारम्भ से या इन्डियन मिलिटरी अकादमी में रिपोर्ट करने की तारीख से जो भी बाद की हो इन्जीनियरिंग स्नातकों को अल्पकालिक कमीशन 2/लेफ्टनेंट के पद पर परवीक्षा पर स्वीकार किये गये थे ।

(2) उन्हें वरीयता, पदोन्नति और वेतन वृद्धि के उद्देश्यों के लिये दो वर्ष पूर्व दिनांकन प्रदान किया गया था ।

(3) असैनिक विभागों में सेवा को मान्यता देने के लिये, अनिवार्य सेवा योजना के अन्तर्गत लिये गये अफसरों को अतिरिक्त पूर्व दिनांकन भी प्रदान किया गया था।

(4) विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के अन्तर्गत अन्तिम या अन्तिम से पूर्व वर्ष के योग्य इंजीनियरिंग विद्यार्थियों का अन्तिम अल्पकालिक कमीशन स्वीकार किये गये थे। तदपि इस योजना को 1968 में इंजीनियरों की ओर से अच्छे प्रतिकार के फलस्वरूप निलंबित कर दिया गया था।

(5) जुलाई, 1969 से इंजीनियरों के स्थायी कमीशन के रिक्त स्थानों की संख्या को 90 से 200 प्रतिवर्ष बढ़ा दिया गया था।

(6) वार्षिक 350 रिक्त स्थानों के साथ अक्तूबर 1969 से इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये प्रतिवर्ष अल्पकालिक कमीशन (तकनीकी) पुरःस्थापित किये गये थे।

(7) तकनीकी कोरों में बिना इंजीनियरिंग डिग्री के स्थायी कमीशन प्राप्त अफसरों को तथा उनको जिन्हें तदुपरांत स्थायी कमीशन दिया जाना है, उनको उसी कोर में लम्बे इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित किया जायेगा।

नौसेना : कमियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, सीधी भर्ती और विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के द्वारा लोगों को आकर्षित करके पूरा किया जा रहा है।

"सैनिक समाचार" में प्रकाशित भारत का मानचित्र

473. **श्री जे० अहमद :** **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री स० कुन्दू : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री एस० एम० कृष्ण : **श्री रा० बरुआ :**
श्री समर गुह : **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री बलराज मधोक : **श्री देवेन सेन :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका "सैनिक समाचार" के स्वतंत्रता दिवस के अंक में भारत का एक मानचित्र प्रकाशित किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसमें कश्मीर को भारत के सीमा क्षेत्र से बाहर दिखाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस साप्ताहिक पत्रिका के स्वतंत्रता दिवस के अंक में इस मानचित्र के प्रकाशित करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सैनिक समाचार के स्वतन्त्रता दिवस अंक के अग्रिम पृष्ठ पर जो रेखाचित्र दिया गया

था, वह न तो भारत का भौगोलिक या राजनीतिक नक्शा अभिप्रेत था, बल्कि केवल आवरण पृष्ठ के तौर पर अपनाया गया एक कलात्मक अभिकल्पन था।

भारत में अल-फतह कार्यालय

474. **श्री जि० मो० विस्वास :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री इसहाक सम्भली :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर 1968 में दिल्ली का दौरा करने वाले अल-फतह प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अपना कार्यालय खोलने के लिये सरकार की अनुमति मांगी थी ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). यह प्रतिनिधिमंडल जब विदेश मन्त्री से मिलने आया था उस समय इसने भारत में एक कार्यालय खोलने की भी चर्चा की थी। लेकिन अभी तक कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं की गई है। अगर प्रार्थना की गई तो उस पर भारत सरकार की नीति के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा।

रबात सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेना

475. **श्री जि० मो० विस्वास :** **श्री इसहाक सम्भली :** **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री ही० ना० मुकर्जी :** **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने किन कारणों के वशीभूत होकर रबात में हाल ही में हुए इस्लामी सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था ;

(ख) क्या पाकिस्तान के कहने पर भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को सम्मेलन से निकाल दिया गया था ;

(ग) सम्मेलन में भारत की उपस्थिति के मामले पर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों का क्या रुख था ;

(घ) क्या सरकार ने रबात की घटना के सन्दर्भ में अरब देशों के प्रति भारत की नीति पर पुनर्विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने रबात सम्मेलन में इसलिए भाग लिया था क्योंकि इस सम्मेलन में ऐसे राजनीतिक प्रश्नों पर विचार किया जाना था जो इस क्षेत्र के लिए समग्र रूप से बड़े महत्वपूर्ण हैं।

(ख) और (ग). इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत सरकार को सर्वसम्मति से निमंत्रित किया गया था। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि जोर्डन के समर्थन पर पाकिस्तान ने इस बात की धमकी दी कि अगर भारतीय प्रतिनिधिमण्डल सम्मेलन में शामिल होता रहा तो वह इसका बाईकाट कर देगा। कुछ देशों ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहा और भारतीय प्रतिनिधिमण्डल सम्मेलन के समापन समारोह में भाग नहीं ले पाया।

(घ) और (ङ). पश्चिम एशिया के प्रति भारत सरकार की नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया है।

Amount of Pension, Gratuity and G. P. Fund paid to J.C.Os and N.C.Os on Retirement

476. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the amount of pension, gratuity and G. P. Fund which are paid to the military J.C.O.s and N.C.O.s category-wise, who retire after the completion of 15 years service on their own accord or are made to retire by Government ; and

(b) the time-lag after which the payment is made in such cases ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-1993/69.]

(b) The information is being obtained from the Controller of Defence Accounts (Pensions) Allahabad who is the pension paying authority and a statement will be laid on the Table of the House in due course.

Appointment of Retired Defence Officers as Secretaries of Soldiers Boards

477. **Shri Nihal Singh :**
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government propose to direct the State Governments to appoint the retired high officers of the three defence forces against the posts of Secretaries of the Soldiers Boards ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government have received some suggestions in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). (i) For revitalisation of District Soldiers' Sailors' and Airmen's Boards, it was decided in the Sixth Meeting of the Indian Soldiers' Sailors' and Airmen's Board held on 27th December, 1967 that ex-Indian Commissioned Officers may be appointed as Secretaries in grade II and III District Soldiers' Sailors' and Airmen's Boards, as and when such vacancies occur. This point was repeated in the Seventh Meeting of the ISS and A Board, held on 14th October, 1968, and all States agreed to implement the resolution.

(ii) As regards State Soldiers' Sailors' and Airmen's Boards, State Governments were requested in February, 1964 and again in February, 1965, to appoint a Senior Officer of the State Service as whole time Secretary of the Board. It was further suggested that if they proposed to appoint a retired Service Officer as Secretary of the State SS and A Board, he should be an officer who had held the rank of Lt. Col./Col. or equivalent in the Armed

Forces, before his release. Whole time Secretaries have been appointed from retired service officers, in six States.

(c) No. Sir.

Demand for Revision of Pensions of Soldiers made by Indian Ex-Servicemen League

478. **Shri Nihal Singh :**
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) wherher Government have received a memorandum from the Ex-servicemen League wherein it has been demanded that a Commission be appointed for raising pension of soldiers of all categories (reservists and pensioners) ;

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). *Ad hoc* increases in pension have been sanctioned to military pensioners on the basis of similar orders for pensioners on the civil side The first *ad hoc* increase was sanctioned in October, 1963 and a further increase of Rs. 10/- has been sanctioned with effect from 1-9-1969. The rate of reservists' pension have been enhanced to a uniform rate of Rs. 15/- per mensum with effect from the 1st April, 1968. In view of this, Government do not consider it necessary to set up a Pension Commission for revision of pension of ex-servicemen at present.

Demand for Reservation of Seats for Ex-Servicemen in Parliament and State Assemblies

479. **Shri Nihal Singh :**
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum from the Indian Ex-servicemen League wherein it has been demanded that seats be reserved for ex-servicemen also in the Parliament and State Legislative Assemblies ;

(b) if so, the action taken by Government thereon ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). It has not been found possible to accept the demand as the nomination to the Rajya Sabha is governed by the provisions of Article 80 (3) of the Constitution under which it is not possible to make any reservation for ex-servicemen. Same is the position in respect of the Upper Houses in the States. Ex-servicemen are free to contest the elections either as partymen or independents as the case may be and there does not appear to be any need to amend the Constitution so as to make a provision for reservation of seats for them in the Legislative Bodies.

हांगकांग में भारतीय राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार

480. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री गाडिलिंगन गौड : श्री रा० बरुग्रा :
श्री क० प्र० सिंह देव : श्री मथावन :
श्री श्रीचन्द गोयल : श्री सीता राम केसरी :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मधु लिमये : श्री रामावतार शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष सितम्बर के आरम्भ में हांगकांग में एक भारतीय राजनयिक को जेबकतरा होने के सन्देह में पकड़ लिया गया था तथा एक पुलिस थाने में उसके कपड़े उतरवा लिये गये थे तथा बाद में उसे निर्दोष पाया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हांगकांग सरकार ने इस आधार पर कि हर तथा कथित अपराध की जांच करने का पुलिस का कर्तव्य है इस घटना के लिये क्षमायाचना करने से इंकार कर दिया है ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस मामले की ओर गया है क्योंकि इससे राजनयिक विमुक्ति के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है तथा क्या भविष्य में हमारे राजनयिकों को अपमान होने से रोकने के लिये कोई आवश्यक कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). हांगकांग स्थित भारतीय कमीशन में तृतीय सचिव, श्री एल० टी० पुदैत को जेब काटने के सर्वथा निराधार आरोप में थाने ले जाया गया था और पहचानने में गलती होने तथा भाषा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण उनकी तलाशी ली गई थी।

(ग) यह मामला ब्रिटिश अधिकारियों के साथ उठाया गया था और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि श्री पुदैत की हैसियत को देखते हुए उनके साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए था वैसा व्यवहार नहीं किया गया है और इस घटना पर उन्होंने खेद प्रकट किया है ।

नेपाल में भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों की पिटाई

481. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटारारी के निकट इस वर्ष सितम्बर के प्रारम्भ में नेपाल में नियुक्त चार भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को, जब वे वहां कुछ माल खरीदने के लिये गये थे, पीटा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नेपाल में सरकारी काम से भेजे गये भारतीय तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). 8 सितम्बर 1969 को पूर्वी सेक्टर में पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित इतहारी डेरे के चार सदस्य शाम को इतहारी बाजार से कुछ सामान खरीदकर अपने डेरों को लौट रहे थे तो स्थानीय दंगाई लोगों ने उन्हें गाली दी और उनमें से दो को पीटा ।

(ग) काठमांडु स्थिति भारतीय राजदूत ने और निदेशक, भारतीय सहयोग मिशन, ने नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ तत्काल इस मामले को उठाया था । नई दिल्ली स्थित शाही नेपाली राजदूतावास का ध्यान भी इस घटना की ओर आकर्षित किया गया था । महामहिम की सरकार ने हमें आश्वासन दिलाया है कि उन्होंने स्थानीय प्राधिकारियों को हिदायत दे दी है कि वे सुरक्षा की हर सम्भव व्यवस्था करें और पुलिस की सहायता प्रदान करें ताकि इस परियोजना पर काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को भविष्य में कोई परेशान न करे ।

चीन में प्रशिक्षण प्राप्त नागाओं की गिरफ्तारी

482. **श्री सीता राम केसरी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के सुरक्षा उपायों के बावजूद बहुत से भूमिगत नागा छापामार युद्ध में प्रशिक्षण तथा हथियार प्राप्त करने के लिए चीन चले गये ;

(ख) इस प्रकार चीन में गये नागाओं की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार चीन से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटने पर सभी नागाओं को गिरफ्तार करने में सफल हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). अन्तिम निर्धारण के अनुसार 1967 और 1968 में लगभग 1650 भूगर्भगत नागा चीन गये थे । गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षण और आयुध तथा गोलिबारूद लेकर उनमें से लगभग 700 लौट आये हैं । इनमें से लगभग 275 पकड़ लिये गए हैं और शेष ने अपने आप को छोटे दलों में बांट लिया है और नागालैंड के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गये हैं ।

(घ) चीन को जाने वाले और वहाँ से लौटने वाले भूगर्भगत सेविवर्ग को बीच में ही रोक लेने के लिए सभी संभव सुरक्षा उपाय किये गये हैं, और चीन से लौटे उन भूगर्भगत सेविवर्ग को पकड़ने के लिये कि जो अभी स्वतंत्र हैं, सुरक्षा सेनायें संक्रियात्मक कार्य भी कर रही हैं ।

रूस के प्रतिनिधियों और प्रतिरक्षा मंत्री के बीच हुई बातचीत

483. **श्री सीता राम केसरी** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री रा० बरुआ :
श्री बलराज मधोक :
श्री मधावन :
श्री रवि राय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने अक्तूबर 1969 में रूस की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो रूस सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). सांझी रुचि की प्रायोजनाओं का इस भ्रमण के दौरान पुनरीक्षण किया गया था । बातचीत मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई थी और परिणाम संतोषप्रद रहे । और अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा ।

विदेश मंत्री की विदेश यात्रा

484. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री रवि राय :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अक्तूबर, 1969 में यूरोप और अमरीका की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की थी ; और

(ग) उन देशों के नेताओं के साथ क्या बातचीत हुई तथा क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). विदेश मंत्री अक्तूबर 1969 में संयुक्त राष्ट्रमहासभा के 24 वें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने संयुक्त राज्य अमरीका गये थे ।

(ग) यह बातचीत गोपनीय थी और इसमें अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विनिमय किया गया था ।

विद्रोही नागाओं के साथ बातचीत

485. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री एस० एम० कृष्ण : **श्री यमुना प्रसाद मंडल**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्रोही नागाओं से उनके भारत संघ में ही बने रहने के बारे में बातचीत करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). जैसा कि पहले भी कई अवसरों पर बताया गया है, 1960 में नागा नेताओं के साथ नागा समस्या के बारे

में फैसला हो गया था। जब कानून और व्यवस्था पूरी तरह कायम हो जाएगी तब राज्य के नेताओं के साथ मिलकर 1960 के समझौते पर आगे अमल किया जाएगा। भारत के सभी नागरिक, जिनमें नागा भी शामिल हैं, राज्य की बेहतरी के लिए राज्यपाल को और नागालैंड की सरकार को सुझाव देने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन छिपे नागाओं से बातचीत करने का भारत सरकार का कोई विचार नहीं है।

पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई

486. **डा० सुशीला नैयर :**　　**श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को अमरीका से अभी भी हथियार मिल रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस बारे अमरीकी सरकार से विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) इस बारे में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है संयुक्त राज्य अमरीका ने 1965 के बाद पाकिस्तान को घातक सैनिक साज-सामान की सप्लाई नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

वियतनाम के लिये अमरीकी योजना

487. **डा० सुशीला नैयर :**　　**श्री ए० श्रीधरन :**
श्री एस० एम० कृष्ण :　　**श्री क० लकप्पा :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :　　**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने वियतनाम के बारे में कोई नई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने 3 नवम्बर को वियतनाम के बारे एक सार्वजनिक भाषण दिया था जिसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ग) भारत सरकार अमरीकी राष्ट्रपति के भाषण का तथा वियतनाम लोक गणराज्य की सरकार द्वारा 6 नवम्बर को जारी किए गए वक्तव्य का अध्ययन कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रवेश

488. डा० सुशीला नैयर : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यमुना प्रसाद मंडल : श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रवेश का अब भी समर्थन करती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). चीन संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य राज्य है और भारत सरकार का कहना यह है कि संयुक्त राष्ट्र में चीनी आसन चीन लोक गणराज्य को ग्रहण करना चाहिए।

भारत के विरुद्ध चीन का विरोधपत्र

490. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह रूस से मिल कर अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) चीन के प्रचार माध्यमों ने अकसर इस तरह के आरोप लगाए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रबात सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेने पर इसरायल का आरोप

491. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसरायल सरकार ने अरोप लगाया है कि भारत द्वारा रबात में इस्लामी शिखर सम्मेलन में भाग लेने का उद्देश्य केवल इसरायल-विरोधी रवैये का प्रमाण देना था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). चूंकि भारत सरकार ने इस सिलसिले में सिर्फ अखबार की खबरें ही देखी हैं, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया का सवाल ही नहीं उठता।

कांगों के भारतीयों को कांगों छोड़ने का आदेश

492. श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री स० कुन्दू : श्री वंश नारायण सिंह :
श्री एस० एम० कृष्ण : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बेधर बेहेरा : श्री रामावतार शर्मा :
श्री राम किशन गुप्त : श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री सरजू पाण्डेय : श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगो सरकार ने भारतीय परिवारों को तुरन्त उस देश को छोड़ने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस आदेश से कुल कितने भारतीय परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) क्या सरकार ने कांगो सरकार से इस बारे में बातचीत की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ग). हमारी सूचना के अनुसार कांगोई सरकार ने 23 भारतीय नागरिकों से कांगो (किनशाशा) छोड़ कर चले जाने के लिए कहा है ।

(ख) कांगोई सरकार ने अगस्त 1969 में जो आदेश जारी किया था, उसके अनुसार कांगो में रहने वाले ऐसे सब विदेशी व्यक्तियों से ही (1) जिसके पास उचित यात्रा दस्तावेज या अधिकारपत्र नहीं थे, (2) जो ऐसे व्यापारों में लगे हैं जो सामान्यतः स्थानीय राष्ट्रिकों के हाथ में होना चाहिए और (3) जो आश्रय के पर्याप्त साधनों से हीन थे, वहां से जाने के लिए कहा गया था तथा उस सरकार ने प्रत्येक मामले में आदेश जारी कर दिये थे ।

(घ) और (ङ). जहां तक उन भारतीय राष्ट्रिकों का प्रश्न है जिन पर इसका असर हुआ है उनके सम्बन्ध में कांगोई सरकार से अभिवेदन किया गया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इन मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

एशियाई सुरक्षा योजना के बारे में अमरीकी राजदूत की प्रतिक्रिया

493. श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री मि० र० लास्कर :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित अमरीकी राजदूत ने एशियाई सुरक्षा योजना के प्रति अपने देश का विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अमरीकी राजदूत ने 9 सितम्बर को कलकत्ता में जो बयान दिया था और जिसमें उन्होंने एशियाई सुरक्षा योजना का उल्लेख किया था उसकी खबरें सरकार ने अखबारों में देखी हैं ।

(ख) भारत सरकार सैनिक गुटबन्दियों में शामिल होने के खिलाफ है चाहे वह अमरीका द्वारा प्रायोजित हो या सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ द्वारा ।

प्रतिरक्षा धातुकर्मक अनुसन्धान प्रयोगशाला, इछापुर (पश्चिम बंगाल)

494. **श्री लखन लाल कपूर : श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में इछापुर स्थित प्रतिरक्षा धातुकर्मक अनुसन्धान प्रयोगशाला को बन्द करने का अंतिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार का विचार इसे कब बन्द करने का है ; और

(घ) इस प्रयोगशाला के छटनी किये गये कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

कुआलालमपुर में हुए दंगों में भारतीय लड़की को चोटें लगना

495. **श्री लखन लाल कपूर श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुआलालमपुर में मई 1966 में हुए दंगों में एक तीन वर्षीय भारतीय लड़की के दोनों हाथ जाते रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय दूतावास ने उस लड़की की कोई सहायता की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं । मई 1969 में कुआलालमपुर में जो दंगे हुए थे उनके हताहतों में कोई भारतीय राष्ट्रिक नहीं था ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

उत्तर कोरिया द्वारा पाकिस्तान को हथियारों का दिया जाना

496. श्री मधु लिमये : श्री हेम बरुआ :
श्री स० कुन्दू : श्री मधावन :
श्री एस० एम० कृष्ण : श्री मि० ए० सोलकर :
श्री बेधर बेहरा :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर कोरिया द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में सूचना प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) यद्यपि कोरिया से पाकिस्तान को छोटे हथियारों और गोलिबारूद प्राप्त कर पाने की सामर्थ्य की संभावना को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता, प्राप्त सूचना के अनुसार डेमोक्रेटिक पीपल्ज रिपब्लिक कोरिया ने पाकिस्तान को अभी तक कोई सैनिक साज़सामान सप्लाई नहीं किया।

नाईलन के धागे के मूल्य

497. श्री मधु लिमये : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष के बजट में नाईलन धागे पर उत्पादन शुल्क में कमी के बाद कताई करने वालों ने उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के बजाय धागे का मूल्य बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या सूरत तथा अमृतसर क्षेत्रों के छोटे बुनकरों तथा सर्वजनिक कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया है ; और

(घ) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) बजट-पूर्व की अवधि (नवम्बर 1968-फरवरी 1969) के औसत मूल्यों की तुलना में जुलाई-सितम्बर, 1969 की अवधि में औसत मूल्यों (उत्पादन शुल्क छोड़ कर) में वृद्धि, पन्द्रह डेनियर के धागे के विषय में 21.1 से 30.9 प्रतिशत, 20 डेनियर के विषय में 1.1 से 35.9 प्रतिशत और 40 डेनियर के विषय में 10 प्रतिशत से अधिक हुई है।

(ग) जी, हां।

(घ) नायलोन के धागे के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक एककों को लाइसेंस दे

दिये गये हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है। वस्त्र-आयुक्त भी मूल्यों को गिराने के मार्गोपाय ढूंढने के प्रयोजन से निरन्तर निगरानी रखता है।

Reviewing of Policy Re-Production of Atomic Weapons

499. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government are reviewing their policy regarding the production of atomic weapons ;

(b) whether it is a fact that the countries which are in possession of such weapons, have also manufactured many other lethal missiles etc. ; and

(c) if so, whether Government propose to take effective steps in retaliation from the security point of view ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). Government are aware of the nuclear strength of various countries. Government's policy on the development of nuclear weapons has been explained to the House from time to time. Attention is invited to the answer given to Unstarred Question No. 495 on 23rd July, 1969.

Organisation for Steping up Exports

500. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Gavernment are contemplating to adopt some additional effective measures in order to promote India's foreign trade ;

(b) whether it is a fact that a proposal to establish an organisation on the pattern of State Trading Corporation is under consideration ; and

(c) if so, the time by which a decision is likely to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Government are in continuous touch with exporting interests and are constantly reviewing exports as well as the measures to sustain and develop them.

(b) The State Trading Corporation already exists.

(c) Does not arise.

Military Activities of Pakistan along Rajasthan Border

501. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that military activities heve been intensified by Pakistan in Pakistani territory adjoining Rajasthan ;

(b) whether some minor incidents have also taken place in this area during the last three months ; and

(c) if so, whether any orders have been issued to the army to remain alert in future ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). There is no significant intensification of Pakistani military activities across the

Rajasthan border, although Pakistan has been constructing and improving roads and other logistic facilities in this area. There have been a few instances of cattle lifting, dacoity and illegal entry of persons from across the border. The Border Security Force continues to be vigilant on the border.

India's Exports

502. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether any further progress has been made in the foreign trade during the last three months ;

(b) if so, the export items in regard to which the said progress has been made along with the names of countries to which these goods were exported ;

(c) whether some goods have been rejected and some deals cancelled because of the inferior quality of goods ; and

(d) if so, the names of the countries cancelling the deals and the details of the goods rejected ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) In the month of June, 1969, our exports were higher than in June, 1968, while in the subsequent two months, (July-August) they were lower than in the corresponding months of 1968.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d). Export and trade cover thousands of items. It is not possible to collect details of the nature asked for. If some specific case is mentioned, it will be looked into.

रूस द्वारा पकिस्तान को विमानों की सप्लाई

503. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सोवियत संघ ने पाकिस्तान को इन्टरसेप्टर मिग-19 तथा मिग-21, हल्के बम-वर्षक हवाई जहाज तथा फील्ड आर्टलरी गनों सहित आधुनिक विमान सप्लाई किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने रूस के साथ एक लम्बी अवधि वाला रक्षा समझौता किया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान को, खास तौर से पश्चिमी-पाकिस्तान में एक इस्पात उद्योग समूह तथा पूर्वी-पाकिस्तान में परमाणु शक्ति के विकास के लिये काफी मात्रा में आर्थिक सहायता भी दी गई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). पाकिस्तान ने सोवियत संघ से किस प्रकार के मिलिटरी उपस्कर प्राप्त किये हैं। इस संबंध में सरकार को प्राप्त सूचना 23 जुलाई 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर में सदन के ध्यान में लाई गई थी। सोवियत संघ ने मिग-21 या हल्के बोम्बरों के आने की

पुष्टि नहीं हो पाई है, न ही सोवियत संघ और पाकिस्तान के बीच दीर्घ कालिक रक्षा समझौते की ।

(ग) जी, नहीं ।

हिन्द महासागर में शान्ति के लिये बड़ी शक्तियों का आश्वासन

504. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने अपने हाल ही के सार्वजनिक भाषणों में कहा है कि यदि बड़ी शक्तियां हिन्द महासागर में शान्ति बनाये रखने की गारंटी देने को तैयार हों तो वहां ब्रिटिश नौसैनिक अड्डों के हटाने पर सैनिक शक्ति स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) क्या बड़ी शक्तियों ने इस सुझाव पर अपनी सहमति प्रकट की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वहाँ सैनिक शक्ति स्थापित करने के लिये सरकार क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) प्रधान मंत्री ने बराबर यह कहा है कि ब्रिटेन की नौसेना के हट जाने से हिंद महासागर क्षेत्र में कोई शून्यता नहीं आएगी । फिर भी, प्रधान मंत्री ने यह सुझाव रखा है कि इस क्षेत्र के देशों की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखण्डता के सम्मान का सुनिश्चय करने के लिये एक अंतराष्ट्रीय समझौता अथवा अभिसमय होना चाहिए ।

(ख) इस सुझाव में दिलचस्पी दिखाई गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मलयेशिया से भारतीयों का निष्कासन

505. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री ज० अहमद :
श्री सेझियान :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री बेघर बेहेरा :
श्री हुचे गोडा :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री न० रा० देवघरे :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
डा० सुशीला नैयर :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये विनियमों के अन्तर्गत उन के कार्य परमिटों का नवीकरण न होने के कारण मलेशिया में लगभग 8000 भारतमूलक व्यक्तियों को निष्कासन का खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लगभग 19000 भारतमूलक व्यक्ति जिन्होंने, मलेशिया की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, कुछ तकनीकी कारणों से नागरिकता से वंचित हो गये हैं और वे "राज्यविहीन" व्यक्ति बन गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीयों के उस देश से निष्कासन को रोकने हेतु इस मामले को मलेशिया सरकार के साथ उठाया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस नये विनिमय का असर भारतीय मूल के कितने लोगों पर पड़ेगा इसकी ठीक-ठीक संख्या भारत सरकार को मालूम नहीं है क्योंकि मलयेशिया की सरकार ने अभी तक कोई आंकड़े प्रकाशित नहीं किए हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). इस बारे में भारत सरकार मलयेशिया की सरकार से सम्पर्क बनाए रही है। मलयेशिया की सरकार ने हमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है और तत्काल किसी समस्या के खड़े होने की आशंका नहीं है।

रबात सम्मेलन के निर्णय को स्वीकार करने के लिये भारत का पूर्ण आश्वासन

506. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोरक्को स्थित भारत के राजदूत ने रबात सम्मेलन के आयोजकों को आश्वासन दिया था कि भारत सम्मेलन के निर्णयों का पालन करेगा, जबकि इन निर्णयों का बिल्कुल भी संकेत नहीं था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने ऐसा आश्वासन किस अधिकार से दिया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने, दावा किया है कि सम्मेलन से भारत को कुछ विशेष लाभ हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो वे लाभ क्या हैं ; और

(ङ) भारत किस हैसियत से सम्मेलन में भाग लेगा ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). यह तथ्य कि इस सम्मेलन के पूर्णाधिवेशन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधिमंडलों ने तैयारी बैठक में कुछ विरोध के बावजूद भारत को सर्वसम्मति से निमंत्रित किया गया था, यही कार्य इस्लामी देशों के साथ भारत की स्थिति को मान्यता प्रदान करना है। 23 सितम्बर को अपराह्न के पूर्णाधिवेशन में भारत के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था और

उस समय हमारे प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया था और हमारे स्थानापन्न नेता ने बयान दिया था।

(ङ) भारत को अधिकारिक सरकारी स्तर पर निमंत्रण दिया गया था।

अमरीका के साथ वायु रक्षा संधि

507. श्री हरदयाल देवगुण : श्री क० लकप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण : श्री सीताराम केसरी :
श्री बलराज मधोक : श्री हुकम चंद कछवाय :
श्री ए० श्रीधरन : श्री उमानाथ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1962 में भारत में अमरीका राजदूत द्वारा अपनी नवीनतम पुस्तक में किये गये इस रहस्योद्घाटन की ओर दिलाया गया है कि उस समय भारत अमरीका के साथ वायु संधि करने का इच्छुक था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और क्या सरकार इस समय किसी देश के साथ किसी प्रकार की संधि करने के बारे में विचार कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने प्रोफेसर गालब्रेथ की किताब 'एन एम्बेसेडर्स जर्नल" के वे अंश देखे है जिनमें वायु रक्षा संबंधी प्रबंधों का उल्लेख है

(ख) सरकार ने इस तरह की न तो कोई सुरक्षा संधि की है और न वह किसी तरह की सुरक्षा संधि करने की बात सोच रही है।

Escape of Panchen Lama from Labour Camp Question

508. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Bibhuti Mishra :
Shri H. Ajmal Khan :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri R. K. Amin :
Shri D. Amat :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Panchen Lama, the spiritual head of Buddhism in Tibet, has fled away from Chinese labour camp ;

(b) whether Government have obtained some information from the Government of China in this regard and if so, the details thereof ;

(c) whether Government propose to raise the question of Panchen Lama in the Security Council ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have seen various press reports on the Panchen Lama, but have no definite information on his whereabouts.

(b) The question does not arise.

(c) No, Sir.

(d) This is not a matter that can appropriately be brought up before the Security Council under the Charter of the United Nations.

Effects of Bank Nationalisation on Fourth Five Year Plan

509. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Sita Ram Kesri : Shri Shiv Chandra Jha : Shri George Fernandes : Shri Shri Chand Goyal :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether nationalisation of banks is likely to have any effects on the Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The subject is under study.

Pak Attempt to make Farakka an International Issue

510. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the issue of Farakka Dam is not so important for Pakistan as is being made out ;

(b) whether it is also a fact that Pakistan is now trying to make Farakka Dam also an international subject like Kashmir issue ;

(c) whether it is further a fact that Pakistan considers that it is in their interest to carry on the conflict with India in one way or the other instead of maintaining cordial relations with her ; and

(d) if so, why Government are encouraging their policy by having dialogues repeatedly with them on these subjects ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). There is no indication that the Government of Pakistan have altered their policy of confrontation towards India. However, one way to meet Pakistan's hostility is to bring Pakistan to the negotiating table with us.

Change in Policy of Foreign Countries towards India due to Bank Nationalisation

511. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the policy of any country towards India has changed or is likely to change due to nationalisation of banks in the country ; and

(b) if so, the names of those countries and the nature of change effected or likely to be effected in their policies ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government of India are not aware of any country having changed or likely to change its policy towards India as a result of Bank Nationalisation.

(b) Does not arise.

Asian Security and the U. S. A.

512. **Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of External Affairs be pleased to** state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by the President of U. S. A. on the 26th July, 1969 at Manila that the Asian countries should make their own arrangements for their security ;

(b) whether this change by U. S. A., in their foreign policy has in any way affected security of India ;

(c) whether in view of the statement made by the American President Government propose to discuss with the Asian countries the security of the country ; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government's attention has been drawn to the statements made by President Nixon on his Asian tour.

(b) It has in no way affected the security of India.

(c) No, Sir.

(d) It is not the policy of Government to enter into any collective security arrangements.

कपड़ा उद्योग में प्रयोग के लिये रसायनों की कमी

513. **श्री स० कुन्दू :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगोलाइट, हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा जैसे कुछ रसायनों का जिन्हें मुख्यतया कपड़ा तैयार करने वाले उद्योग में काम में लाया जाता है, आयात अकस्मात कम कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और यह कमी किन तिथियों से की गई है ;

(ग) क्या ये रसायन देश में उपलब्ध हैं ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि इन रसायनों के मूल्य बढ़ गये हैं और यदि हां, तो कितने ; और

(ङ) क्या इससे मिलों के बन्द होने तथा परिणामत: श्रमिकों की छंटनी होने की आशंका है और यदि हां, तो उस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा तथा रंगोलाइट 'सी' के आयात पर, इन रसायनों के सन्तोषजनक देशी उत्पादन के कारण, अप्रैल 1964 में रोक लगा दी गई थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हाँ । हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा तथा रंगालाइट 'सी' की कीमतें वर्तमान समय में क्रमश: 35 रु० प्रति किलोग्राम तथा 38 रु० प्रति किलोग्राम बताई जाती है जबकि निर्माण-कर्त्ताओं की कीमतें क्रमश: 17.50 रु० प्रति किलोग्राम तथा 18.50 रु० प्रति किलोग्राम हैं ।

(ङ) जी नहीं । यथापि, सरकार ने राज्य व्यापार निगम को 2500 टन हाइड्रोसल्फाइट ग्राफ सोडा तथा 200 टन रंगोलाइट 'सी' का आयात करने के लिये लाइसेंसों दिया है और आयात शुरू हो चुके हैं। पंजीकृत निर्यातकों को भी सूती वस्त्रों के निर्यात के बदले रंगों और रसायनों के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस पर अंकित मूल्य के 20 प्रतिशत तक इन रसाइनों के आयात की अनुमति दी गई है ।

भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के साथ शेख अब्दुला की भेंट

514. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री ए० श्रीधन् :
श्री क० लकप्पा :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री लखन लाल कपूर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अक्तूबर, 1969 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि अक्तूबर, 1969 के द्वितीय सप्ताह में शेख अब्दुला नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त से प्रायः मिलते रहे थे ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन्होंने सरकार से अनुमति प्राप्त की थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी नहीं । भारतीय नागरिकों को विदेशी राजनयज्ञों से मिलने के लिए पहले इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती ।

दीमापुर-कोहिमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर विद्रोही नागाओं द्वारा भारतीय सेना के कर्मचारियों का घायल किया जाना

515. **श्री स० कुन्दू :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं ने एक आक्रमण में, दिनांक 24 सितम्बर, 1969 को दीमापुर-कोहिमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर, भारतीय सेना के एक ब्रिगेडियर को तथा सेना के कुछ अन्य सिपाहियों को घायल कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रबन्ध करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां। 24 सितम्बर, 1969 को दीमापुर-कोहिमा सड़क पर लगभग 15 छुपे हुए लोगों ने 6 गाड़ियों की एक विशेष कनवाई पर जिसमें एक ब्रिगेडियर अपने संरक्षकों के साथ

यात्रा कर रहा था फायर किया। संरक्षकों ने जवाबी गोलियां चलाई तथा उन्होंने घात लगाकर बैठे हुए दल पर धावा बोल दिया जो पास के जंगल में भाग गए। ब्रिगेडियर तथा एक अदर रैंक को जो कि घटना में घायल हो गए थे सैनिक अस्पताल ले जाया गया। ब्रिगेडियर को 17 अक्तूबर, 1969 को मुक्त कर दिया गया। अदर रैंक की अस्पताल में चिकित्सा हो रही है उसकी दशा में सुधार हो रहा है।

(ग) इस क्षेत्र की स्थिति से निपटने के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है।

तिब्बत में चीनी गतिविधियां

516. **श्री स० कुन्डू :** **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री एस० एम० कृष्ण : **श्री सं० च० सामन्त :**

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिब्बत में चीनी गतिविधियों तथा सिक्यांग में लोप नोर के स्थान पर परमाणु शक्ति मुख्यालय की स्थापना के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चीनी गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु भारतीय सीमा सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जैसा कि 6 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2491 के उत्तर में बताया गया था सिक्यांग में विभिन्न सैनिक संस्थानों समेत सीमा पार चीनियों की सैनिक गतिविधियों का सरकार को ज्ञान है। सरकार को ज्ञान है कि चीनी लोपनोर में मीजाईलों, नाभिकीय तथा तापनाभिकीय आयुधों का परीक्षण करते रहे हैं। तिब्बत में चीनी कई बंकरों, बैरकों गोलीबारूद के भंडार भवनों का निर्माण करते रहे हैं और व्यापकतौर पर विभिन्न सैनिक स्थानों को मिलाने के लिए सड़कों का सुधार करते रहे हैं। अपने रक्षा प्रबंध करते समय इन गतिविधियों का ध्यान रखा गया है।

बंगलोर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति प्रतिनिधियों पर काफी बोर्ड द्वारा किए गए खर्च की जांच

517. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलोर में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रतिनिधियों को निशुल्क आहार तथा नाश्ता आदि देने के लिये काफी बोर्ड (इण्डिया) ने बहुत अधिक धन व्यय किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानित धन कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या बोर्ड के मुख्य कार्यालय से अनुमति प्राप्त की गई थी ;

(घ) यदि नहीं. तो क्या सरकार का इस मामले की जांच करने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी सेवक राम) : (क) बंगलौर में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन के अवसर पर काफी व लाइट स्नैक मुफ्त दिये गये थे, लेकिन नाश्ता नहीं।

(ख) बोर्ड ने तो केवल काफी तथा स्नैक्स पर ही खर्च किया, जोकि 9700 रुपये था, परन्तु आयोजनकर्ताओं ने स्थान, फर्नीचर, प्रशीतन तथा रसोई की सुविधाओं पर कुल मिलाकर 30,000 रु० व्यय किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह निश्चय मुख्य कार्यालय ने ही किया था।

(घ) तथा (ङ). ऐसी कोई सेवा बोर्ड की नीति से असंगत नहीं थी क्योंकि बोर्ड अपने पेय के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण अवसरों तथा समारोहों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार की निशुल्क सेवा पहले भी कई अवसरों पर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, बंगलौर में एशियाई मनोरंजन कांग्रेस, औद्योगिक संचार सम्बन्धी अखिल भारतीय सम्मेलन, अखिल भारतीय सौन्दर्य प्रतियोगिता आदि में भी प्रदान की गई थी।

चीनी दूतावास द्वारा निमन्त्रण पत्र

518. **श्री मंगलाथुमाडोम** :　　**श्री श्रीनिवास मिश्र** :
श्री पी० विश्वम्भरन :　　**श्रीमती सुशीला रोहतगी** :
श्री राम किशन गुप्त :　　**श्री कंवर लाल गुप्ता** :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने, नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के भीतर होने वाले समारोहों के निमन्त्रण पत्र भारतीयों को भेजने के बारे में चीनी राजदूतावास पर रोक लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी दूतावास इन प्रतिबन्धों का कड़ाई से पालन कर रहा है ;

(ग) क्या चीनी कार्यवाहक दूत ने 17 सितम्बर 1969 को, राजदूतावास में स्वागत समारोह के लिये भारतीयों को सीधे ही निमन्त्रण पत्र भेजे थे ;

(घ) यदि हाँ, तो उनपर लगे प्रतिबन्धों के उल्लंघन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेश मन्त्रालय द्वारा जारी किए गये वर्तमान अनुदेशों के अनुसार नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास को अपने यहां के सभी समारोहों के लिए गैर-राजनयिक व्यक्तियों के नाम निमंत्रण विदेश मंत्रालय के माध्यम से ही भेजने चाहिएं।

(ख) जी नहीं।

(ग) 1 अक्तूबर 1969 के सिलसिले में चीनी राजदूतावास में आयोजित समारोहों के लिए चीनी राजदूतावास ने गैर-राजनयिकों को निमंत्रणपत्र सीधे ही भेज दिए थे।

(घ) निमंत्रणपत्र विदेश मन्त्रालय की मार्फत भेजने की जरूरत सिर्फ चीनी राजदूतावास की समुचित सुरक्षा का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से समझी गई है। चूंकि चीनी राजदूतावास ने इस पद्धति का पालन नहीं किया है, इसलिए चीनी राजदूतावास के स्वागत-समारोहों में निमंत्रित किए जाने वाले गैर-राजनयिकों की शनाखत करके ही उन्हें राजदूतावास में घुसने की इजाजत देने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

अम्बरनाथ गोला-बारूद कारखाने में उत्पादन

520. **श्री मंगलाथुमाडोम्** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में, अम्बरनाथ गोला-बारूद कारखाने में उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति अथवा अन्य किसी सरकारी समिति ने सिफारिश की है कि इस कारखाने के उच्च प्रबन्धकों को समय-समय पर बदल दिया जाना चाहिए : और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) रक्षा सेवाओं के लिए साजसामानों गोलाबारूद के कुछ संघटकों के लिए अतिरिक्त क्षमता के निर्माण के लिए कुछ पग चतुर्थ योजना अवधि में अम्बरनाथ की आयुध फैक्टरियों में हस्तगत हैं।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

छोटे रबड़ काश्तकारों सम्बन्धी अब्दुल्ला समिति का प्रतिवेदन

521. **श्री क० मि० मधुकर** : **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री अदिचन** :
श्री जनार्दनन :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री 30 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1436 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे रबड़ काश्तकारों सम्बन्धी अब्दुल्ला समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने अब विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनपर क्या निर्णय किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). समिति के द्वारा की गई सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर यथाशीघ्र विनिश्चय कर लिया जाएगा।

निपुण शिल्पियों को पेन्शन लाभ

522. श्री क० मि० मधुकर :　　　　　　　　श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री वासुदेवन नायर :　　　　　　　　डा० रानेन सेन :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री 30 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 237 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निपुण-शिल्पियों को पेन्शन-लाभ देने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां। कठिन परिस्थितियों में पड़े निपुण शिल्पियों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया गया है।

(ख) योजना को क्रियान्वित करने के लिये ब्यौरे तथा प्रक्रिया तैयार की जा रही है।

आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों के भुगतान के लिये आजाद हिन्द फौज संस्था द्वारा दिया गया अभ्यावेदन

523. **श्री समर गुह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज संस्था ने लोक-सभा के गत सत्र के बाद आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कर्मचारियों को वचनबद्ध वेतन पेंशन, भत्त, दिए जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मन्त्री महोदय ने 15 सितम्बर, 1969 को आजाद हिन्द फौज संघ के प्रतिनिधियों से मिलना स्वीकार किया था। संघ प्रतिनिधियों द्वारा भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के जवानों के शेष जब्त किये वेतन तथा भत्तों के सम्बन्ध में निम्न बातें उठायी गई थीं : —

(1) ऐसे मामलों में जहां सम्बन्धित व्यक्ति का वेतन लेखा उपलब्ध नहीं है वहां वेतन लेखा के जमा खाते को शीट रोल की सहायता से पुनः निर्मित कर लिया जाय। ऋण खाता पक्ष के निर्माण के लिये वेतन लेखा तथा सम्बन्धित व्यक्ति का शपथ पत्र स्वीकार किया जाना चाहिये।

(2) वह भत्ते, जैसे कि भत्ता, जापान कम्पेन वेतन, विदेश भत्ता भी लेखे में लेन चाहिए जिन्हें कि भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के जवानों को देय राशि का लेखा बनाते समय छोड़ दिया गया था।

Decline in Demand for India's Export Items

525. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the demand for various commodities exported from India has been declining in foreign countries during the last six months ;

(b) if so, the names of those commodities whose demand has been going down during the last six months and their export declining ; and

(c) the steps being taken by Government to improve the position ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Exports of about 20 commodities (mostly traditional) have, as per statement annexed, gone down during the period April-July, 1969, compared to exports during the corresponding period last year. (*Placed in Library. See* No. LT-1994/69.) However, the period of four months for which detailed figures are available, is too short for any definite comparisons to be made.

(c) In the case of oil cakes and castrol oil, it is proposed to increase the production during the Fourth Five Year Plan. In respect of raw wool, export duty of 10% advalorem has been abolished with effect from the current financial year. Law international price is the main hurdle in the export of sugar. Question of raising the production of iron and steel is under consideration in order to meet increased local demand and export orders. In the case of tea, steps are being taken to obtain better prices for our teas in the international markets. Allocation of global cotton to exporting mills on priority basis is being made. The downfall in export of raw jute and coir and manufactures thereof is fluctuating and not steady.

पटसन उद्योग को प्रोत्साहन

526. **श्री क० मि० मधुकर :** **डा० रानेन सेन :**
श्री झारखण्डे राय : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पटसन, मिलों को राहत तथा प्रोत्साहन देने के लिए अनेक उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Foreign Map of India Excluding Kashmir

527. **Shri Sharda Nand :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of **Exneral Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kashmir has not been shown as a part of India in a nap given on page 100 of the 6th Edition of "A Sketch Map History of the Great Wars and After—1914-67", written by Mr. Preneyar Charts, J. B. Gusam and J. More and published by George and Hairep and Co. Limited of London ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : We have examined a copy of the 6th edition revised of "A Sketch Map History of the Great Wars and After, 1914-67" by Irene Richards, J. B. Goodson, and J. A. Morris and published by George G Harrap and Co., Ltd., London. It contains a map on page 100 in which Kashmir has not been shown as a part of India.

(b) We are taking up the matter with the publishers in order to get the map corrected so as to show Kashmir as part of India in the next edition/print of the book.

व्यापार सम्बन्धी भारत-नेपाल वार्ता

528. **श्री प्रविचन :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर, के पहले सप्ताह में भारत और नेपाल के बीच उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो वे किन विशिष्ट मामलों पर चर्चा हुई थी ;

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये ; और

(घ) भारत-नेपाल सीमा पर सामान की तस्करी को रोकने के लिये इस वार्ता के दौरान यदि कोई उपाय निकाले गये हैं तो वे क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). दोनों देशों के बीच व्यापार तथा परिवहन सम्बन्धी मामलों पर भारत तथा नेपाल के सरकारी प्रतिनिधि-मंडलों के बीच, 29 अक्तूबर से 4 नवम्बर, 1969 तक नई दिल्ली में वार्ता हुई। विचार-विमर्श के बाद वार्ता स्थगित हो गई। पुनः बातचीत शीघ्र शुरू होने की सम्भावना है।

रूस के प्रधान मन्त्री के साथ प्रधान मन्त्री की बातचीत

529. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री गाडिलिंगन गौड़ : **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री मयावन : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री नि० र० लास्कर : **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री रा० बरुआ : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री एन० शिवप्पा : **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 सितम्बर, 1969 को पालम हवाई अड्डे पर प्रधान मंत्री ने रूस के प्रधान मंत्री से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो किस विषय पर चर्चा की गई तथा क्या निर्णय किये गये ;

(ग) क्या भारतीय प्रधान मंत्री ने पकिस्तान कोरस द्वारा हथियारों की सप्लाई किये जाने के निर्णय के विरुद्ध भारतीय जनता की नाराजी के बारे में उनको बताया था ; और

(घ) यदि हां, तो रूस के प्रधान मन्त्री की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). यह बातचीत गोपनीय प्रकृति की थी और इसका ब्यौरा बताना सम्भव नहीं है ।

कच्चे माल का आयात

530. **श्री चेंगलराया नायडू** : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :
श्री मयावन : **डा० प० मंडल** :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार सम्बन्धी सलाहकार परिषद् की बैठक इस वर्ष 27 और 28 सितम्बर, को हुई थी और उसने कच्चे माल के आयात व्यापार को उत्तरोत्तर अपने हाथ में लेने की सरकार की हाल में घोषित नीति की जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन प्रश्नों की जांच की गई है ; और

(ग) परिषद् ने क्या सिफारिशें की थीं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). बैठक में आशंकाएं प्रकट की गई थीं कि राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम शायद कच्चे माल का आयात दक्षतापूर्वक न कर सकें । यह बात बताई गई कि ये सरकारी एजेंसियों, अन्य खरीदारों की प्रतियोगिता में, विश्व बाजार से कई महत्वपूर्ण कच्चे मालों का आयात उत्तरोत्तर दक्षता से कर रही हैं और उन्हें उचित तथा सामयिक मूल्यों पर संभरण देने में भी समर्थ रही हैं और इसलिये कच्चे मालों के आयातों को इन एजेंसियों के माध्यम से मार्गीकृत करने की प्रक्रिया को तीव्र करने का विचार है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को वैदेशिक व्यापार में प्रशिक्षण

532. **श्री चेंगलराय नायडू** : **श्री रा० बरुआ** :
श्री मयावन : **श्री नि० रं० लास्कर** :

क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न क्षेत्रों और विशेष रूप से वैदेशिक व्यापार तथा निर्यात ऋण के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये भारतीय वैदेशिक-व्यापार संस्थान ने व्यापाक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय ने संस्थान से अनुरोध किया है कि वह

व्यापार प्रसार के सम्बन्ध में सुझाव देने और ईरान को बेची जा सकने वाली वस्तुओं का पता लगाने के लिये, ईरान की मंडी का अध्ययन करें ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अध्ययम प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) बैंकों के निर्यात संवर्धन सम्बन्धी कार्यकलापों को निदेशित करने के लिये समुचित रूप से प्रशिक्षित प्रबन्धकों का काडर बनाने में बैंक व्यवसाय की सहायता करने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधकों के लिये राष्ट्रीय बैंक-प्रबन्ध संस्थान के कहने पर 'निर्यात वित्त-पोषण' विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान का विचार है।

(ख) जी, नहीं। परन्तु हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने ईरान में आयात की संभाव्यताओं तथा भारत में निर्यात के लिये फालतू माल और साथ ही संयुक्त उद्योगों की स्थापना की संभाव्यताओं के दोहरे उद्देश्य से और दोनों देशों के बीच विपुल आर्थिक सहयोग की अपेक्षा वाले क्षेत्रों तथा चुने गये उत्पादों एवं वस्तुओं के निर्यात की संभाव्यताओं का स्वेच्छापूर्वक सर्वेक्षण किया।

(ग) भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने सरकार के विभिन्न विभागों निर्यात संवर्धन और अन्य निर्यात संगठनों को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ताकि उसकी सिफारिशों पर कार्यवाही आरंभ की जा सके।

Fast Breeder Atomic Reactor at Kalpakam

533. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the name of the fuel to be used in the Fast Breeder Reactor being set up at Kalpakam in collaboration with Finance and how thorium would be used in it ; and

(b) the time by which India would be in a position to instal a big atomic Fast Breeder Reactor as a result of the aforesaid Reactor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) It is proposed to use Plutonium Oxide as fuel in the Fast Breeder Test Reactor at Kalpakam, Thorium will be used as blanket material in the Reactor so that it could be converted into Uranium 233 by irradication for use as fuel material.

(b) The establishment of the Fast Breeder Test Reactor at Kalpakam will provide necessary experience required for the development of large Atomic Fast Breeder Reactors. It is expected that it would be possible to design and construct commercial fast breeder reactors towards the end of seventies.

India's Trade with East European Countries

534. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the value of imports and exports to the East European countries during the last three years ;

(b) whether it is a fact that exports have been constantly declining as compared to imports ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to improve the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) A statement showing actual figures of imports and exports to the East European countries during the last three years is placed on the Table of the House.

STATEMENT

India's Trade with East European Countries

(In Millions Rs.)

Name of country	1966		1967		1968	
	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports
Bulgaria	52.86	34.27	19.04	40.32	70.25	40.34
Czechoslovakia	338.97	275.76	272.11	308.02	351.87	316.00
Hungary	122.97	121.70	144.50	115.83	107.96	118.62
G. D. R.	207.03	196.29	219.50	198.18	224.98	208.97
Poland	185.57	153.57	247.11	186.33	219.58	259.07
Rumania	42.90	54.17	45.56	51.60	44.82	58.62
U.S.S.R.	1108.15	1328.71	996.99	1269.54	1261.01	1390.70
Yugoslavia	217.70	179.57	138.18	146.71	132.46	161.39
TOTAL	2276.15	2342.84	2082.99	2316.53	2412.93	2553 71

(b) No, Sir,

(c) Does not arise.

Export of Artificial Hair

535. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the target for export of artificial hair has been achieved ;

(b) if not, the shortfall and the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken by Government to improve the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No target for export of artificial hair has been fixed by the Government.

(b) and (c). Do not arise.

Exports and Imports by State Trading Corporation

536 **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the value of goods imported and exported by the State Trading Corporation during the last three years ;

(b) whether it is a fact that the trade by the State Trading Corporation has not increased in proportion to the general increase in the foreign trade of the country ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the steps being taken to improve the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The value of goods imported and exported by the State Trading Corporation during the last three years was as follows :

(Value in Rs. crores)

	1966-67	1967-68	1968-69
Exports	31.00	23.6	48.5
Imports	67.9	115.8	114.1
Total	98.9	139.4	162.6
India's Total Trade (Imports and Exports)	3,234.9	3,206.3	3,221.6

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

Export of Bananas

537. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri R. K. Birla :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a loss of Rs. 24 lakhs was incurred in the export of bananas as a result of their being perished and the export of bananas has now been discontinued ; and

(b) if so, the scheme formulated at present for the export of bananas in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). State Trading Corporation of India Ltd. suffered a loss of about Rs. 24 lakhs against all shipments made to the U. S. S. R. and Japan during 1965-66, 1966-67 and 1967-68. These losses were primarily due to the high packing cost and ocean freight and not on account of perishability of the cargo.

Exports of bananas to U. S. S. R. and European destinations beyond Suez will be resumed only after the opening of Suez Canal to commercial traffic. Exports to other destinations are being maintained as usual by the cooperative societies in Gujrat and Maharashtra. S. T. C. is not exporting bananas at present.

भारत को रबात सम्मेलन में भाग लेने के लिये निमंत्रण

538. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री नाथ पाई :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की ओर से एक शिष्ट मण्डल ने रबात शिखर सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन के आयोजक देशों की ओर से भारत सरकार को निमंत्रण भेजा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो यह निमंत्रण कब भेजा गया था और किसके माध्यम से ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) . (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सर्वसम्मत निमंत्रण की सूचना मोरक्को के विदेश मन्त्री ने 2? सितम्बर 1969 को रबात-स्थित भारत के राजदूत ने दी थी ।

भारत सूचना सेवा के अधिकारियों का भारतीय विदेश सेवा में समावेश

539. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूचना सेवा संगठन ने उन के मन्त्रालय को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें निवेदन किया गया है कि भारत सूचना सेवा से 1968 तथा 1969 में किये गये चयन को निष्प्रभावी कर दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ;

(ग) क्या सरकार ने भारत सूचना सेवा के अधिकारियों को भारत विदेश सेवा (ए) में समाविष्ट करने से सम्बन्धित पल्लई समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) भारत सूचना सेवा के अधिकारियों में विद्यमान असंतोष को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). जितने भी जन सम्पर्क अधिकारी और सूचना अधिकारी उपयुक्त पाये जाएं उन सभी को भारतीय विदेश सेवा (क) में ले लेने से संबद्ध पिल्ले समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई थी । इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय सूचना सेवा के सभी योग्य अधिकारियों पर विचार करने के बाद भारतीय सूचना सेवा के 14 अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा में लिया जा चुका है ।

पिल्ले समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि बाकी अधिकारियों को यह छूट होनी चाहिए कि अगर वे चाहें तो भारतीय विदेश सेवा (ख) में शामिल हो जाएं या फिर सेवा निवृत्त होने तक अपने वर्तमान पदों पर और वर्तमान शर्तों पर ही बने रहें । पिल्ले समिति की सिफारिश के इस भाग पर भारतीय सूचना सेवा एसोसियेशन से प्राप्त सुझावों के साथ विचार किया जा रहा है ।

दक्षिण वियतनाम में अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार

540. **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस प्रश्न पर सभी पहलुओं से विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तारापुर रिएक्टर में उत्पादित विद्युत

*541. **श्री बसवन्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर रिएक्टर में कितनी मेगावाट विद्युत तैयार की जा रही है ; और

(ख) तारापुर आणविक कारखाने को किसी समय पहले बन्द करने के क्या कारण थे ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अक्तूबर, 1969 में 1280 लाख 'यूनिट' बिजली का उत्पादन हुआ था।

(ख) रिएक्टरों के चालू होने से पूर्व सप्लाई बीच-बीच में रुक-रुक कर हो रही थी क्योंकि 'रिएक्टरों' को विभिन्न अवसरों पर जांच पड़ताल के लिये बन्द करना पड़ा था। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे स्वीचयार्ड में खराबी हो जाने के कारण अगस्त 1969 में बिजली की सप्लाई में कुछ बाधा आई थी। यह खराबी मुख्यता लवण में मिलावट और आर्द्र वायुमण्डल के कारण हुई।

भारत में आयात

542. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात में वृद्धि की अनुमति देने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन पार्टियों तथा औद्योगिक संस्थाओं को चुनने की कसौटी क्या है, जिनको ऐसे बढ़े हुए आयात की अनुमति दी जायेगी और उन मदों का ब्यौरा क्या है जिनका इस निर्णय के अनुसार आयात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). आयात नीति बनाने के लिए सम्बद्ध तकनीकी प्राधिकारियों के परामर्शानुसार मदवार पड़ताल की जाती है ताकि यह सुनिश्चित रहे कि उन्हीं मदों के लिए आयात कि मंजूरी दी जाये जोकि देश में नहीं बनाई जातीं और जो अत्यावश्यक होती हैं। उच्च मूल्य के लाइसेंस देने या मदवार आयात नीति में परिवर्तन के लिए अभ्यावेदनों पर, सरकार द्वारा बनाई गई समितियों द्वारा जिन में तकनीकी सलाहकार होते हैं, विचार किया जाता है। उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने के लिए आवश्यक आयात की मंजूरी देने की दृष्टि से ये समितियां प्रत्येक मामले की गुणावगुण के आधार पर जांच करती हैं।

दूसरे देशों के राज्याध्यक्षों के साथ भारतीय वैदेशिक--कार्य मंत्री का सीधा सम्पर्क

543. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा दूसरे देशों के राज्याध्यक्षों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करने के बारे में कुछ संसद्-सदस्यों ने प्रधान मंत्री से विरोध किया है क्योंकि इस प्रकार के कार्य से हम उस सहानुभूति से वंचित हो जाते हैं जो उन देशों के विदेश मंत्री हमारे प्रति रखते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं। इस बारे में सिर्फ एक संसद सदस्य ने प्रधान मंत्री को लिखा है।

(ख) मंत्रिगण दूसरे देशों की सरकारों के निमंत्रण पर जब उन देशों की यात्रा पर जाते हैं तो शिष्टाचार के नाते उन देशों के शासनाध्यक्षों/राज्याध्यक्षों से अवसर मिलते हैं, यही सर्वमान्य राजनयिक दस्तूर है। विदेश मंत्री के लिए तो यह और भी जरूरी है क्योंकि, हो सकता है कि, द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर भी बात करनी हो।

भारत के साथ बातचीत करने के लिये पाकिस्तान की इच्छा

544. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री रा० बरुआ :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सु० कु तापड़िया :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान अब भारत के साथ द्विवपक्षीय बातचीत करने के लिये तैयार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में भारत और पाकिस्तान द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुछ बयान तो जरूर दिए है लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बिना शर्त द्विवपक्षीय वार्ता के लिए तैयार नहीं है।

(ख) भारत ने कई बार यह प्रस्ताव रखा है कि सभी भारत पाक समस्याओं पर पाकिस्तान के साथ बिना शर्त बातचीत हो। प्रधान मंत्री ने भी राष्ट्रपति याह्या खां को पत्र लिखकर यह सुझाव दिया था कि एक द्विवपक्षीय निकाय स्थापित किया जाए जिसमें भारत-पाक के सारे सवालों पर विचार किया जा सके। पाकिस्तान की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया है।

Examination of Clerks for Promotion in Cabinet Secretariat

545. **Shri D. N. Tiwary** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether any examination is conducted by U. P. S. C. for the promotion of clerks in the Cabinet Secretariat ;

(b) if so, the number of clerks appeared and qualified in the examination during the last three years and the number of clerks who have been promoted ;

(c) whether it is a fact that unsuccessful candidates have been or are promoted on the basis of seniority in preference to successful candidates ; and

(d) if so, the reasons therefore ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

मनाली-लेह सड़क

547. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनाली-लेह सड़क बनकर पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है ; और

(ग) इस की कुल लागत क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मनाली से लेह तक एक साफ मौसम की 3 टन सड़क का निर्माण किया गया है ; और कई रक्षात्मक निर्माण कार्यों तथा अस्थायी पुलों के निर्माण और सम्पूर्ति का कार्य प्रगतिशील है ।

(ख) सड़क सीमित यातायात के लिए खोल दी गई है ।

(ग) क्योंकि कुछ निर्माण कार्य प्रगतिशील हैं सड़क के निर्माण की कुल लागत दे पाना शक्य नहीं है । इस सड़क के निर्माण पर जुलाई 1969 के अन्त तक 971.76 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं ।

पाकिस्तान द्वारा अन्य देशों से प्राप्त शस्त्रास्त्र

548. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने विदेशों से अब तक कितने परिमाण में शस्त्रास्त्र प्राप्त किये हैं ; और

(ख) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तान को हथियारों तथा गोला बारूद की राशियों के बहुत से देशों द्वारा प्राप्त होने की सूचना सदन को समय-समय पर दी जाती रही है । 13 नवम्बर 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर में यू० एस० ए० तथा चीन द्वारा सप्लाइयों की सूचना दी गई थी । पाकिस्तान को अभी हाल में मिलिटरी उपस्करों के अर्जन के संबंध में कुछ अतिरिक्त सूचना 6 अगस्त, 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 380 के उत्तर में दी गई थी । पाकिस्तान को जो मिलिटरी उपस्कर

सोवियत संघ से प्राप्त हुए हैं उनकी सूचना आज तारांकित प्रश्न संख्या 67 के उत्तर में दी गई है।

(ख) पाकिस्तान की सैनिक तैयारी के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, उसके प्रति सरकार सजग है।

पाकिस्तान द्वारा चीन से टैंकों का अर्जन

550. **श्री बलराज मधोक :**
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने चीन से 9.56 टैंकों तथा हथियारों का अर्जन किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान की तोपखाने की शक्ति अब लगभग भारत के बराबर है ; और

(ग) यदि हां, तो एक ओर भारत तथा दूसरी ओर पाकिस्तान तथा चीन के बीच सैनिक सन्तुलन पुनः स्थापित करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। विभिन्न आयुधों और साज़सामान की किस्में और राशिएं कि जो पाकिस्तान ने चीन से प्राप्त की थीं 13 नवम्बर 1969 को उत्तर दिये गए अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर में सदन के ध्यान में लाई गई थीं।

(ख) और (ग). पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं भारत की आधी से अधिक हैं। रक्षा तैयारी की अपनी स्थिति, देश द्वारा सामना किए जाने वाले संकटों के महत्व को सामने रखती है।

Appointment of Envoys knowing Indian Languages

551. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri P. M. Sayeed :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1428 on the 30th April, 1969 and state :

(a) whether Government propose to issue orders to all the Indian Embassies to carry on their work in Hindi ;

(b) if not, whether Government are aware that the countries whose language is not English consider the Indian nationals still the mental slaves of the English owing to use of English language by Indian nationals even now ; and

(c) whether Government propose to appoint such envoys in the Indian Embassies abroad who know the Indian language and are acquainted with the Indian culture ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) While it is not possible to completely switch over to Hindi at this stage,

instructions have been issued to Indian Missions abroad to use Hindi as far as may be practicable, e. g., to reply to Hindi letters in Hindi, to issue invitations cards and messages in Hindi, the local language also being used for the purpose, if necessary, to have name plates and sign boards in Hindi. Our officers have also be instructed to use Hindi in conversion among themselves and, where possible with foreigners also.

(b) Government are satisfied that no such view can reasonably be held.

(c) Persons appointed as Indian Envoys do know one or more Indian languages and are well acquainted with India's culture and traditions.

नौसैनिक उपकरण को बदलना

552. श्री रणजीत सिंह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि हमारे बड़े नौसैनिक जहाजों की तोपें गोलाबारी की मशीनें तथा मैगजीन लिफ्टें इतनी पुरानी हो गई है कि युद्ध के समय उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता ;

(ख) क्या अभ्यास के दौरान वे उपकरण बार-बार खराब हो गये थे ; और

(ग) इन उपकरणों को बदलने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) साजसामान के आधुनिकीकरण के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है।

भूमि से भूमि पर छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र

553. श्री रणजीत सिंह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि से भूमि पर छोड़े जाने वाले प्रक्षपास्त्रों के निर्माण के लिए सरकार ने किसी विदेशी फर्म के साथ कोई करार किया है ;

(ख) किस तरह के प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण किया जाएगा तथा किन फर्मों के साथ और किन देशों के साथ सहयोग किया जायेगा ;

(ग) क्या उसी फर्म के सहयोग से प्रक्षेपास्त्रों के सभी पुर्जों का निर्माण किया जाएगा ; और

(घ) प्रक्षेपास्त्रों के सभी पुर्जों का निर्माण किया जायेगा ; और

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). इस प्रावस्था में यह सभी सूचना देना लोकहित में नहीं होगा।

भारत वायु सेना द्वारा प्रयुक्त यातायात विमान

554. श्री रणजीत सिंह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय वायुसेना कितने तरह के यातायात विमानों का प्रयोग कर रही है ;

(ख) क्या मानकीकरण की कोई योजना है यदि हां, तो वे मानक विमान कौन से हैं जिन पर भारतीय वायुसेना की भावी योजना आधारित है ;

(ग) क्या सेना तथा वायुसेना के अधिकारियों ने यह सिफारिश की है कि हैलीकोप्टर विमानों का एक बड़ा वायु सेना के लिये आवश्यक है ;

(घ) क्या भारत में इन विभिन्न प्रकार के विमानों के निर्माण के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ; और

(ङ) विमान और पुर्जों के निर्माण में बड़े गैर-सरकारी क्षेत्र का योगदान क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भाड़े पर माल उठाने के लिये मुख्यत: ए० एन० 12, सी-119 जी (पैकेट), कारिबों और डकोटा इस्तेमाल किए जाते हैं ।

(ख) जी हां । ऐसी आयोजना बनाई गई है कि भारतीय वायु सेना के पास केवल दो प्रकार के विमान हों, एक भारी किस्म के और दूसरे मझोले किस्म के ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) मझोले परिवहन विमानों के निर्माण के लिए एक सुझाव विचाराधीन है ।

(ङ) विमानों या संघटकों के निर्माण में निजी क्षेत्र का भाग बहुत कम है । कुछ मदें जैसे अलूमीनियम मिश्रधातु चादरें, टायर, और ट्यूबें इत्यादि निजी क्षेत्र द्वारा सप्लाई की जा रही है ।

नैट विमान का निर्माण

555. **श्री रणजीत सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नैट" विमान के निर्माण का कार्यक्रम धीमा पड़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). नैट विमानों के निर्माण का कार्यक्रम अभंग है, परन्तु वर्षवार उत्पादन शडूल, आधिकाधिक देशीयकरण के हमारे प्रयास के लिये उपयुक्ततौर पर समायोजित किया गया है ।

पाकिस्तान द्वारा रूस और अन्य देशों से प्राप्त की गई पनडुब्बियां

556. **श्री रणजीत सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से प्राप्त होने वाली पनडुब्बियों के चालकों के प्रशिक्षण में बिलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की नौसेना ने कितनी पनडुब्बियां प्राप्त की हैं और उनमें से कितनी रूसी हैं ; और

(घ सरकार की जानकारी के अनुसार पाकिस्तान को रूस तथा अन्य देशों से कितनी पनडुब्बियों के मिलने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). सरकार को सूचना है कि पाकिस्तान के पास कितनी पनडुब्बियां हैं, किन्तु इस सूचना के विस्तार प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा। इन पनडुब्बियों में से कोई भी सोवियत संघ से नहीं आई है ।

इलक्ट्रोनिक्स का निर्यात

557. **श्री गाडिलिंगन गौड़** :

श्री क० मि० मधुकर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एशयन इलैक्ट्रेनिक्स के प्रबन्ध निदेशक श्री पी० ए० भट्ट द्वारा दिए गये "इलक्ट्रोनिक्स के निर्यात की अत्यधिक सम्भावनाओं सम्बन्धी सुझाव की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या देश में विद्युत उद्योग तथा इलैट्रोनिक्स द्वारा अपेक्षित ताम्बे अथवा टिन के आयात पर लगाये गये प्रतिबन्ध से इनके उत्पादकों के निर्यात को गम्भीर धक्का पहुंच रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जिस मंच से सुझाव दिये गये हैं उसके सम्बन्ध में पर्याप्त वितरण के अभाव में, माननीय सदस्यों द्वारा निर्दिष्ट विशेष सुझाव को ढूंढ़ना सम्भव नहीं है ।

(ख) तथा (ग). जी नहीं, वर्तमान नीति के अनुसार, बहुत सी इंजीनियारिंग मदों के निर्यात के बदले तांबे का आयात करने की अनुमति है । तथापि विशिष्ट निर्यात क्रयादेशों के निष्पादन हेतु अग्रिम आधार पर भी आयात की अनुमति है । इजिनियरी माल के निर्यात के बदले तांबे के आयात के लिए प्रार्थनापत्रों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और आयात की अनुमति दी जाती है ।

अल अक्सा मस्जिद

538. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इसराइल में अल अक्सा मस्जिद में लगी आग की भारत के अनेकों मुसलमानों और गैर-मुसलमानों पर तेज़ प्रतिक्रिया हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अल अक्सा मस्जिद जलाए जाने के बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया विदेश मन्त्री द्वारा 26 अगस्त 1969 को लोकसभा में और 28 अगस्त को राज्यसभा में बताई जा चुकी है ।

रबात में भेजा गया भारतीय शिष्टमंडल

559. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबात में शिष्टमंडल भेजने का निर्णय मंत्रीमंडल में पूरी तरह से विचार विमर्श के बाद लिया गया था और यदि हां, तो मंत्रिमंडल की इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी और यह बैठक किस तारीख को हुई थी ;

(ख) क्या यह निर्णय औपचारिक रूप से निमंत्रण तथा कार्य सूची मिलने से पहले किया गया था अथवा बाद में ; और

(ग) यदि यह निर्णय निमंत्रण मिलने के काफी समय पहले किया गया था तो शिष्टमंडल को इतनी जल्दी में और लगभग अन्तिम समय में भारत से जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री सुरेन्द्र पाल सिंह : (क) से (ग). इस सम्मेलन से सर्वसम्मत निमंत्रण मिलने पर रब्बात सम्मेलन में भाग लेने का फैसला भारत सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर लिया था । इस बात के पहले ही से संकेत मिल गए थे कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले बहुत से देश यह चाहते हैं कि भारत भी इसमें भाग ले ।

कपड़ा मिलों में रद्दी घोषित किये जाने वाले तकुवे तथा करघे

560. **श्री एस० आर० दामनी** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्द कपड़ा मिलों में से कितनी मिलों को रद्दी घोषित करने योग्य समझा गया है ;

(ख) इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान क्षमता में से कितने तकुवे तथा करघे बेकार हो जायेंगे ; और

(ग) इस क्षमता को बनाये रखने के लिये तथा चौथी योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अवश्य नई क्षमता की मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 16

(ख) तकुवे : 230132

करघे : 2312

(ग) रद्दी घोषित की गई क्षमता नई इकाईयों की स्थापना के लिए आबंटित कर दी जाती है । चौथी पंचवर्षीय योजना में मिल क्षेत्र की कताई अथवा बुनाई क्षमता में कोई वृद्धि

करने की प्रस्थापना नहीं है । फिर भी चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सूती कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही करने का विचार है :

1. कुछ कपड़ा मिलों की मशीनों का जोकि पुरानी तथा पुराने ढर्रे की हैं, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण ।

2. अतिरिक्त विद्युत चालितकरघों की स्थापना ।

आयातित रुई का उपयोग

561. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रुई 50 काउन्ट और 60 काउंट तक भी सूत का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत सी मिलें आयातित रुई का प्रयोग 40 काउन्ट तक भी कर रहे हैं ;

(ग) क्या देशी रुई के उत्पादन बढ़ाने के लिये 40 काउन्ट तक आयातित रुई का आयात बन्द करने का सरकार का विचार है ;

(घ) क्या देशी रुई के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 40 काउण्ट तक की रुई का प्रयोग करने वाली मिलों को कुछ प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां । रुई की कुछ किस्में 40 काउन्ट और 60 काउन्ट तक के सूत की कताई के लिए उपयुक्त हैं, परन्तु उनका उत्पादन देश में रुई के कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

(ख) 40 काउन्ट तक के सूत की कताई के लिए आयातित रुई का प्रयोग बहुत अधिक मिलें नहीं कर रही हैं । यह प्रयोग सामान्यतया सिलाई धागा, होजरी, ताने, औद्योगिक वस्त्रों के विशेषीकृत उद्देश्यों के लिये ही सीमित हैं ।

(ग) से (ङ). मामले पर विचार हो रहा है ।

कपास का आयात

562. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितनी तथा किस मूल्य की कपास का आयात किया जायेगा ;

(ख) अब तक कितने तथा किस मूल्य की कपास का आयात किया गया है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इनका आयात किया गया ;

(ग) नये पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत कितनी मात्रा का आयात करने का विचार है ;

(घ) कपास के मामले में आयात प्रतिस्थापन उपायों का गम्भीर रूप से अनुसरण न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस आयात से देश में कपास उत्पादन तथा उसकी कीमतों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

चालू कपास वर्ष अर्थात् सितम्बर, 1969–अगस्त, 1970 के लिए कपास की निम्नलिखित मात्रा के आयात की अनुमति दी गई है :—

देश	मात्रा (180 कि०ग्रा० की गांठों में)	मूल्य
संयुक्त अरब गणराज्य	1,35,000	2.30 करोड़ रु०
सूडान	1,90,000	30.06 करोड़ रु०
संयुक्त राज्य अमेरिका	1,00,000	9.45 करोड़ रु०
पी० एल० 480 के अधीन अन्य देश	75,000	लगभग 12.24 करोड़ रु०

टिप्पणी : (1) संयुक्त अरब गणराज्य तथा सूडान से आयात विपक्षीय व्यापार करार के अधीन होता है और संयुक्त अरब गणराज्य के मामले में मूल्य तथा मात्रा और सूडान के सम्बन्ध में मूल्य के अनुसार व्यवस्था है।

(2) पी० एल० 480 करार में मूल्य के अनुसार व्यवस्था है।

(3) अन्य सभी देशों के सम्बन्ध में 75000 की निकासी मात्रा के आधार पर है।

(ख) कुछ नहीं।

(घ) तथा (ङ). किसी वर्ष में कपास के आयात के कार्यक्रम कपास की मात्रात्मक तथा गुणात्मक मांगों और देशी कपास की प्राप्यता को ध्यान में रखकर लिया जाता है। यह निर्धारण करते समय, इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आयातों का प्रभाव देशी उत्पादन या कपास की कीमतों पर तो नहीं पड़ता है। देशी कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

पश्चिमी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार

564. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी पाकिस्तान में गैर-मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनको वह देश छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वहां अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार को पश्चिम पाकिस्तान के अल्प संख्यकों के दुखों के विषय में जानकारी है जिनकी वजह से मजबूर होकर वे बहुत बड़ी संख्या में भारत आ रहे हैं। सरकार ने बार बार पाकिस्तान सरकार को यह याद दिलाया है कि अल्प संख्यकों के प्रति उसके क्या दायित्व।

गुजरात के मुसलमानों को पाकिस्तान में प्रवेश से रोका जाना

565. **यमुना प्रसाद मन्डल** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत से अनुरोध किया है कि गुजरात के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की अनुमति न दें ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान को यह सूचना दी गई है कि इस आरोप में कोई सचाई नहीं है कि गुजराती मुसलमान पाकिस्तान जा रहे हैं। बहरहाल, सीमा पर अनधिकृत आवागमन की इजाजत न देना हमारी नीति है।

पाकिस्तान जाने वाले चीनी दल का भारतीय सीमा पार करना

566. **श्री ए० श्रीधरण :**　　　**श्री लखन लाल कपूर :**
श्री क० लकप्पा :

क्या वैदेशिक कार्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक चीनी दल गिलगित में भारतीय क्षेत्र, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से अधिकार कर रखा है, को पार करके निनताका दर्रे से पाकिस्तान गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दल का विवरण क्या है ; और

(ग) इस दल को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क). जी हां।

(ख) यह कारवां पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में गिलगित में आया था, प्रकटतः अक्तूबर 196 के तथाकथित चीन-पाक समझौते के अंतर्गत और उसके अधीन नवंबर 1968 में के खुश्की रास्ते खोलने के लिए किए गए प्रबन्धों के अंतर्गत सामान को अदला-बदली करने के लिए।

(ग) चूंकि भारतीय राज्य जम्मू और काश्मीर के उत्तरी इलाकों पर पाकिस्तान का गैर-कानूनी कब्जा है इसलिए भारत सरकार ने इस चीनी कारवां को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। लेकिन, जैसा कि सदन को पहले ही सूचित किया जा चुका है, सरकार ने चीन और पाकिस्तान की सरकारों को भेजे गए नोटों में अपनी स्थिति पूरी तरह सुरक्षित रखी है और यह साफ कह दिया है कि अक्तूबर 1967 का तथाकथित चीन-पाक समझौता और उसके अधीन जिन प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया गया है वे गैर-कानूनी और अवैध हैं और हम इन्हें स्वीकार नहीं करते।

रूस द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री को दिया गया खिताब

567. **श्री बि० प्र० मंडल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें रूस सरकार की ओर से कोई खिताब प्राप्त हुआ है ;

(ख) विदेशों से खिताब स्वीकार करने का औचित्य क्या है जबकि ब्रिटिश शासनकाल में दिये गये खिताबों को स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात छोड़ दिया गया था ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश भेजे गये संसद् सदस्य

568. **श्री बि० प्र० मण्डल** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में सरकारी खर्चे पर कितने संसद सदस्यों को विदेश भेजा गया ;

(ख) इस उद्देश्य के लिये संसद सदस्यों को चुनने के लिए क्यों कसोटी अपनाई गयी है ; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों को एक से अधिक ऐसे अवसर दिये जा चुके हैं जबकि दूसरों को ऐसे अवसर नहीं दिये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

अहमदाबाद के दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में एक केन्द्रीय उपमंत्री का दौरा

569. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक केन्द्रीय उपमन्त्री श्री मुहम्मद यूनस सलीम ने अहमदाबाद दंगा-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उस उपमंत्री को घटना स्थल पर जाकर हालात का अध्ययन करने के लिए भेजा था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब तक वह वहां रहे उन्होंने अल्पसंख्यकों के क्षेत्र का ही दौरा किया और ऐसे वक्तव्य दिये जिनसे तनाव और उत्तेजना फैली ;

(घ) क्या गुजरात के मुख्य मंत्री और अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधान मंत्री से आग्रह किया है कि केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये जिसका आचरण ठीक नहीं था ; और

(ङ) यदि हां, तो उस उपमंत्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) उप मंत्री ने स्वयं गुजरात जाने का निर्णय किया था।

(ग) उप मंत्री का कहना है कि उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा बनाए गये कार्यक्रम के ही अनुसार मुख्यतः काम किया और उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि उनके बयानों से तनाव बढ़ा।

(घ) और (ङ)- गुजरात के मुख्य मंत्री ने भी प्रधान मंत्री की यात्रा के बारे में प्रधान मंत्री को 2 पत्र लिखे और उपमंत्री ने भी प्रधान मंत्री को एक रिपोर्ट भेजी। सदन यह मानेगा कि इस पत्र व्यवहार के बारे में विवरण देना सम्भव नहीं है। इस विषय पर कुछ संसद सदस्यों से भी पत्र प्राप्त हुए हैं। कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई।

इण्डो-ईरानियन कमीशन फार इकोनोमिक ट्रेड एण्ड टैक्नीकल कोआपरेशन की उपसमिति की सिफारिशें

570. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डो ईरानियन कमीशन फार इकोनोमिक ट्रेड एण्ड टैक्नीकल कोआपरेशन की उप समितियों की सिफारिशों पर विचार करने के लिए भारत और ईरान के बीच कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिनको दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). भारत—ईरानी संयुक्त आयोग द्वारा स्थापित विभिन्न संयुक्त समितियों ने जो विशेष प्रस्ताव रखे हैं या सिफारिशें की हैं या जिनके रखे जाने और किये जाने की आशा है उन पर निर्णय सम्भवतः इस आयोग की जनवरी 1970 में होने वाली दूसरी बैठक में लिए जाएंगे।

हिन्द महासागर में आस्ट्रेलिया का नौसैनिक अड्डा

571. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री ने इस आशय का वक्तव्य दिया बताया गया है कि आस्ट्रेलिया शीघ्र ही हिन्द महासागर में नौसैनिक अड्डे बनायेगा ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार हिन्द महासागर में कुछ अड्डे स्थापित करने का है ताकि हिन्द महासागर में रूस की बढ़ती हुई घुसपैठ को रोका जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बात से पूर्णतया संतुष्ट है कि देश का नौसैनिक विकास हिन्द महासागर क्षेत्र में देश के हितों को बनाये रखने और उनको पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) आस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री ने 9 अक्तूबर, 1969 को कहा था कि उनकी सरकार ने पश्चिमी आस्ट्रेलिया में अपने ही प्रदेश में काकबर्न साउन्ड में एक नौसैनिक अड्डे का सुनियोजित विकास करने का निर्णय किया है।

(ख) चूंकि यह पूरी तरह आस्ट्रेलियाई सरकार का अंदरूनी मामला है, इसलिए इसके विषय में भारत सरकार की प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). भारत सरकार किसी दूसरे देश में सैनिक अथवा नौसैनिक अड्डे स्थापित करने का समर्थन नहीं करती । इसलिए हिन्द महासागर के भारतीय प्रदेश को छोड़कर कहीं अन्यत्र भारतीय अड्डे स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । सुलभ साधनों में अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने की दिशा में पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं तथा देश की सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए भारतीय प्रदेश में अपने नौसैनिक सस्थानों को विकसित करने की दिशा में भी पर्याप्त कदम उठाये जा रहे हैं । जहां तक विदेशों युद्धपोतों के हिन्द महासागर के खुले क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा घूमने का प्रश्न है, समुद्र की मान्य स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं है । लेकिन भारत सरकार ने बार-बार यह सुझाव दिया है कि हिंद महासागर का क्षेत्र एक शाँत क्षेत्र होना चाहिये और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे इस क्षेत्र में तनाव पैदा हो ।

चैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार करार

572. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1970-75 अवधि के लिए व्यापार करार की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए तीन सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल प्राग भेजा गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके दौरे का क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या दीर्घकालिक करार के लिए कोई आधार तय किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). विदेशी व्यापार मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय व्यापार शिष्टमण्डल अक्तूबर, 1969 में चैकोस्लोवाकिया गया था । प्राग में हुई बातचीत के परिणामस्वरूप 31-10-1969 को दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालीन व्यापार तथा भुगतान करार पर, जो कि 1-1-1970 से 31-12-1974 तक वैध

होगा, हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। करार की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं। ऐसा खयाल है कि यह करार पारस्परिक आर्थिक संबंधों के समेकीकरण करने तथा उन्हें मजबूत बनाने का साधन सिद्ध होगा और आशा है कि वर्ष 1974 तक दोनों देशों के बीच वास्तविक व्यापार लगभग 100 करोड़ रु० का हो जायेगा। दोनों देशों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों सरकारें आयात तथा निर्यात के वस्तु गठन में उत्तरोत्तर विविधीकरण लाने के लिए सहमत हो गई हैं। चैकोस्लोवाकिया ने दीर्घकालीन प्रबन्धों के आधार पर हलके इंजीनियरी माल, सूती वस्त्र, सिले-सिलाए वस्त्र, लौह अयस्क और अन्य साधित तथा उपभोक्ता माल की अधिकाधिक मात्रा खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। आगामी पांच वर्षों में चैकोस्लोवाकिया अन्य पूंजीगत माल के अतिरिक्त औजारों की मिश्रधातु तथा विशेष इस्पात, ड्रम की चादरों सहित वेल्लित इस्पात उत्पाद, ट्रेक्टर, मशीनी औजार आदि की अधिक मात्रा का सम्भरण करने के लिए सहमत हो गया है। यह तय किया गया है कि सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाने के लिए तथा दोनों देशों के बीच व्यापार में और अधिक वृद्धि तथा विस्तार करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए चैकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों के दल भारत का दौरा करेंगे।

Tortures Undergone by Trilok Chandra in Pakistani Jails

573. **Shri Ram Swarup Vidyarathi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the photographs of Gulzar Hassan Shah, a Pakistani spy and Shri Trilok Chand, an Indian boy and the news published on the front page of the daily newspaper Hindustan of the 30th January, 1969 to the effect that the Pakistani spy had not undergone any suffering in the Indian jails as a result of which he looked of a very small age, though he was 70 years old and Shri Trilok Chand had to suffer tortures in the Pakistani jails as a result of which he looks very thin and weak ;

(b) if so, Government's reaction in the matter ; and

(c) whether Government propose to conduct an enquiry in the matter to know whether the Indian authorities took due care to make the necessary enquiries regarding the causes of Trilok Chandra's ill health, at the time of his crossing over to the Indian side ?

The Deputy Minister, in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) According to the statement made by Shri Trilok Chandra on his return to India, he was tortured by the Pakistan authorities during the period of interrogation after his arrest in Pakistan. While he was still under detention in Pakistan, the Government of India had taken up with the Government of Pakistan the question of according proper treatment to him in jail. The Government of Pakistan have, however, categorically denied that he was maltreated in Pakistani jails.

Passes Issued for Republic Day Prade, 1968

574. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of passes issued for witnessing the Republic Day Prade on the 26th January, 1968 ;

the number of passes, out of that, issued to the officers of the Central Govern-

ment and their relatives as also the number of passes issued to the public residing outside Delhi ;

(c) whether Government propose to do away with the practice of extending this special facility to the officers of the Central Government and levy some fee on these passes for future ; and

(d) the measures proposed to be taken by Government to reduce the expenditure in this regard in view of the scarcity of funds ?

The Minister of Defence, and Steel and Heavy Engineering (Shri Swarn Singh) : (a) and (b). Invitation cards for about 62,600 seats were issued for Republic Day Prade, 1968. Out of this, cards for about 21,500 seats were issued to various categories of Central Government officials including Armed Forces personnel and their spouses and for about 8,400 seats for their relations and guests.

Invitation cards are also issued to non-officials. It is not possible to indicate the number of seats for which cards were issued to those residing outside Delhi as applications received for issue of invitation cards for Republic Day Prade, 1968 have not been retained. Even if records were available, it would not have been possible to furnish the information as in all cases indication is not given whether persons for whom cards are required are normally residents of Delhi or outside.

(c) The question whether admission to seating enclosures for the Repulic Day Prade should be by priced tickets or by invitation cards as at present has been carefully considered and it has been decided that the existing practice need not be disturbed.

(d) Every effort is made to effect as much economy as possible in the expenditure on the Republic Day Prade having regard to the importance of this national function.

भारत-संयुक्त अरब गणराज्य समाचार एजेन्सियां

575. **श्री इस्हाक सम्भली :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य ने ऐसी समाचार एजेंसियां बनाने के बारे में करार किया है जो रेडियो तथा समाचारपत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय समाचारों का सग्रंह कर जिससे आधिकारिक जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाये ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं और इस नये करार के अनुसार कब तक काम आरम्भ हो जायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस सिलसिले में कोई अन्तिम अथवा औपचारिक समझौता तो नहीं हुआ है लेकिन समाचारों, फिल्मों तथा रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रमों का भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच आदान-प्रदान करने के प्रश्न पर 13 सितम्बर को काहिरा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संयुक्त अरब गणराज्य के नेशनल गाईडेंस मंत्री के बीच अनौपचारिक बातचीत अवश्य हुई थी। इस बातचीत में जो विभिन्न सुझाव आये थे उनपर सरकार विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुट निरपेक्ष देशों के ग्रुप की बैठक से भारतीय प्रतिनिधि का उठ कर चला जाना

576. श्री क० प्र० सिंह देव : श्री रा० बरुआ :
श्री सु० कु० तापड़िया : श्री मयावन :
श्री श्रीचन्द गोयल : श्री क० लकप्पा :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री ए० श्रीधरन :
श्री एस० एम० कृष्ण : श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 अक्तूबर, 1969 को संयुक्त राष्ट्र संघ में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के ग्रुपों की बैठक से भारत उठ कर चला गया था :

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके बारे में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के ग्रुप के अन्य सदस्य देशों की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी हाँ। पाकिस्तान के प्रतिनिधि को मेज पर बैठा देखकर भारतीय प्रतिनिधि इस मामले की रिपोर्ट भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता से करने के लिये उठकर चला आया। उन्हें यह सलाह दी गई कि वह तब तक इस बैठक में भाग न लें जब तक कि उन परिस्थितियों को स्पष्ट न किया जाये जिनमें पाकिस्तान ने इस बैठक में भाग लिया। बाद में यह पता चला कि पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था और उसने अनधिकृत तरीके से बैठक में भाग लिया था।

(ग) ग्रुप बैठकों के संयोजक गैर सदस्यों के इन सम्मेलनों में शामिल होने को रोकने के उपायों पर विचार कर रहे हैं।

पारगमन व्यापार के संबंध में भारत-पाकिस्तान करार

577. श्री क० प्र० सिंहदेव : श्री मयावन :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री रा० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान, भारत तथा नेपाल को अपने क्षेत्र से पारगमन व्यापार को अनुमति देना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में केन्द्रीय विधि उप-मन्त्री का दौरा

579. **श्री रवि राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गुजरात के मुख्य मंत्री तथा कुछ संसद् सदस्यों ने अहमदाबाद के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में विधि मंत्रालय में उपमंत्री श्री यूनस सलीम की गतिविधियों को ठीक नहीं माना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया और उस का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) कोई कारवाई आवश्यक नहीं समझी गई है।

चीन द्वारा काश्मीर में एक आयुध डिपो का बनाया जाना

580. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों का एक कारवाँ पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकृत काश्मीर के एक भाग में आ गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे काश्मीर में एक आयुध डिपो बना रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क)से (ग). एक चीनी कारवान अगस्त 1969 के अन्तिम सप्ताह में गिलगित के उत्तर में लगभग 134 मील मिस्गार तक आ पहुंचा था। पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में अभी तक किसी आर्डिनेंस डिपु के निर्माण के संबंध में कोई सूचना नहीं है। अपनी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों का अपने रक्षा प्रबंध करते समय ध्यान रखा जाता है।

प्रतिरक्षा सेवाओं में कमीशन प्राप्त अधिकारियों और असैनिक सेवाओं के अधिकारियों के वेतन मानों में अन्तर

581. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री सेवाओं के कमीशन प्राप्त अधिकारियों और सिविल सेवाओं के अधिकारियों के वेतनमानों और पदोन्नति के अवसरों में काफी अन्तर है ;

(क) क्या कमीशन प्राप्त अधिकारी अपने वेतनमानों से संतुष्ट नहीं हैं और इसके बारे में अभ्यावेदन करते आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रक्षा सेवाओं के सेविवर्ग के वेतनमान अकसर, सरकार की सेवा में समतुल्य असैनिक सेविवर्ग के वेतनमानों के बराबर किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा सेवाओं के सेविवर्ग को उनकी सेवा के

विशेष जोखिमों और आवश्यकताओं के कारण कई रियायतें दी जाती हैं। संगठनात्मक आवश्यकताओं द्वारा पदोन्नतियों सम्बन्धी मार्ग निर्धारित किए जाते हैं, और वह सेवा से सेवा के लिए विभिन्न है। 1968 में नियुक्ति स्थानों की एक सार्थक संख्या को कर्नल/समतुल्य और उससे उच्च पद तक अपग्रेड कर दिया गया था कि तीनों सेवाओं के अफसरों के लिए पदोन्नति के लिए विशेष-तौर पर अतिरिक्त मार्ग प्राप्य किया जा सके।

(ख) जब भी कोई विषमताएं ध्यान में लाई जाती हैं, उत्तरोक्त (क) में दी गई व्यापक पहुंच में समरूपता के लिए, उन्हें दूर करने के लिए मामले का निरीक्षण किया जाता है।

Spying by Pir Pagars in Rajasthan Border

582. **Shri Shri Chand Goyal :**
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of West Pakistan have rehabilitated such Pir Pagars in the areas adjoining Indian border near Jaisalmer as are engaged in spying against India ;

(b) whether it is also a fact that Pakistan has constructed an underground road about 30 kilometres long on the Indian border near Barmer with a view to keen Military movement a secret ; and

(c) if so, the action taken by Government by way of protest ?

The Minister of Defence, and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). Government are aware of Pakistani activities across the Jaisalmer border including construction of roads and efforts to procure information of security value. There is, however, no clear indication that an underground road has been constructed across the Barmer border. The Border Security Force is patrolling the Rajasthan border and constant vigilance is being maintained.

Snapping of Ties with Communist China

583. **Shri Shri Chand Goyal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received a signed memorandum from some Members of Parliament demanding snapping of ties with Communist China and establishing relations with Taiwan ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and action taken in this regard ?

The Deputy Minister, in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government of India have seen a joint Press statement reported to have been issued by 125 MPs demanding the snapping of diplomatic relations with China and establishing relations with Taiwan.

(b) The policy of the Government of India is well known. Government see no reason for a change in the policy of recognising the People's Republic of China and maintaining diplomatic relations with it.

अहमदाबाद में हुए दंगों के सम्बन्ध में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा इस्लामाबाद में नियुक्त भारतीय उच्च आयुक्त को बुलाया जाना

584. **श्री लीलाधर कोटकी** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के वैदेशिक मामलों के कार्यालय ने 23 सितम्बर, 1969 को इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयुक्त को अहमदाबाद में हुए दंगों के सम्बन्ध में बुलाया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने भी भारत सरकार से बातचीत की थी।

(ख) अहमदाबाद में साम्प्रदायिक झगड़े हो जाने पर पाकिस्तानियों ने चिन्ता व्यक्त की थी। जवाब में हमने उन्हें बताया था कि यह हमारा आंतरिक मामला है और इस बात पर खेद प्रकट किया था कि पाकिस्तान रेडियो निरंतर साम्प्रदायिक भावना को भड़का रहा है। हमने यह भी कहा था कि अहमदाबाद की हिंसा की भारत में सर्वत्र निंदा की गई है, जिसमें प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री और दूसरे भारतीय नेताओं के वक्तव्य भी शामिल हैं, और राज्य सरकार स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये हर कोशिश कर रही है।

होशियारपुर जिले में हरियाणा कस्बे के समीप भारतीय वायुसेना के एक बमवर्षक विमान की दुर्घटना

585. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होशियारपुर से लगभग 16 किलोमीटर दूर हरियाणा कस्बे के समीप भारतीय वायु सेना का एक बमवर्षक विमान 12 अगस्त, 1969 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारणों सहित इसका ब्यौरा क्या है ; घायल हुए बताये गये विवान-चालक की हालत, जो एक अस्पताल में दाखिल किया गया था, कैसी है तथा यदि उस विमान में वायु सेना के अन्य कर्मचारी भी थे तो उनकी दशा क्या है ; और

(ग) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप धन के रूप में कितनी हानि हुई ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 12 अगस्त 1969 को 6 बज कर 40 मिनट पर सायं होशियारपुर से उत्तर-पश्चिम लगभग 6 मील पर एक वायुयान दुर्घटना हुई थी।

(ख) और (ग)- अभी तक कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है। कारणों तथा क्षति सहित पूरे विस्तारों का पता तब लगेगा जब जाँच न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होगी। विमान में केवल चालक ही था जिसके कुछ पृष्ठीय केशरूका भंग हो गए थे। उसका 15 अक्तूबर 1969 को मैडिकल बोर्ड हुआ था तथा उसे छः सप्ताह की बीमारी की छुट्टी दी गई है। इस

दुर्घटना में दूसरा कोई सेवा सेविवर्ग या सिविल जीवन या सम्पत्ति अन्तर्ग्रस्त नहीं थी। वायुयान पूरी तरह नष्ट हो गया था। वायुयान की लागत या मूल्य प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह लोकहित में नहीं होगा।

उगांडा से भारतीयों का निकाला जाना

586. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि चूंकि उगांडा की सरकार ने दो कानून बनाये हैं जिससे कि एशिया के कारीगर और व्यापारियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा जिसके फलस्वरूप लगभग 16,000 एशिया के नागरिकों को उगांडा से निकाला जायेगा और उनको ब्रिटेन जाना पड़ेगा ;

(ख) ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है जो कि वहां रह कर व्यापार तथा अन्य पेशा कर रहे हैं और जो इन दो अधिनियमों के लागू होने से प्रभावित होंगे ; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं लेकिन वह अभी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उगांडा में 1970 में नए कानून के लागू होने से कितने भारतीय राष्ट्रिकों पर असर पड़ेगा।

(ग) भारत सरकार भारतीय राष्ट्रिकों को अपने वैध हितों की रक्षा करने के लिए हर तरह की सहायता बराबर देती रहेगी।

ऊ० नू० का भारत में बसने के लिए अनुरोध

587. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बर्मा के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री ऊ० नू० के उन वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है, जो उन्होंने 16 अक्तूबर, 1969 को तोकियो की अपनी हाल की यात्रा में दिए थे, और जिनमें उन्होंने भारत में आने, कार्य निवृत्त होने तथा भारत में धर्मप्रचारक बनने का दृढ़ निश्चय किया है, और जो समाचारपत्रों में छपे हैं ;

(ख) क्या उनके उक्त वक्तव्य के संदर्भ में सरकार को उनसे कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारत और बर्मा की सरकारों के बीच विद्यमान अत्यंत मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को देखते हुए श्री ऊ० नू० को भारत आने देने तथा धर्मप्रचारक बनने की अनुमति देने से पूर्व कोई शर्त लगाने का है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार का ध्यान कई ऐसे वक्तव्यों के समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है जो ऊ० नू० के बताए जाते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

जनसंख्या की अदला बदली के बारे में पाकिस्तानी नेताओं का संयुक्त वक्तव्य

588. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पांच पाकिस्तानी नेताओं द्वारा, जो सब भूतपूर्व अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कौंसिल (भारत विभाजन के पूर्व का इसका नाम) के सदस्य थे, हाल ही में कराची में जारी किये गये एक संयुक्त वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें ये सुझाव दिये गये हैं ;

(एक) भारतीय मुसलमानों से संबंधित समस्याओं का स्थायी हल करने का आधार जनसंख्या की अदला-बदली है ;

(दो) पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष जनरल याह्या खां को भारतीय मुसलमानों को सुरक्षा के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए ; और

(तीन) नेहरु-लियाकत समझौत के प्रभावहीन हो जाने के कारण भारत को नया समझौता करने के लिये बाध्य करना ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इन पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा अभिव्यक्त विचारों को हम बिल्कुल साफ-साफ अस्वीकार करते हैं ।

हाइड्रोसलफाइट सोडे की कमी

589. **श्री एस० के० सम्बन्धन :** क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाइड्रोसलफाइट आफ सोडे की कमी के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि हाइड्रोसलफाइट की कमी के कारण भारत में हथकरघा उद्योग को कितनी हानि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को, विशेषतया हथकरघा उद्योग के सम्बन्ध में, दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई :—

(1) हाइड्रो-सल्फाइट आफ सोडे के आयात को सुविधापरक बनाने के लिये 1969-70 की आयात नीति में संशोधन किया गया है, जिसमें उसके लिये वस्त्रों के निर्यात पर, जिनमें हथकरघा कपड़ा भी शामिल हैं, रंगों तथा रासायनिक पदार्थों के आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के अंकित मूल्य की 20 प्रतिशत आयात प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

(2) वास्तविक उपयोक्ताओं के वितरण के लिए 2500 मे० टन हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा आयात करने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम को लाइसेंस दिये गये हैं।

Indo-Thailand Trade Agreement

590. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that talks were held at the level of Ministers for promoting trade between India and Thailand but the question of foreign exchange created difficulty ;

(b) if so, the efforts made by both Governments to overcome it ; and

(c) the items of agreement on which India and Thailand have agreed and the value of goods to be exported by India to Thiland ?

The Deputy Minister, in the Ministry of Foreign Trade (Chowdary Ram Sewak) : (a) to (c). Trade talks were held in New Delhi in August 1969 between a Delegation from Thailand led by His Excellency Mr. Bunchana Atthakor, Thai Minister of Economic Affairs and a Delegation of India led by Shri Bali Ram Bhagat, Minister of Foreign Trade and Supply of the Government of India. The matters discussed, and the broad conclusions reached at the meetings were incorporated in a Joint Communique. A copy thereof is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1995/69]

Supply of Arms by U. S. A. to Pakistan

591. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the U. S. A. is supplying arms and ammunition to Pakistan in one way or the other in spite of contradiction of this fact by the U. S. A. :

(b) if so, its effect on the balance of military power of India as a result of recent supplies of arms and ammunition by the U. S. A. to Pakistan ; and

(c) the steps taken by Government to off set it ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) As far as Government are aware there have been no supplies of lethal military equipment by U. S. A. to Pakistan since the ban imposed in 1965.

(b) and (c). Do not arise.

एक पाकिस्तानी द्वारा लिखित पुस्तक का पाकिस्तानी उच्च आयोग द्वारा भारत में वितरण

592. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पाकिस्तानी लेखक, डा० अज़ीज़ुल हसन अब्बासी विद्यार्थी द्वारा लिखित 'धर्म-बम्ज' नामक पुस्तिका पाकिस्तानी उच्चायोग के माध्यम से भारत में परिचलित की गई है ;

(ख) क्या इस पुस्तक में हिन्दुओं के कुछ धार्मिक तथा सामाजिक महापुरुषों के जिनमें भगवान रामचन्द्र, भगवान कृष्ण तथा महात्मा गांधी भी सम्मलित हैं, विरुद्ध द्वेषपूर्ण तथा अत्यन्त उत्तेजक प्रचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान से भारत में ऐसा साहित्य आने पर रोक लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) डा० अजीजुल हसन अब्बासी विद्यार्थी नामक पाकिस्तानी लेखक की लिखी और पाकिस्तान में मुद्रित 'द धर्मबस' नामक एक पुस्तिका, बताया जाता है, नई दिल्ली-स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन द्वारा प्रचारित की गई है। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि यह किताब वास्तव में पाकिस्तानी हाई कमीशन द्वारा ही प्रचारित की गई थी। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भी 3 नवम्बर, 1969 को जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में इस पुस्तिका को वितरित करने से इन्कार किया है।

(ख) जी हां।

(ग) उसके बाद भारत ने इस पुस्तिका के देश में आयात और प्रचार को निषिद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। सरकार की निगाह में जब कभी इस तरह का साहित्य आता है तो इसी प्रकार के कदम उठाए जाते हैं।

गुजरात सीमा पर पाकिस्तान से सैनिक खतरा

593. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में कच्छ और बांसकंठा जिले के सीमावर्ती गांवों को, उस सीमा पर पाकिस्तान से सैनिक खतरा होने के कारण खाली करया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय सेनाध्यक्ष ने इस वर्ष अक्तूबर में इस क्षेत्र का दो बार दौरा किया था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सीमा की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्द-चीन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

594. डा० रानेन सेन : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द-चीन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है ; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग वित्तीय कठिनाइयों के कारण कम्बोडिया सरकार को स्थानीय शुल्क आदि देने में भी असफल रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। वित्तीय कठिनाइयों के कारण वियतनाम कम्बोडिया और लाओस में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोगों के प्रभावी काम में अड़चन आ गई है।

(ख) जी हां। चूंकि कुछ अंशदायी देशों ने अपने हिस्से का अंशदान समय से नहीं किया इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग कम्बोडिया सरकार को कुछ धनराशियां नहीं दे पाया।

N. D. C. Meeting

595. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Ganesh Ghosh :
Shri A. K. Gopalan :
Shri K. Ramani :
Shri E. K. Nayanar :
Shri Deorao Patil :
Shri Sarjoo Pandey :
Shri S. K. Tapuriah :

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the National Development Council was held in Delhi in September, 1969 and if so, the topics which came up for discussion therein ;

(b) the decision taken by Government in regard thereto and the action proposed to be taken by Government to implement them ;

(c) whether it is a fact that the Bihar Government was represented in the said meeting by the Governor of that State ; if so, whether he presented some schemes in regard to the development of Bihar ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) A meeting of the Cammittee of the National Development Council of State Chief Ministers was held in Delhi on September 26, 1969. The Committee considered the Reports of the two Working Groups on identifications of backward areas and on fiscal and financial incentives for starting industries in backward areas ;

(b) A brief statement showing the main decisions taken by the Committee is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1996/69.]

(c) The Governor of Bihar, who represented the State Government in the meeting, offered his comments on the Reports of the Working Groups. The meeting was not intended to discuss specific schemes of development relating to particular States.

(d) and (e). Do not arise.

Inauguration of Indo-German Cultural Conferences by Chief Ministers

596. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a policy that no Minister would either inaugurate or participate in the Indo-German Cultural Conference ;

(b) if not, whether it is also a fact that a Central Minister was asked not to inaugurate the 8th Bihar State Indo-German Cultural Conference held at Patna on the last 7th September, 1969 ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Indo-Soviet Agreement on Co-operation

597. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he recently held talks with the Prime Minister of U. S. S. R. and other officers in Moscow ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that he had concluded any agreement with the U.S.S.R. Government to promote co-operation and goodwill among the Asian countries ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) the benefits which are likely to accure to our country therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes Sir.

(b) The talks were of a confidencial nature and it is not possible to divulge the details.

(c) No, Sir.

(d) and (e). Does not arise.

Abolition of Indo-Yugoslavia Visa System

598. **Shri Hukam Singh Kachwai :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are considering any scheme for abolishing the visa system between India and Yugoslavia ;

(b) if so, when this scheme would be implemented ; and

(c) the names of those countries with whom India is having visa system ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). Yes. Sir. Government have in principle and on a basis of reciprocity decided to abolish visas for Yugoslav citizens visiting India for short periods and discussions with the Yugoslav Government to this end are in progress.

(c) No visa is required by the nationals of Commonwealth countries except Ceylon and Pakistan. Nationals of Sweden, Denmark, Finland, Norway and the Federal Republic

of Germany do not require visas for short visits to India for a period extending to 90 days, on a reciprocal basis. The visa system is applicable to all other countries.

Pakistan's Membership of Military Pacts

599. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of inclusion of Pakistan in the group of neutral countries was raised in the Conference of Foreign Ministers of neutral countries ;

(b) if so, the reaction of Government in this regard ;

(c) whether it is also a fact that Pakistan is attached with some countries by military pacts ; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). The question of Pakistan's inclusion in the non-aligned Group was not raised at the meeting of Heads of delegations of non-aligned States at the U. N.

(c) Yes, Sir.

(d) Pakistan is not a non-aligned country.

Indo-Nepal Military Pact

600. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the arrangements made by Government from the point of view Indian security at the Indo-Nepal border after the termination of Indo-Nepal Military Pact, 1965 ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : The Indo-Nepal Agreement of 1965 has not been terminated and the second part of the question does not arise.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यावधि संसदीय-चुनावों के लिये कथित तैयारियां

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I call the attention of the Minister of Law and Social Welfare to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Election Commission's frequent pronouncements and hasty preparation for the mid-term Parliamentary elections for the country."

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन, निर्वाचन आयोग में, अन्य बातों के साथ-साथ निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित किया गया है। अत: निर्वाचन आयोग की यह सांविधानिक बाध्यता है कि वह हर समय निर्वाचक-नामावलियां तैयार रखे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 (2) (ख) निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार किसी भी वर्ष में निर्वाचक-नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए व्यवस्था करती है।

निर्वाचन-प्रक्रिया के शिथिल और विलंबकारी होने की आलोचना का सामना करने की दृष्टि से, सभी राज्यों एवं संघ-राज्यक्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का अधिवेशन 5 नवम्बर, 1969 को किया गया था, और यह निर्णय किया गया था कि दो मास के भीतर पूरे देश में निर्वाचक-नामावलियां पुनरीक्षित कर दी जाएं। इसके लिए एक कार्यक्रम भी बनाया गया और उसे अन्तिम रूप दिया गया। अब पुनरीक्षण का काम सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में पूरे ज़ोर-शोर से चल रहा है।

निर्वाचन आयोग ने अपना कार्यक्रम बनाने में उससे अधिक कोई कार्य नहीं किया गया है जितना कि उसके सांविधानिक और विधिक दायित्वों और कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझा गया है। इस आरोप के लिए कोई विशेष आधार नहीं है कि मध्यावधि संसदीय निर्वाचनों की बहुधा घोषणाएं होती रहती है और फलतः उनके लिए तैयारी जल्दी में की जाती है यदि निर्वाचन आयोग निर्वाचक-नामावलियों के पुनरीक्षण में अधिक समय लेता है जैसा कि अभी तक परिपाटी रही है, तो उस पर शिथिल निर्वाचन प्रक्रिया तथा अनुचित विलम्ब का आरोप लगाया जाता है। अतः निर्वाचन आयोग नामावलियों के अतिशीघ्र पुनरीक्षण के लिए नया प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात पर बल दिया है। कि पुनरीक्षण जल्दी के कारण त्रुटिपूर्ण न होने पाए। सारे देश में इस काम के लिए दक्ष कर्मचारियों को काम पर लगाने लिए यथोचित कदम उठाए जा रहे हैं।

5 नवम्बर 1969 को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अधिवेशन के तुरन्त पश्चात्, निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रैस-नोट जारी किया गया था जिसमें इस बात का विनिर्दिष्टतः उल्लेख किया गया है कि "निर्वाचक-नामावलियों के शीघ्र पुनरीक्षण तथा निर्वाचन-तंत्र को सुव्यवस्थित बनाए रखने का प्रश्न किसी घटना या परिस्थिति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।'

Shri Shiv Chandra Jha : Mr. Speaker, there was a statement from the Election Commission that Election will be held any time at a short notice. Such statements by the Election Commission are creating panic in the country. The hon. Law Minister says that if the Election Commission takes a long time in the revision of electoral rolls, as has been the practice hitherto, it is accused and criticized of tardy electoral process and undue delay and therefore, the Election Commission, is trying to make a new experiment for expeditious revision of the rolls. I would like to know from the hon. Minister as to why the work of revision of electorol-rolls was not taken since the General Elections of 1967 and why it is being done all of a sudden. May I also know the work which has been done in this regard during the last two and a half years and whether other Members will be selected in place of the Members of Syndicate ?

श्री वि० प्र० मण्डल (माधोपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनके सदस्यों ने मुझसे इस बारे में जानकारी मांगी है। यदि निर्वाचक-नामावलियों का हर साल पुनरीक्षण किया जाता तो यह एक अलग बात थी। किन्तु निर्वाचन आयोग द्वारा ये वक्तव्य दिये जा रहे हैं कि हमें एक महीने के समय में निर्वाचनों के लिये तैयार रहना चाहिए। इसके अगले सप्ताह यह वक्तव्य दिया जाता है कि चुनाव सम्बन्धी सारी तैयरियां पूरी हो गई हैं। मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करें कि क्या निर्वाचक-नामा-

वलियों का पुनरीक्षण सामान्यतः किया जा रहा है या निर्वाचन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि हम भी इसके लिए तैयार रहें ?

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर)। संसद तथा सरकार को भंग कर दिया जाये। उसके बाद नये निर्वाचन करा कर निर्वाचकों को सरकार बनाने का अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मन्त्री महोदय से स्थिति स्पष्ट करने के लिये कह दिया है।

श्री गोविन्द मेनन : मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि इस बारे में निर्वाचन आयोग को कोई अनुदेश नहीं दिये गये हैं...

अध्यक्ष महोदय : किन्तु इस बार कुछ असाधारण सी बात हो रही है।

Shri Shiv Chandra Jha : The hon. Minister has not clearly told in this regard.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : उप-चुनाव स्थगित क्यों किये गये हैं ?

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : उप-चुनाव स्थगित करने का क्या औचित्य है ?

श्री मधु लिमये (मुंघेर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : उप-चुनाव का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Madhu Limaye : The main question has not been answered by the hon. Minister.

श्री गोविन्द मेनन : मैं स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ कि इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग को कोई अनुदेश नहीं दिये गये हैं और मध्यावधि चुनाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : निर्वाचन आयोग यह क्यों कहता है कि वह थोड़े से समय में निर्वाचन करा सकता है।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Sir, when with your permission I was asking question, the hon. Member is disobeying the Chair.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का एक व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri B. P. Mandal : I also wanted to raise a point of order.

Mr. Speaker : The hon. Members may resume their seats.

Shri Bhogendra Jha : Sir, for the two and a half years I have been strictly adhering to the conventions and practices of the House but it pains me to say that certain hon. Members of this House have been holding the House to ransom by resorting to persistent filibustering and consequently Members like me who are of docile nature are put at a disadvantage by their tactics of obstructing the proceedings of the House. In doing so they are not impelled or actuated by genuine revolutionary ideas but rather they do it in order to gain cheap popularity in the Press.

Shri Madhu Limaye : It is not proper to blame the Member like this.

Shri Rabi Ray (Puri) : The hon. Speaker has allowed Shri Madhu Limaye to *raise* the Point of Order.

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो दूसरे माननीय सदस्य को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ता है। श्री मधु लिमये व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं अतः माननीय सदस्य थोड़ी देर अपना भाषण रोक लें।

श्री क० लकप्पा : जब श्री मण्डल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो आपने उन्हें अनुमति नहीं दी थी।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पूछना चाहते हैं। वैसे मैं श्री मधु लिमये से प्रार्थना करता हूँ कि वह थोड़ी देर ठहर जाय और श्री झा को अपना भाषण पूरा कर लेने दें।

Shri Madhu Limaye : Sir, I do not want to put any question. I want to raise a point of order in regard to the issue raised by Shri Shiv Chandra Jha.

Shri Bhogendra Jha : Sir, I am constained to say that I am being disturbed repeatedly. May I know whether the orders of the Chair are carried out here or not ? If we are disturbed and ignored here I will have to convey to my electorate that we are not given proper opportunity for representing their interests in this House and and further, that only such representative only can do so who are capable of creating disorder.

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to raise a point of order which cannot be raised after the question put by Shri Shiva Chandra Jha is finished. I do not intend to interrupt anybody.

अध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन है कि श्री लिमये थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

Shri Bhogendra Jha : Sir, the statement made by the hon. Minister does not clear all the points. He has said that no written orders were issued to the Election Commission. But may I know whether any verbal orders were given to them ? It is understood that all the by-elections due to be held earlier will not be held before the month of February when the electoral rolls are raised. May I know the reasons for postponing the by-elections.

Secondly, in the conference held on November 5 some members of the Congress Party were trying to expel the Prime Minister from the Party. These members want to come in the Opposition but they have not changed the name of the party as yet.

In the circumstances, may I know whether the by-elections are postponed to see if the Government in the Centre will be stable or not and whether there would be interim elections in the country ?

We should not be afraid of a situation in which interim elections become necessary. But I want to know the reasons for which the Election Commission postponed all the by-elections and declared that the elections can be completed within the period of 35 days. If this declaration falls against the will of the Government, then what is the position of the Government ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the questions put by Shri Shiva Chandra Jha should be answered by the Minister or not ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : महोदय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक स्वतंत्र प्राधिकारी हैं अतः उन्हें कोई भी लिखित तथा मौखिक आदेश नहीं दिये जा सकते। वास्तव में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कहने पर ही 5 नवम्बर को सम्मेलन बुलाया गया था और मुझे उसका पता भी तभी लगा जब इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर तैयार करने को पत्र मिले। जहां तक मतदाता सूची को पुनरक्षित करने का सम्बन्ध है यह आयुक्त का कर्तव्य है कि यह सूची पुनरक्षित की जाय। मतदाता सूचियों के तैयार न होने पर कई बार आलोचना हुई है। वास्तव में चुनाव उन्हीं राज्यों में मुल्तवी करने पड़े थे जिसमें राष्ट्रपति शासन था। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले का सांवैधानिक रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निबटारा किया जा रहा है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने सभा को धोखा दिया है।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : महोदय, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभी संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली में प्रत्येक सदन में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बि० प्र० मंडल : संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली के बारे में मैं भी उतना ही जानता हूं जितना कि आप जानते हैं। अतः मैं विरोध प्रदर्शन में सभा से बाहर जाता हूँ।

[इसके पश्चात श्री बि० प्र० मंडल सभा भवन से उठकर चले गये]
Shri B. P. Mandal then left the House.

अध्यक्ष महोदय : इस घटना पर मुझे खेद है। वह एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं किन्तु उनके व्यवहार पर मुझे खेद है। उन्होंने जो प्रश्न उठाया था उसकी वर्तमान विषय वस्तु से कोई संगति नहीं थी। यदि वह इस प्रश्न को उचित समय पर उठाते तो मैं अवश्य विचार करता। श्री बलराज मधोक।

श्री बलराज मधोक : मेरा यह प्रश्न है कि या तो मंत्री महोदय को पूरी जानकारी नहीं है अथवा वह जानकर सभा को धोखा दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने 15 नवम्बर को एक पत्र जारी किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिल्ली में मतदाता सूचियां 30 नवम्बर तक पूर्ण हो जायेंगी। इस कार्य के लिये बहुत से कर्मचारी भी भर्ती किये हैं। अत: ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने आयोग को कोई आदेश नहीं दिये हैं।

श्री उमानाथ (पुदुकोट्टै) : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या निर्वाचन आयोग 35 दिन के अन्दर सामान्य चुनाव कराने के लिये तैयार है। दूसरे उप-चुनाव कुछ समय के लिये स्थगित कर दिये गये हैं। इनसे कुछ धारणा बनना जरूरी है। क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है कि ये निर्णय क्यों किये गये? यह जानकारी दी जानी चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Electoral rolls are changed on a large scale only before General Elections. Some such impression is being created by the recent announcements of the Election Commission. The hon. Minister should answer this question after ascertaining the facts.

श्री चेंगलराया नायडू : इस पर आधा घण्टे की चर्चा होनी चाहिए ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मंत्री महोदय का उत्तर पर्याप्त नहीं है । इस पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से बातचीत करुगां । मुझे आशा है मंत्री महोदय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखेंगे ।

श्री नम्बिदार : कांग्रेस से अलग हुए कांग्रेसी सदस्यों को सभा में मुख्य विरोधी दल का दर्जा दिया गया है जो कि श्री मावलंकर द्वारा दिये गये विनिर्णयों तथा अब तक अपनाई जा रही परिपाटी के विरुद्ध है । उनको एक गुट के रूप में ही स्थान दिया जाना चाहिये, मुख्य विरोधी दल के रूप में नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नम्बिदार ने मुझे इस बारे में लिखा है । मैं इस बदले हुए वातावरण के बारे में विचार कर रहा हूँ ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : हम मूल संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सम्बन्धित है और संसद में हमारा ही दल वास्तविक कांग्रेस दल है। इसलिये हमें ही यह नाम रखने की अनुमति दी जानी चाहिये । हमें यह नाम रखने का पूर्ण अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेते हैं ।

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : वह कहते हैं कि वे वास्तविक कांग्रेस हैं । इसके विपरीत हम ही वास्तविक कांग्रेस.........(अन्तर्बाधा)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे

उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ :—

(1) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा

लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गई।** देखिये संख्या एल० टी० 1981/69]

टैरिफ आयोग अधिनियम के अधीन पत्र

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951, की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) मोटर गाड़ियों के उचित विक्रय मूल्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1968)।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर दिनांक 4 अक्तूबर, 1969 का सरकारी संकल्प संख्या 1 (58)/68-ए० ई० इंड (एक) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में निर्धारित समय के अन्दर उपर्युक्त (1) (एक) में उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का एक विवरण। [**ग्रन्थालय में रखी गई।** देखिये संख्या एल० टी०-1982/69]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचना, कपड़ा समिति अधिनियम के अधीन अधिसूचना, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिसूचना नारियल जटा-उद्योग अधिनियम के अधीन अधिसूचना तथा निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम के अधीन अधिसूचनाये।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत सूती कपड़ा (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1969 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 25 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 4265 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिये** संख्या एल० टी० 1983/69]

(2) कपड़ा समिति अधिनियम, 1963, की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत कपड़ा समिति (दूसरा संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 13 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2171 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिये** संख्या एल० टी० 1984/69]

(3) उद्योग (विकास तथा विनियमन) 1951, अधिनियम, की धारा 18-क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3745 (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो राय साहिब रेखचन्द गोपालदास मोहता स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, अकोला, के प्रबन्ध के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1985/69]

(4) (एक) नारियल जटा उद्योग अधिनियम 1953 की धारा 26 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत नारियल जटा उद्योग (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति, जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2983 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 2985 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1986/69]

(5) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963, की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) वेकुअम फ्लास्क्स का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 8 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3627 में प्रकाशित हुए थे

(दो) लान्ड्री साबुन का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 9 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3623 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) अकार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 10 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र से अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3732 में प्रकाशित हुये थे।

(चार) अकार्बनिक रंजकों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 11 सितम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3744 में प्रकाशित हुये थे।

(पांच) वाइनिल फिल्म और चादर का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 10 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3747 में प्रकाशित हुये थे।

(छः) लिनोलियम का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1969, जो दिनांक 15 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3753 में प्रकाशित हुये थे।

(सात) नारियल जटा तागा का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1969 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4431 में प्रकाशित हुये थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 1987/69]

पारपत्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967, की धारा 24 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत पारपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 15 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2220 में प्रकाशित हुये थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 1988/69]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(1) कि राज्य सभा ने अपनी 17 नवम्बर, 1969 की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है जिसमें न्यायालय अवमान विधेयक, 1968 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय राज्य सभा के 71वें सत्र के पहले दिन तक अग्रेतर बढ़ाया गया है।

(2) कि राज्य सभा ने अपनी 17 नवम्बर, 1969 की बैठक में एक स्वीकृत किया है जिसमें किराया खरीद विधेयक, 1968 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय राज्य सभा के 71वें सत्र के पहले दिन तक अग्रेतर बढ़ाया गया है।

प्राक्कलन समिति से सम्बन्धित पत्र

PAPER RELATING TO ESTIMATES COMMITTEE

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय ग्राम्य औद्योगिकरण से सम्बन्धित प्राक्कालन समिति के 22वें प्रतिवेदन के अध्याय 2 में सम्मिलित सिफारिश (क्रम संख्या 30, पैरा 77) के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की टिप्पणियों पर सरकार के अग्रेतर उत्तर का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE ON PRIVILEGES

9वां प्रतिवेदन

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं विशेषाधिकार समिति का 9वाँ प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूँ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

54वां प्रतिवेदन

श्री भालजी भाई परमार (दोहद) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 54वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

समिति के लिये निर्वाचन

नारियल जटा उद्योग

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ :—

"कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 12 दिसम्बर, 1957 के एस० आर० ओ० संख्या 3983 द्वारा संशोधित रूप में नारियल जटा उद्योग नियम, 1954, के नियम 4 के उप-नियम (1) (ड०) के अनुसरण में ; इस सभा के सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, अपने में से दो सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 12 दिसम्बर, 1957, के एस० आर० ओ० संख्या 3983 द्वारा संशोधित रूप में नारियल जटा उद्योग नियम, 1954, के नियम 4 के उप-नियम (1) (ड०) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ

The motion was adopted

कोयलाखनों में स्थिति के बेद में

RE-SITUATION IN COAL MINES

अध्यक्ष महोदय : हम अब पंजाब विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक पर विचार करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने आपको एक पत्र लिखा था जिसमें कोयला खानों में उत्पन्न गम्भीर स्थिति का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में श्रम मन्त्री वक्तव्य दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी भी समय कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकते। नियमित रूप से प्रस्ताव आने पर इस पर विचार किया गया था।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैंने आपका ध्यान नियम संख्या 349 की ओर दिलाया था। सभा में भी कुछ लोगों ने ही अधिक समय लेने का एकाधिकार जमा रखा है। हम जैसे लोग तो यहां केवल सुनने के लिए ही आते हैं, पहली बात तो यही है।

दूसरी बात यह है कि विधि मन्त्री ने संविधान से उद्धरण दिया किन्तु उसमें अपनी ओर से कुछ शब्द जोड़ दिये। निर्वाचन आयुक्त को अधीक्षण, निर्देश और नियन्त्रण का अधिकार है। वह यह नहीं कह सकता कि वह 35 दिन में निर्वाचन पूरा करा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को स्पष्टीकरण के लिए विधि मन्त्री के पास भेज दिया जाये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं कुछ मिनट लेना चाहता हूँ। उस सम्बन्ध में हमने आपको एक पत्र लिखा था। यह प्रश्न सिद्धान्त का है। हम उस पर आगे विचार विमर्श करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अन्त तक यह नहीं समझ पाया कि श्री मुकर्जी क्या कहना चाहते थे। मैं अब किसी को भी बीच में बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रंगा : मैं विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने के पक्ष में नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं बैठक नहीं बुला रहा हूं। परन्तु मैं उनका परामर्श लूगा।

श्री रंगा : जब भी कभी किसी दल का विभाजन होता है तो यह आवश्यक नहीं कि बैठक बुलाई जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन पर चर्चा की अनुमति नहीं दी।

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय...

पंजाब विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक-जारी

PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL (ABOLITION) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में पंजाब विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक पर आगे विचार किया जायेगा। श्री इसहाक सम्भली।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : Mr. Speaker, I stand to support the Punjab Legislative Council (Abolition) Bill. First of all I would like to congratulate the United Front Government of West Bengal, who initiated the move by abolishing the Legislative Council in West Bengal. Now it is Akali Party Government in Punjab who have come forward with this move. We hope that the time has come when the resolution for abolishing Rajya Sabha will be brought in this Parliament.

While accepting the system of Upper House it was argued that persons of eminence in various fields will be given opportunity to serve the country by being the Members of Parliament. It is also said that the experts of various fields and scholars and minorities are represented in the Upper House. But what happened in practice in India is quite different. In place of giving opportunity to scholars, experts or representatives of minorities for being members of Upper Houses, people, who were defeated in General Elections, were provided employment in them. It is true in case of Rajya Sabha too. As the reactioneries are out of the Congress, I hope they will bring a resolution for abolition of Rajya Sabha in pursuance of their progressive policies.

One thing more I would like to say. The Central Government should issue instructions to all Congress Governments in various States to take steps for abolishing the Upper Houses in their States. Simultaneously they should plan to abolish Rajya Sabha, the Upper House in Parliament. All opposition will give full support to such a move.

अध्यक्ष महोदय : श्री लोबो प्रभु।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा अनुरोध है कि मुझे दोपहर बाद अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, अब श्री प्रकाशवीर शास्त्री शुरू करें।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, I congratulate the Punjab Legislative Assembly for taking the step to abolish the Punjab Legislative Council. But while discussing the abolition of Punjab Legislative Council, we should not ignore the fact that there are States even smaller than the existing Punjab State which have Upper Houses.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2 बजकर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए]
[Shri M. B. Rana *in the Chair*]

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, I wrote to hon. Speaker in respect of the complete strike in Birla Cotton Mills resulting in unemployment of about 6 thousand workers. Their families are starving. Government should take interest in it and call both the parties to thrash out some agreement.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का अनुरोध मन्त्री महोदय तक पहुंचा दिया जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Two States *viz.* Punjab and Bengal have sought abolition of Legislative Councils. In fact the political parties which have majority in Legislative Assemblies do not have their majority in Legislative Councils. With a view to avoid clash between Legislative Assembly and Legislative Council of the same State, They have sought abolition of Upper House. But I welcome this move and I suggest that Legislative Councils in all other states should also be abolished so that this unnecessary double expenditure could be avoided. There is no Legislative Council in Assam, Gujarat, Haryana, Kerala, Naga Land, Orissa and Rajasthan and there is no adverse affect on their administration on their stability. Therefore I am of the view that this unnecessary expenditure of crores of rupees should be saved. This should be done even if we have to amend the Constitution. In this connection I may mention here that some people try to become Member of Upper Houses by purchasing votes. Such a practice is dangerous for the democracy. In order to curb this new type of corruption the Legislative Councils should be abolisbed.

Punjab is a border State. The Central Government should supress such forces and tendencies which try to create friction between Hindus and Sikhs and we should condemn them unanimously. The Punjab Government should accept Hindi as second language keeping in view the sentiments of minority community which is 45 per cent of its population. It will create harmony in relation between two communities.

While concluding I may say a word about Chandigarh. In fact it is the policy of the Central Government to postpone their decision on various disputes. They should examine such issues firmly and solve them immediately. An impartial commission had given verdict that Chandigarh should be given to Haryana. Moreover Haryana is a backward area of Punjab which has now become a separate State and if they are happy to have Chandigarh, we should not be angry. After all it will remain a part of India. I would again say that decision on such issues should not be postponed because unnecessary tension is created. With these words I welcome the decision of Legislative Assembly of Punjab to abolish the Upper House and I suggest that Government should take steps to amend the Constitution to abolish the Upper Houses in other States also wherever such Houses exist at present.

श्री बेदव्रत बरुग्रा (कतियाबोर) : श्री मन, यद्यपि पंजाब पहले की अपेक्षा एक छोटा राज्य हो गया है परन्तु इस का अर्थ यह नहीं कि एक छोटे राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाये । विधान परिषद का होना या न होना उस राज्य के आकार पर निर्भर नहीं करता । सिद्धान्त तो यह होना चाहियें कि सभी राज्यों को समानता की दृष्टि से देखा जाये ।

हैरोल्ड लास्की ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "दे ग्रामर आफ पालिटिक्स" में कहा है कि संघीय एककों की बात ही क्या, प्रभुसत्ता प्राप्त राज्यों में दूसरे सदन (विधान परिषद्) का अस्तित्व निरर्थक है । यह सदन या तो केवल "रबड़ की मोहर" की तरह कार्य करता है अन्यथा फिर

निचले सदन (विधान सभा) के प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है । उपरोक्त दो कार्यों में से एक तो उस सदन को करना ही पड़ता है अन्यथा वह सदन निचले सदन द्वारा किये कार्य को पुन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कर सकता । जनता के प्रतिनिधियों से युक्त निचले सदन की कार्यवाही पर अंकुश लगाने के लिये एक और सदन के रखने की बात में कोई औचित्य नहीं है ।

राज्यों में विधान परिषदें बिल्कुल बेकार हैं । उनको कोई वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं हैं। कोई बड़ी वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं तथा वे किसी कानून को बनने से सम्भवतः रोक भी नहीं सकते ।

कुछ लोगों का कहना है कि विधान परिषदें कुछ राजनीतिज्ञों को रोजगार देने के लिये गठित की गई हैं तथा सरकार पर इसके खर्च का भार पड़ता है । यह शोभा नहीं देता । इससे मेरा अर्थ यह भी नहीं है कि राजनीतिज्ञों को रोजगार की सुरक्षा ही नहीं मिलनी चाहिये । परन्तु इसके लिये कोई अन्य उपयुक्त मार्ग अपनाना चाहिये । हमें बेकार लोगों का समूह नहीं रखना चाहिये ।

विधान परिषद के पास कोई शक्तियाँ नहीं है । यह सदन किसी का प्रतिनिधित्व भी नहीं करता । यहां तक कि गैर राजनीतिक लोगों का भी प्रतिनिधित्व इस सदन में नहीं होता । यदि इस में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व होता है तो इस सम्बन्ध में भी चुनाव होने के कारण सारा वातावरण दूषित हो जाता है । फिर इसके लिये चुनाव का क्षेत्र बहुत छोटा होता है । छोटे चुनाव क्षेत्र में भ्रष्टाचार अधिक होता है । थोड़े लोगों को रिश्वत देकर काम निकालना आसान होता है परन्तु भारी संख्या में लोगों पर यह शस्त्र नहीं चलता । कदाचित इसी बात को ध्यान में रखकर अमरीका में भी सीधे चुनाव किये जाते हैं।

यही कारण है कि विधान परिषदें समाप्त की जानी चाहिए पंजाब में यह कार्यवाही बड़े सुन्दर ढंग से की गई है । हमें प्रयत्न करना चाहिए कि सभी राज्यों में विधान परिषदें समाप्त हो जायें। यही समय है कि हम सारे देश को राज्य-सभा का महत्व समझने को प्रेरित करें क्योंकि यदि छोटे राज्य नहीं रहेंगे तो राज्य सभा भी नहीं रहेगी । अमरीका के सेनेट में प्रत्येक राज्य के दो दो प्रतिनिधि हैं वहां राज्य के छोटे-बड़े होने का भेद नहीं रखा जाता, परन्तु हमारी राज्य सभा में ऐसा नहीं है । मणिपुर और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या समान नहीं है । अतः यदि राज्य सभा में भी सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं हैं तो हम राज्य सभा का अस्तित्व भी नहीं चाहते है ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : श्रीमन, पंजाब विधान परिषद को भंग करने का निर्णय इस पर व्यय होने वाले 6 लाख रुपये से सम्बन्धित बताया गया है परन्तु यदि हम थोड़ा गहराई में जाकर देखें, तो प्रतीत हो जायेगा कि इस परिषद के भंग होने का कारण विधान सभा के साथ इसकी राजनैतिक असमानता है । जब बंगाल में यह स्थिति पैदा हुई थी तो वहां भी विधान परिषद भंग कर दी गई थी । अब पंजाब में यह स्थिति उत्पन्न हुई है ।

परन्तु क्या हमारे इन संगठनों पर इस प्रकार राजनैतिक प्रभाव पड़ना चाहिये ? यह कहना ठीक है कि यदि विधान परिषद से कोई लाभ नहीं होता तो उसे सभी राज्यों में भंग कर दिया

जाना चाहिए परन्तु यदि इनके भंग किये जाने का कारण किसी राज्य के दोनों सदनों में राजनैतिक असमानता है तो फिर यह कार्यवाही संविधान तथा प्रजातंत्र के हितों के विरुद्ध होगी। जब भी राज्य के सत्तारूढ़ दल को असुविधा होती हैं वह विधान परिषद को भंग करने की सोचता है। इससे तो लोकतंत्र के सिद्धांतों का तथा हमारे संविधान का सरासर उल्लंघन होता है।

मैं श्री बरुआ से सहमत नहीं कि दूसरा सदन सर्वथा अनावश्यक है। उन्होंने हैरोल्ड लास्की का कथन उद्धृत किया है। परन्तु लास्की ने यह विचार व्यक्त करते समय हाऊस आफ लार्ड्स को अपनी दृष्टि में रखा था। हमें तो अपने संविधान की धारा 169 के अनुसार इस बारे में सोचना है। हमारा दूसरा सदन अर्थात विधान परिषद राजकुमारों आदि का संगठन नहीं है। हमारी इस परिषद के एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि होते हैं और स्थानीय निकायों का हमारी विधान परिषदों में भरपूर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अतः विधान परिषद की तुलना हाऊस ऑफ लार्ड्स से करना उचित नहीं होगा। देश में स्थानीय निकायों का विशेष महत्व है फिर इस परिषद में 1/12 सदस्य स्नातकों के प्रतिनिधि होते हैं और इस प्रकार हमारे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। होना तो यह भी चाहिए था कि विधान सभाओं और लोक सभा के लिए भी सदस्यता हेतु कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाती। इसके अतिरिक्त इस परिषद में अध्यापक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व है। इस सम्बन्ध में यह भी अच्छा रहेगा कि अध्यापन कार्य कर रहे अध्यापक को ही इस परिषद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति रहे।

इस परिषद के आधे सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता तथा सामाजिक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्योंकि ये लोग चुनाव के झंझटों में नहीं पड़ना चाहते।

साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि इन सदनों के गठन की प्रक्रिया में और सुधार हो सकता है। अब तो केवल सरकार ही यह निश्चय करती है कि कौन कलाकार है, कौन साहित्यकार है या कौन वैज्ञानिक है। सरकार को ही इसका चयन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं दी जानी चाहिए अन्यथा कलाकारों, वैज्ञानिकों आदि के रूप में इसी प्रकार राजनीतिज्ञ भरे जाते रहेंगे। इसके लिए हमें कलाकारों, वैज्ञानिकों आदि का चुनाव कराना चाहिए।

इस परिषदों के जो एक तिहाई लोग विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, यह प्रक्रिया खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगर यह प्रक्रिया ठीक नहीं की जाती तो मैं भी कहूँगा कि दूसरे सदनों को भंग कर दिया जाना चाहिए। परन्तु मैं समझता हूँ कि दूसरे सदन अर्थात विधान परिषदों तथा राज्य सभा का होना आवश्यक है।

दूसरे सदन का होना न्यायसंगत है और इसका औचित्य भी है। पहले तो इसमें विशिष्ट लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, दूसरे इसमें उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व होता है जो प्रायः चुनाव नहीं लड़ते। साथ ही यह सदन निचले सदन की फ़जूल कार्यवाहियों आदि पर थोड़ा बहुत रोक लगाता है।

हमें ऐसे सदन की आवश्यकता है जो प्रतिक्रिया वादी न हों। इससे देश में लोकतंत्र की

जड़े मजबूत होंगी। हमारी राज्य सभा में हर प्रकार के हर विचार धारा के लोगों का प्रतिनिधित्व है।

चौथी बात यह है कि दूसरा सदन निचले सदन की जल्दबाजियों पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगाता है। लोगों को सोच-विचार करने और गठित होने वाले कानूनों को समझने का अवसर और समय देता है। प्रत्येक विधेयक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समान जल्द-बाजी में पास नहीं किये जाने चाहिए।

इस आग्रह के साथ कि दूसरे सदन–चाहे वे विधान परिषदें हो या राज्य सभा हो, उनकी प्रक्रिया आदि में सुधार किया जाये, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि यह सभा इस बात पर गम्भीरता से विचार करे कि दूसरे सदनों के कार्य को कैसे अधिक प्रभाव शाली बनाया जा सकता है। हमें इस अवसर से लाभ उठाना चाहिए।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : It can be very clearly understood from Shri Lobo Prabhu's speech here that there should the representative of certain particular class of people over and above the representation of the common people in Legislative Assemblies. This is a basic issue and the House should accord a serious consideration to it.

While tracing the history of commencement of the Second Chambers in the Legislatures, we recollect that these Houses were constituted only to maintain the dignity and political importance of Lords, Khan Bahadurs, Nawab Bahadurs, Rai Bahadurs and other vested interests. And after the Britishers were gone, we also follow the suit. By setting up the Second Chambers, we also want put the representatives of some particular classes of people on the head of the representatives of the common masses. I do not understand why the voice of common people should re-superimposed by the representatives of certain particular classes.

After the independence, no new Second Chambers have been constituted, several States have no Second Chambers and their work is going on quite smoothly. The voice of the people is very well raised an honoured there. Therefore, it is nothing but a waste to have Second Chambers. We should have the people's money by abolishing the Second Chambers.

The Second Chambers have no powers to curb what the Lower Houses have done. They simply repeat what Lower House do. Besides, they do not represent common masses and, thus, do not have any contact with the common people and their problems. The Second Chambers are, therefore, quite meaningless, baseless and superfluous ; and should be done away with at the earliest possible throughout the country.

But it is quite different as regards the Rajya Sabha at the Centre. Whereas the Lok Sabha is represented by the common people, the Rajya Sabha is represented by the different States of our country. It is, therefore, very necessary to have a Second Chamber at the Centre.

I agree with Shri Barua that all States should be given equal representation in the Rajya Sabha, as is done in America and in other countries. It should not be done on the basis of the population of a State because although different States have different magnitude of population but their difficulties, problems and grievance are almost equal. It would, therefore, not be in the interest of the small States in particular if the representation in the Rajya Sabha continues on the basis of the population. I am also not in agreement with Shri Lobo Prabhu's suggestion that representation in the Rajya Sabha should be given to different communities also.

Finally, I would submit that there should be no Second Chambers in the States but a Rajya Sabha at the Centre is a must.

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : सभापति महोदय, इस सभा में अन्य चार भाषाओं में भी बोलने की अनुमति मिल गई है। मैं इस सुविधा का लाभ उठाकर अपनी मातृ भाषा मलयालम में बोलूंगा।

यह वियधेक पंजाब में विधान परिषद को समाप्त करने से सम्बन्धित है तथा वहां की विधान सभा ने अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का संकल्प पारित किया है। विधि मंत्री ने इसे कानूनी रूप देने के लिए विधेयक के रूप में इसे यहाँ पेश किया है। इस प्रगतिशील कानून का मैं स्वागत करता हूँ।

कहा गया है कि उत्तर सदन (अपर हाऊस) में हमारे समाज के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व है तथा निचले सदन द्वारा पारित कानूनों पर उत्तर सदन द्वारा भी विचार किया जाना चाहिये। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारी विधान सभायें पुर्नविचार के लिए निर्णय नहीं किया करतीं। वे भी तो पूर्ण रूप से विचार करके किसी कानून को पारित करती हैं। अतः मेरा विचार है कि हमें उत्तर सदनों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी विधान सभाओं तथा संसद के जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य लोगों की रुचि अनुसार ही कानून बनाते हैं। उनके होते हमें उत्तर सदनों के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पंजाब ने अपनी विधान परिषद को भंग करने का निश्चय कदाचित इसलिए किया कि इससे पूर्व पश्चिम बंगाल ने भी ऐसा ही किया गया है। अभी देश में और भी अनेक विधान परिषदें हैं। उन्हें भी भंग करने के लिए सम्बन्धित विधान सभाओं द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। मेरे लिये यह दुःख का विषय है कि मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्य उत्तर सदन में सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। यह विचार प्रगतिशीलता के विपरीत है। विधान परिषदों को भंग करने के बारे में निर्णय राज्यों तथा उनकी विधान सभाओं पर छोड़ने की बजाये केन्द्रीय विधि मंत्री को इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करना चाहिए। सम्भव है कि उन्हें यह भय हो कि उनका दल यथेष्ट समर्थन न प्राप्त कर सकें, परन्तु मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि उन्हें इस विधेयक के लिए पूरा समर्थन प्राप्त होगा। अतः तुरन्त ही ऐसा विधेयक पेश किया जाना चाहिए।

मन्त्री महोदय संभवतः कहेंगे कि लोक सभा में सीधे तौर से निर्वाचित सदस्य हैं तथा राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधि हैं अतः राज्य सभा का रहना अत्यावश्यक है। परन्तु मेरा कहना है कि लोक सभा में भी तो विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। फिर भी राज्यों के प्रतिनिधियों को अलग से प्रतिनिधित्व देने की क्या आवश्यकता है ? यदि वह फिर भी राज्य सभा को बनाये रखना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि उसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

अन्त में, मैं चाहता हूँ कि विधान परिषदें तथा राज्य सभा को समाप्त किया जाना चाहिए तथा इस बारे में संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाना चाहिए। इस निवेदन के साथ, अपने दल की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

---

*मूल मलयालम के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।
English translation of the speech delivered in Malyalam.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिए ।

सभापति महोदय : सभी भाषणों को 'टेप रिकार्ड' किया जा रहा है । इन सभी का हिन्दी तथा अंग्रेजी में अनुवाद किया जायेगा ।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : माननीय सदस्य 14 भाषाओं में से किसी में सभा में बोलने के अधिकारी हैं ।

श्री रणधीर सिंह : कम से कम इन चार भाषाओं के बारे में तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिए । इस विषय में हम सब एक हैं ।

सभापति महोदय : हमारे पास सभी भाषाओं के आशुलिपिक अभी नहीं हैं ।

श्री ई० के० नायनार : हम उनकी व्यवस्था कर देंगे ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इस बात पर अध्यक्ष महोदय से विचार विमर्श कर सकते हैं ।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : नियमों के अनुसार मूल रिकार्ड को सुरक्षित रखना चाहिए किन्तु 'टेप रिकार्ड' विश्वसनीय नहीं है ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरा निवेदन है कि जो प्रक्रिया हिन्दी या अंग्रेजी से अन्य भाषाओं में दिये गये भाषणों के लिए अपनाई गई वही प्रक्रिया इन दोनों भाषाओं में दिये गये भाषणों के लिए क्यों नहीं अपनाई जाती है ? और केवल अन्य भाषाओं को ही 'टेप रिकार्ड' क्यों किया जाता है । साथ ही हम सचिवालय को आशुलिपिक देने को तैयार हैं ।

श्री रणधीर सिंह : सम्पूर्ण सदन की यह राय है कि इस मामले को शीघ्रता से पूरा किया जाय । अध्यक्ष महोदय को इस बात की सूचना भी दे देनी चाहिए ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलीन) : हम सभापति महोदय का विनिर्णय सुनना चाहता हूँ ।

श्री ए० श्रीधरन : हम अध्यक्ष पीठ का विनिर्णय चाहते हैं माननीय सदस्य का नही ।

श्री रणधीर सिंह : मैं सम्पूर्ण सभा के साथ सहमत हूँ कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही व्यवस्था की जाय ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच-बिहार) : मैंने निवेदन किया था कि अन्य भाषाओं जैसे बंगाली और असामी का भी साथ साथ अनुवाद करने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

सभापति महोदय : सभा के समक्ष यह विषय नहीं है । श्री सहगल ।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : Sir, just now our friend has delivered his speech in Malyalam language. When the arrangements regarding the simultaneous translation have been made……

सभापति महोदय : मैंने माननीय सदस्य को विधेयक के ऊपर बोलने की अनुमति दी है, इस विषय पर बोलने की नहीं। यदि वह विधेयक पर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

Shri A. S. Saigal : I rise to support this Bill. As has been mentioned by my friend......

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक मामले में आपका विनिर्णय जानना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : यदि व्यवस्था का प्रश्न गलत साबित होता है तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है।

Shri A. S. Saigal : Sir, my submission is that to ensure the representation of the teachers and other such persons the number of the nominated members should be increased. It can be increased to 25 and the members so nominated from the other places can represent the interest of the other people.

If the people of the States recommend that their respective Legislative Councils should be abolished we must agree to it but I am not in favour of abolishing the Rajya Sabha. If Rajya Sabha is abolished, we will not be able to give any representation to the other several interests. Therefore, I will agree to it provided the number of the nominated members is increased.

It has been mentioned here that Rajya Sabha is just like as the House of Lords. But I think there is a vast difference between the House of Lords and the Rajya Sabha. Here, in Rajya Sabha, the Members are sent by the Members of the Legislative Assemblies. Apart from this the Members of the Rajya Sabha represent all categories of the persons of the country. I would like to say that we have got a best system which must not be disturbed.

I want to suggest that if we want to implement our socialistic programme it should be done with the help of the State Assemblies. Besides, if the people of the States where Congress Party is in power want to abolish their Councils we should not oppose them.

So far as the question of the languages of the States concerned is concerned I want to say that certain States have been formed on the basis of the language and their respective languages must be encouraged. If a second language is to be adopted, Hindi or English can be taken for the purpose.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I support this Bill whole-heartedly. We also supported the Bill relating to the dissolution of the Bengal Legislative Council. The trend of abolishing the Upper Houses of the States is praise-worthy because these Houses are superfluous now. Even the Rajya Sabha, in the Centre, is extravegent. When this system of having Upper Houses in the Centre and in the States was adopted there was some historical necessity at that time but now that necessity has ended.

Sir, we feel that direct democracy is the best democratic system but due to the large population, it is quite difficult to adopt that system in our country. We have adopted indirect-democracy, however, it is our duty to have largest participation of the public in our democratic system. Dr. Ram Manohar Lohia had suggested that to reach much nearer to the direct democratic system we should adopt a system of having a four pillar-State ; the pillars being the Centre, State, districts and the villages.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker *in the Chair*.]

If public representatives are given the opportunity to decide their own problems at all these four levels, you will find that our democratic system wovld be much nearer to the direct democracy. We will be able to have full co-operation from the public. Therefore, I request that the hon. Minister should think over the way by which that system can be undertaken.

So far as the Panchayats, in the village level, are concerned I want to say that these Panchayats have not been functioning properly. Rich and resourceful persons in the villages have their hold in these organisations and due to this malpractice, these panchayats have lost their respect. But I am not againtt this system, however, there is a great need of improving the conditions of these organisations.

At district level, there is no system of having the public representation. District Magistrates and the Collectors rule over the entire districts and we find a rule of bureaucracy, and all that, at district level. These officers exploit the public in their own way and we find no public representative there to guard the interests of the common people. Therefore, I request that the Government should evolve any system for the district level by which we may get public representation at this level also.

In the end I want to say that all the Upper Houses, whether in the States or in the Centre, are superfluous and these should be dissolved without any delay.

श्री जयपाल सिंह : (खुन्टी) : अध्यक्ष महोदय ! मुझे इस समय यह ज्ञात नहीं है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वह मेरा ही स्थान है अथवा नहीं।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है यदि हम प्रजातंत्र में वास्तव में विश्वास रखते हैं तो इस विधेयक के विषय में कोई विरोध नहीं होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि यदि दूसरे सदन में सदस्यगण निर्वाचित होकर आते हैं तो वह प्रजातंत्र प्रणाली के अनुकूल है। किन्तु यदि सदस्यगण मनोनीत होकर आते हैं अथवा उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो उसे प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अतः सभी माननीय सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिये।

हमें निश्चय करना है कि राज्यों की विधान सभाओं और केन्द्र में आने वाले सदस्यगणों का किस प्रकार चुनाव होना चाहिये। हमारे देश में लगभग 2500 लाख मतदाता हैं किन्तु बहुत से मतदाताओं को यह विदित नहीं है कि दिल्ली कहां है। (**व्यवधान**)...यह प्रश्न प्रजातंत्र प्रणाली से सम्बन्ध रखता है। क्षमा करना यदि वास्तव में देखा जाय तो हम सभी अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार से देश के हजारों रुपयों का दुरुपयोग कर रहे हैं। गैलरियों में बैठे व्यक्ति देखते हैं कि हम यहां क्या करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनके सामने हमें यह बातें नहीं करनी चाहिये। इन बातों पर हमें परस्पर मिलकर विचार करना चाहिए।

श्री जयपाल सिंह : ये लोग हमसे अधिक बुद्धिमान हैं। आपको विदित ही है कि हमारी एक बैठक पर कितना व्यय होता है (**व्यवधान**)—मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि दूसरे सदन में निर्वाचित सदस्य होने चाहिये। यदि हम लोकतंत्र प्रणाली के पक्ष में हैं तो हमें इमानदार होना चाहिये तथा जनता को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करना चाहिये।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : इस मामले में सभी दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श कर लिया गया है किन्तु एक दृष्टिकोण पर कोई चर्चा नहीं की गई और वह है समानता। समानता

होनी चाहिये। हम जो भी करते हैं उसमें समानता होनी चाहिये तथा अब विधेयक पर आगे चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) **ने मलयालम में बोलना आरम्भ किया।**

अध्यक्ष महोदय : आप अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं। यह व्यवस्था अंग्रेजी अथवा हिन्दी न जानने वाले सदस्यों की सहायता के लिये की गई थी। यदि इस प्रकार चौदह भाषायें बोली जायें, तो में बिल्कुल चुप रहूँगा। आप कृपया मेरी सहायता कीजिये। मेरी प्रार्थना है कि जो सदस्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी समझते हैं और बोल सकते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? आप चाहें, तो आप अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं, परन्तु यह मेरी प्रार्थना है।

श्री कंडप्पन (मेट्टूर) : श्रीमान, हमारे मातृभाषा में बोलने के दो पहलू हैं एक तो यह कि हम अपनी मातृभाषा में अधिक अच्छी तरह बोल सकते है और दूसरा हमारी भावना का पहलू है। स्वंतत्रता प्राप्ति के बाद से हिन्दी भाषी क्षेत्र के सस्दयों को अपनी मातृभाषा में बोलने का विशेषाधिकार प्राप्त रहा है और हमें 20 वर्षों के पश्चात ये विशेषाधिकार प्राप्त हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि इस सम्बन्ध में वर्तमान सुविधाओं में सुधार किया जायेगा।

मैं लाइब्रेरी में एक भाषीय रिकार्ड रखने का प्रश्न उठाता रहा हूँ। इस समय अंग्रेजी में दिये गये भाषणों को अंग्रेजी में और हिन्दी में दिये गये भाषणों को हिन्दी में रिकार्ड किया जाता है। हिन्दी जानने वाले सदस्यों को कुछ चीजें पुस्तकालय में देखने की समस्या है। उस समय अनुवाद उपलब्ध नहीं होता है। आपके इस उच्च पद पर निर्वाचन के बाद श्री अंबाजगन के नेतृत्व में डी० एम० के० दल के लोग आपसे मिले थे और आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप एक भाषीय अनुवाद की व्यवस्था करेंगे। इस समय केवल चार भाषाओं में साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था है। दुभाषीया कितना ही कुशल हो, स्पष्ट अनुवाद करना कठिन है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि टेप-रिकार्ड का उपयोग करके तमिल, मलयालम, तेलगु अथवा कन्नड़ में दिये गये मूल भाषणों का बाद में सदस्यों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाओं में हुबहू और स्पष्ट अनुवाद उपलब्ध किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस सम्बन्ध में मामूली सी व्यवस्था की है और मुझे पूरी आशा है कि हम इसे बढ़ा सकेंगे और अच्छे कर्मचारियों की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। मैं चारों राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाऊंगा और आपकी कठिनाइयों को समझने और अपनी कठिनाइयां समझाने का प्रयास करूंगा। हम सब एक-दूसरे को सुनना और समझना चाहते हैं; यदि आप अपनी भाषा में बोलते हैं, तो अध्यक्षपीठ के लिये कठिनाई उत्पन्न होती है। मेरा अनुरोध है कि जो सदस्य अंग्रेजी में बोल सकते हैं, वे अत्यन्त कुशल योग्य कर्मचारियों के मिलने तक अंग्रेजी में बोले।

श्री ए० श्रीधरन* (बडागरा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। अनेक अन्य

*मूल मलयालम के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

***Summarised Translated version based on English translation of the original speech in Malyalam.**

मामलों की तरह इस विधेयक के लिये भी मेरे राज्य से प्रेरणा मिली है। मलयालम में बोलते हुए मुझे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर की दो पंक्तियां याद आ जाती हैं, जिनमें उन्होंने कहा था कि यदि हृदय अपना कोई ऋण चुकाना चाहता है तो मुद्रा पर अपने राज्य की मोहर होनी चाहिए। उनका अभिप्राय मातृभाषा से था।

हमने उपरी सदन रखने की परम्परा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली है। हमारे लोकतंत्र और ब्रिट्रेन के लोकतंत्र में मौलिक अन्तर है। ब्रिटेन की लोकतंत्रीय व्यवस्था अनेक परीक्षणों का परिणाम है जबकि भारतीय लोकतंत्र ने एक राष्ट्रीय क्रांति के फलस्वरूप जन्म लिया है। 1931 में महात्मा गांधी ने लन्दन में गोलमेज सम्मेलन में एक ही सदन रखने की बात कही थी। इसे सर्वप्रथम त्रिवेन्द्रम में उपरी सदन समाप्त करके क्रियान्वित किया गया। एक प्रगातिशील लोकतंत्र में केवल लोक प्रतिनिधियों के लिये ही स्थान होता है। ब्रिटेन के राजशाही लोकतंत्र में उपरी सदन वहां की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण हैं। उपरी सदन उन लोगों को स्थान देने के लिये बनाये गये हैं, तो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इनके द्वारा लोग पीछे के द्वार से विधान मण्डलों के सदस्य बन जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। 1962 के सामान्य निर्वाचन में श्री निजलिंगप्पा, जो उस समय मैसूर राज्य के मुख्य मंत्री थे, विधान सभा के लिये चुनाव हार गये थे। उस समय उन्होंने विधान सभा के लिये निर्वाचित एक सदस्य श्री पूर्णानन्द से त्याग पत्र दिलवाया ताकि वे उसके निर्वाचित-क्षेत्र से जीतकर आ सकें और श्री पूर्णानन्द को विधान परिषद् का सदस्य बना दिया गया। इस प्रकार ये उपरी सदन ऐसे लोगों को विधान मण्डलों का सदस्य बनाने में सहायक होते हैं. श्री लोबो प्रभु ने कहा कि उपरी सदन समाज के सभी वर्गों, वैज्ञानिक, शिक्षक और प्रख्यात तकनीकी व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये आवश्यक हैं। मेरे अपने राज्य में उपरी सदन नहीं है। लेकिन वहां की विधान सभा में अनेक शिक्षक हैं। इस प्रकार यह दलील सारहीन है। यहां लोक सभा में ही श्री अ० कु० गोपालन एक शिक्षक रहे हैं। इसी प्रकार यहां अन्य सदस्य हैं, जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। वे सभी लोगों के समर्थन के बल पर यहाँ आये हैं। भारत ने हमेशा ही बुद्धिमत्ता और विद्वता का आदर किया है।

आज यह नया परीक्षण राज्य सरकारों के कहने पर किया जा रहा है। आज भी यहां केन्द्र में राज्य सभा विद्यमान है और यहां इन लोगों को उसे समाप्त करने का साहस नहीं है। पश्चिम बंगाल और पंजाब की गैर कांग्रेसी सरकार ही गांधी जी के आदर्शों को क्रियान्वित कर रही हैं। कांग्रेसी सरकार 22 वर्षों से सत्तारूढ़ है और वह दूसरे सदन समाप्त नहीं कर सकी है। मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Speaker, Sir, when you and I were M.L.A.s in Punjab, this proposal was initiated. The majority had then written to the Chief Minister that the Second Chamber was not necessary. But it was considered that there should be some check of the Governor and the Centre also over the assembly and the powers of the Centre should not be reduced and at that time Punjab included Haryana, a large part of present Himachal Pradesh and Kangra. In the wider interests we accepted that the powers of the Centre should not be curtailed. I congratulated my Akali and Communist friends in Punjab for this step.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : It has been argued that Rajya Sabha should continue as representatives of local bodies, Panchayats and educationists etc. are represented the e. Artists, Scientists and Social Workers are also nominated there. But I may say that one day Government have to take steps to amend the constitution in order to abolish Rajya Sabha. Rajya Sabha has not made any contribution. It has not brought any improvement. Therefore I congratulate the State Assembly of Punjab who have sought abolition of Upper House so that money is not wasted unnecessarily.

श्री जो० ना० हजारिका (डिब्रूगढ़) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि पंजाब की जनता विधान परिषद को समाप्त करना चाहती है। किसी विधान परिषद् की समाप्ति अथवा उसे जारी रखना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है और पूरे देश के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

दूसरे सदन के रहने अथवा न रहने के बारे में काफी तर्क दिये जा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि लोकतंत्रीय विधानमण्डल द्वारा पारित मामला बिल्कुल ठीक और पूर्ण ही हो। अतः उस पर दूसरी बार विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है जिसके लिये दूसरे सदन की व्यवस्था की गई है। यह कहा गया है कि हमारे सदन में हारे हुए उम्मीदवारों को स्थान दिया जाता है। वास्तव में यह बात नहीं है परन्तु कई मामलों में उसका प्रयोग इस रूप में किया जा रहा है।

पहले हमारे देश में दूसरा सदन इस लिये आवश्यक समझा जाता था क्योंकि इस से कुछ ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता था जिनका निर्वाचित विधान मण्डल में प्रतिनिधित्व नहीं होता था। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि दूसरे सदन का अस्तित्व राज्य के आकार पर निर्भर नहीं करता। दूसरे सदन का होना राज्य के संशाधनों पर निर्भर करता है कि क्या वह अपने खर्च स्वयं वहन कर सकता है या नहीं। अतः राज्य के आकार को सदा ध्यान में रखा जाता है। अतः यह राज्य विशेष की जनता पर निर्भर करता है कि क्या वे विधान परिषद् को जारी रखना चाहते हैं या नहीं और यदि वे चाहते हैं तो इसे उनका समर्थन करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूँ।

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री म० यूनस सलीम) : किसी भी माननीय सदस्य ने इस विधेयक का विरोध नहीं किया है अतः मैं उन सभी का आभारी हूँ। सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह कहा है कि विधान परिषदों को समाप्त कर देना चाहिये। परन्तु इस सम्बन्ध में राज्य कानून बना सकता है। केवल कुछ ही राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं। यदि राज्य अब ये प्रस्ताव भेज रहे हैं कि विधान परिषदों को समाप्त कर देना चाहिये तो हम उनकी सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं और जहां कहीं विधान सभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया गया है हम उस पर तुरन्त कार्यवाही आरम्भ कर देते हैं और विधेयक तैयार किया जाता है और सभा के विचारार्थ पुरस्थापित कर दिया जाता है।

तामिल नाडु के एक सदस्य ने शिकायत की थी कि तामिल नाडु विधान सभा का एक संकल्प भेजा गया है जिसमें विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश की गई है।

सरकार को एक ऐसा ही संकल्प अथवा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से भी प्राप्त हुआ था इन दोनों प्रस्तावों पर मन्त्रिमण्डल ने विचार किया था और वस्तुत: वे अभी भी विचाराधीन हैं और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही समुचित कार्यवाही की जायेगी। इसलिए जहां तक उस प्रश्न का सम्बन्ध है, चिन्ता करने की कोई बात नहीं।

राज्य सभा को समाप्त करने सम्बन्धी प्रश्न के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि यह सदन अनावश्यक है और वैसे समाप्त किया जाना चाहिये।

राज्य सभा को समाप्त करने का प्रश्न राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने संबंधी प्रश्न की भांति सरल नहीं है, विधान परिषद् को उस विशिष्ट राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किये गये संकल्प के आधार पर समाप्त किया जा सकता है, लेकिन राज्य सभा के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया जा सकता। राज्य सभा के लिए संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन पर विचार करना होगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वाशन दिला सकता हूँ कि जब इस उद्देश्य के लिए कोई प्रस्ताव लाया जायेगा तो इस सुझाव पर भी सरकार द्वारा विचार किया जायेगा तो उन माननीय सदस्यों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूँ कि हमें इस विधेयक को स्वीकार करना चाहिये। वस्तुतः हम इस विधेयक पर निश्चित समय से तिगुना समय ले चुके है।

प्रश्न यह है कि :

"कि पंजाब राज्य की विधान परिषद् के उत्सादन के लिए तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक तथा परिणामी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 3 to 9 were added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सू : तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री मु० यूनस सलीम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को परित किया जाये ।"

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : इस संबंध में एक संवैधानिक कठिनाई है । अनुच्छेद 168 में ऐसा उपबन्ध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जिसमें राज्यपाल होगा और पंजाब राज्य में दो सदन होंगे । अनुच्छेद 169 (2) में ऐसा उपबन्ध है कि उप-खण्ड (1) में निर्दिष्ट कानून में संविधान में संशोधन करने का ऐसा उपबन्ध होगा जैसा कि कानून के उपबन्ध को लागू करने के लिए आवश्यक हो । अतः मेरा सुझाव है कि अनुच्छेद 168 (क) में से "पंजाब" शब्द हटा दिया जाये ।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : Mr. Speaker, I have been twice a member of the legislative council to abolish which this Bill has been brought here. I know that the contribution of this council has been admirable but in principle I have come to the conclusion that in comparision to the expenditure incurred the utility of the second chamber is equal to nothing.

One of the objects behind setting up the second chamber was to reap the benefit out of the ability of the persons who hold high esteem in the field of science, art and social service by giving them a place in the second chamber, because they do not get opportunity to reach there through elections. But it is the experience of ten to twelve years that the system has not been followed sincerely instead persons are made members of the chamber to serve political ends.

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए
Shri M. B. Rana *in the Chair*]

The second chamber is used for accommodating those persons who are defeated in the elections or who become a source of trouble for any political party.

In these circumstances there is no justification for the second chamber today. West Bengal and Punjab Governments have acted in a right direction to abolish second chambers in their states. I hope that the other states will also get inspiration from them and will endeavour to remove the huge burden of expenditure on the public incurred by setting up the second chamber. The second chamber can be of some utility if the present system of nominating members in the council is changed and the persons of different professions, lawyers, doctors and persons working in the field of labour are given representation in the second chamber and according to that separate electoral colleges are formed. Either abolish the second chamber throughout the country or change its present form, so that it may prove itself of some utility. It has got no utility in comparision to its expenditure. Therefore, I support this Bill.

***श्री ई० के० नायनार** (पालघाट) : मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरे राज्य

* मूल मलयालम के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

Translated from English translation of the speech delivered in Malayalam.

केरल ने सर्वप्रथम दूसरे सदन को समाप्त किया । केरल में जब ट्रावनकोर विधान सभा का गठन किया गया था तब वहां कोई दूसरा सदन नहीं था । अब हम प्रत्येक राज्य में दूसरे सदन को समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रयत्न कर रहे हैं और उन प्रयत्नों के एक अंश के रूप में, हम पंजाब में विधान परिषद के उत्सादन के लिए इस विधेयक को पारित कर रहे हैं ।

1967 के आम चुनावों के बाद देश में वातावरण बदल गया है और इसी कारण ये परिवर्तन किये जा रहे हैं । प्रत्येक राज्य में विधान परिषद का उत्सादन करने की बजाय और यहां विधेयक लाने से तो यह बेहतर होगा यदि संविधान में संशोधन करने वाला एक विधेयक यहां लाया जाय जिससे हम सभी दूसरे सदनों का उत्सादन करने के सम्बन्ध में एक विधान पारित कर सके ।

कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे सदन को कायम रखना चाहते हैं । 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तब शासक दल ने बड़ी आपत्ति प्रकट की थी । लेकिन फिर भी आन्ध्र, महाराष्ट्र तथा महा गुजरात का पुनर्गठन किया गया । 1967 के आम चुनावों के बाद ऐसे परिवर्तन करना सहज हो गया है । कई राज्यों में कांग्रेस ने शक्ति खो दी है । जिन राज्यों ने विधान परिषदों का उत्सादन करने का निर्णय किया है । वहां कांग्रेस शक्ति में नहीं है । ये परिवर्तन किये जा सकते हैं यदि संविधान में संशोधन करने संबंधी एक विधेयक को हम यहां पारित कर दें तभी हम अपनी जनता की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे ।

इस समय केन्द्र में हमारे पास दो सदन हैं । उपरि सदन आवश्यक नहीं है । इस सदन पर करोड़ों रुपये का खर्च होता है । विधान बनाने के सम्बन्ध में लोक सभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं । मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे सदन को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय । मैं केवल यह कह रहा हूँ कि इसके संविधान में परिवर्तन किया जाय ताकि सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । अल्प संख्यकों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाय और उनको हल किया जाय । इस कार्य के लिये उनके प्रतिनिधियों को समान शक्ति के साथ चर्चा करनी चाहिये । हमारे जैसे विशाल देश में साम्प्रदायिक तथा अल्पसंख्यकों संबंधी कई समस्याएं होती हैं । उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और इसके लिये लोक सभा के समान शक्ति वाला एक दूसरा सदन आवश्यक है । केवल राज्य सभा का उत्सादन कर देने से प्रजातन्त्र की प्रगति नहीं होगी ।

शुरूआत के रूप में अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत पंजाब विधान परिषद का उत्सादन किया जा रहा है । मेरे विचार से विधान परिषद नौ हैं । दो राज्यों में उनका उत्सादन कर दिया गया है यद्यपि मध्य प्रदेश में विधान परिषद के उत्सादन के बारे में एक प्रस्ताव है लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है । सभी दूसरे सदनों का तथा राज्य सभा का भी उत्सादन होना चाहिये । राज्य सभा की बजाय लोक सभा में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इस प्रकार हम अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल कर सकते हैं । इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ ।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : मेरा निवेदन है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं ने अभी स्फटित आकार ग्रहण नहीं किया है और हमारी परम्पराएं अभी परिपक्व नहीं हुई हैं हमारे देश

की स्वतंत्रता तथा इसके प्रजातन्त्र के विषय में बहुत कुछ कहा जाता है और प्रतिदिन नये नेताओं द्वारा नई परिभाषाएं दी जाती हैं। इसलिये, अगर हमारे यहां दूसरा सदन है तो इसका अर्थ हुआ किसी कार्यक्रम अथवा विधान पर दुबारा विचार करना। मैं यहां विधेयक का विरोध करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। लेकिन अपने देश की स्थिति को देखते हुए इस सम्बन्ध में एक कठोर दृष्टिकोण अपनाना और यह कहना कि दूसरा सदन पूर्णतः अनावश्यक है ठीक नहीं है।

इस बात का उल्लेख किया जा रहा था कि दूसरे सदन लोगों की आकांक्षाओं अथवा आवश्यकताओं के प्रतिनिधि नहीं हैं क्योंकि उनके सदस्य या तो नाम निर्देशित होते हैं अथवा सदन में उनका प्रवेश अप्रत्यक्ष चुनावों पर आधारित होता है। मैं कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्यवश, बहुत से लोगों के लिए लोक सभा तथा विधान सभाओं के चुनाव समय तथा धन की दृष्टि से व्यवसाय हो गये हैं। बहुत से लोग इस काम को सहन करने में असमर्थ हैं। कुछ का इस ओर झुकाव नहीं है, कई अन्य सदस्यों के पास स्रोत नहीं है, अभी कुछ समय तक हमें कलाकार, वैज्ञानिक अथवा दार्शनिक अथवा अनुसंधानकर्त्ता अथवा विद्यार्थी तथा अल्पसंख्यक को नाम निर्देशित करना होगा। इसलिये मैं यह परामर्श देना चाहूँगा कि जहां तक इन चीजों का संबंध है हमें धैर्य से काम लेना चाहिये और शीघ्रता से कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

Shri Jageshwar Yadav (Banda) : I want that all the legislative councils in the states should be abolished and the money saved. This amounts should be utilized for the uplift of the backward areas. I want that the Rajya Sabha in the centre should also be abolished. I mean to say that the unfair practice of the ruling party, regarding nominating such persons, who are defeated in the elections and who do not want to work among the people, should be removed. The money thus saved, should be utilized in the undeveloped areas for the development of irrigation facilities, for opening new railway lines, new roads etc. The money should be used in the country for production and the royal representatives should not be nominated as pensioner. Along with the system of the nomination of members in Rajya Sabha or upper chambers should also be abolished.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं इस विधेयक का इसलिये समर्थन करता हूँ क्योंकि पंजाब विधान मंडल ऐसा चाहता है। संविधान में विधान मंडल को संकल्प पारित करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरे सदन की विद्यमान्यता अथवा उसकी उपयोगिता सम्बन्धी अन्य चर्चा अन्तिम अथवा निर्णयात्मक नहीं है। यदि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और किसी एक निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं तो पूरे राष्ट्र को इस पर वाद-विवाद करना पड़ेगा।

साथ ही, महाराष्ट्र और तमिलनाडु दूसरे सदन का विस्तार चाहते हैं। अतः इसी देश में दो भिन्न-भिन्न विचार हैं।

मैं इस विधेयक का समर्थन इसलिये करता हूं क्योंकि पंजाब विधान मंडल ऐसा चाहता है, इसलिये नहीं कि दूसरा सदन पूर्णतः बेकार है। ऐसे सुझाव दिये गये हैं कि राज्य सभा का उत्सादन करने के लिये संविधान में संशोधन किये जांय। इसके लिये सारे संविधान को बदलना पड़ेगा। क्योंकि लगभग 200 अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। यह ऐसा मामला है जिस पर इस वाद-विवाद में निर्णय नहीं किया जा सकता।

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : मैं पंजाब सरकार तथा विधान सभा को ऐसा प्रगतिशील

विधान लाने के लिये धन्यवाद देता हूँ । वस्तुतः देश में सभी दूसरे सदनों का उत्सादन किया जाना चाहिये । राज्य सभा के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि यह बहुत ही कठिन है क्योंकि इसके लिये सारे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा । हमें हरेक कठिनाई को पार करना है । हम दूसरे सदन को रखने के सम्बन्ध में अकारण विदेशों की नकल कर रहे हैं । यह भविष्य के लिए अच्छा नहीं है । मुझे ऐसी आशा है कि सरकार को खेद प्राप्त होगा यदि आगामी सत्र में केन्द्र में दूसरे सदन राज्य-सभा का उत्सादन करने संबंधी विधान को लायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Mr. Chairman, the step of Panjab Assembly to abolish the legislative council by passing a legislation is a right one from a point of view. Firstly, they will save expenditure, secondly, the delay in passing the Bill will be avoided, thirdly the indirect elections will be removed.

The states which are going to abolish the legislative councils will have to take some precautions. When the council will be abolished the rush in Assemblies will increase. We should take in Assemblies, the experienced persons from the district councils or Taluka Panchayats.

The minorities used to get representation in the councils. Now they will not get it. Casteism and communalism is spreading in the country. Money is being used to get votes. Therefore, it will be difficult for the minorities to get their representation here. All these things will have to be taken into account by the states which are going to abolish councils.

When there is council with the Assembly, the Bills are considered in both the houses and the work is done judiciously. But when the Assembly will be left alone, it will be very difficult to do justice if able and experienced persons are not elected there.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं चाहता हूँ कि इस विधेयक में उन सभी राज्यों को भी शामिल किया जहां दूसरे सदन हैं क्योंकि दूसरे सदनों को जिस उद्देश्य से बनाया गया था वह पूरा नहीं किया जा रहा है । ये उन लोगों के आश्रय स्थल बन गये हैं जो चुनावों का सामना नहीं कर सकते और शासक दल के आश्रय पर निर्भर करते हैं । यही बात राज्य सभा के बारे में भी है । मैं नहीं सोचता कि ऐसा दूसरा सदन एक पुनरीक्षक निकाय का कार्य कर सकता है अतः सभी दूसरे सदनों का उत्सादन किया जाये ।

हमने राज्य सभा बनाई है कि उसमें अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों का प्रतिनिधित्व हो ताकि लोक सभा से जो भूरियां हो उन पर रोक लगाई जा सके । लेकिन वस्तु स्थिति क्या है कि सभी 'युवा तुर्क' राज्य सभा के सदस्य है ।

अतः मेरा सुझाव है कि न केवल राज्यों में परिषदों का उत्सादन किया जाय बल्कि केन्द्र में भी आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिये । मैं केन्द्र में दूसरे सदन का पूर्ण उत्सादन करने के हक में नहीं हूँ । लेकिन इसके संविधान तथा इसकी संरचना में परिवर्तन होना चाहिए । इसको अमरीकी सीनेट का रूप धारण करना चाहिए । अमरीकी सीनेट में प्रत्येक राज्य से दो सदस्य होते है जो उस राज्य का प्रतिनिधत्व करते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारी राज्य सभा भी राज्यों का प्रतिनिधि बने, सभी राज्यों को चाहे वे बड़े हो अथवा छोटे समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ।

कुछ कसौटी तथा शर्तें निर्धारित करनी चाहिये ताकि केवल वरिष्ठ, अनुभवी तथा वरिष्ठ अनुभवी लोग ही उसमें स्थान पा सकें। इस समय लोक सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। यह अन्तर केवल पांच वर्ष का है जो विशेष नहीं। अतः उपरि सदन की सदस्यता के लिये कुछ और कसौटी निर्धारित की जानी चाहिए। जब तक उपरि सदन के संविधान तथा संरचना में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक नाम-निर्देशन की पद्धति को समाप्त कर दिया जाय। नाम निर्देशन इस लिए किया जाता था कि कुछ परिपक्व अनुभवी व्यक्ति जिनका अनुभव उपरि सदन में लाभदायक हो सकता है और जो चुनाव लड़ना पसन्द नहीं करते वे उपरि सदन में आ सकें। लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और है। नाम-निर्देशक के मामले में बड़ी गड़बड़ की जाती है और राजनीतिक चालें चली जाती हैं। उन व्यक्तियों का नाम निर्देशन किया जाता है जिनका वहाँ आना न्यायसंगत नहीं है। उनका व्यवहार नाम निर्देशित व्यक्तियों तथा बड़ों का जैसा नहीं है। जो लोग कल तक जो लोग निर्दलीय सदस्य बने हुए थे हाल में राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान अपना रूख बदल कर प्रधान मंत्री के गुट में जा मिले और इस प्रकार न केवल अपने को नीचा दिखाया बल्कि उपरि सदन को भी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक उपरि सदन के संविधान और संचरना में परिवर्तन किया जाता है, और सदन में नाम-निर्देशन की इस पद्धत्ति को समाप्त कर दिया जाये।

श्री मु० यूनस सलीम : मैं असंगत बातों का उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था जिनको मैंने अभी संतुष्ट कर दिया है कि इस विधेयक के खण्ड 4 के अनुसार हमें संविधान के अनुच्छेद 168 का भी संशोधन करना होगा।

श्री सोमानी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो विचार वक्तव्य किये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि निस्संदेह यह विषय चर्चा योग्य है। यह नहीं कहा जा सकता कि उपरि सदन हमेशा और सभी परिस्थितियों में अनुपयोगी सिद्ध होते हैं। यह अवसर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष चुनावों के सिद्धान्तों पर और उपरि सदन तथा निम्न सदन को रखने के सम्बन्ध में चर्चा करने का नहीं है। जैसा मैंने कहा इसके लाभ और हानियां, दोनों है।

उपरि सदन को आरम्भ करने के पीछे एक आधार भूत विचार यह था कि देश में शायद कुछ दर्जे ऐसे हों जिनको निम्न सदन में प्रतिनिधित्व न मिल सके, और शायद उनकी अनुपस्थिति महसूस की जाये। प्रजातन्त्र की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इन तत्वों अथवा अल्प सरकारों को उपरि सदन में प्रतिनिधित्व देना चाहिये।

श्री सोमानी ने ठीक ही कहा है कि कुछ वरिष्ठ लोग जैसे विद्वान, इंजीनियर, डाक्टर आदि सीधे चुनाव लड़ना नहीं चाहेंगे परन्तु सभा में उनका सहयोग अपेक्षित है अतएव ऐसे लोगों के लिए वरिष्ठ सदन का होना आवश्यक है।

जैसा कि मैंने कहा है कि विधान परिषद राज्य की विधान सभा के क्षेत्राधिकार में आता है। यदि विधान सभा चाहती है कि विधान परिषद को समाप्त किया जाना चाहिए तो हम इस पर विचार करेंगे परन्तु हम राज्यों को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते कि वे विधान परिषदों को समाप्त करें।

जहां तक संविधान में संशोधन का प्रश्न है इसमें अनेक कठिनाइयां है अतएव राज्य सभा और परिषद को समाप्त करना एक दूर की बात है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

कि यह विधेयक पारित किया जाये

That the Bill be passed

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक

INTERNATIONAL MONETARY FUND AND BANK (AMENDMENT) BILL

सभापति महोदय : यह सभा अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और (संशोधन) विधेयक पर विचार करेगी ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह विधेयक अभी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । संविधान के अनुच्छेद 117 (1) में कहा गया है कि अनुच्छेद 110 के खंड में तथा उप-खंडों (क) से (च) से तक में उल्लिखित विषयों में कोई व्यवस्था करने के लिये विधेयक अथवा संशोधन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं लाया जायेगा । इसलिए अनुच्छेद 117 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है ।

समाचार भाग 2 की संख्या 1320 में राष्ट्रपति ने यह सिफारिश दी हुई है कि राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम 1945 में आगे और संशोधन करने के लिए राज्य सभा में विधेयक पुर स्थापित करने की सिफारिश करता है । इसमें राष्ट्रपति ने केवल विधेयक को पुरःस्थापित करने की सिफारिश की है परन्तु मन्त्री महोदय इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश केवल पुरःस्थापना के लिए है अनुच्छेद 1।7(।) में राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है राष्ट्रपति ने विधेयक की पुरःस्थापना के लिए सिफारिश दी है । अब मन्त्री महोदय इसको विचारार्थ कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं । इस बात का निर्णय हो जाना चाहिए कि क्या इस तरह की सिफारिश समाचार भाग 2 में आयेगी अथवा यह कार्यवाही में आयेगी समाचार में सभा की कार्यवाही का व्योरा नहीं होता । इसमें तो कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण होता है । क्या राष्ट्रपति की सिफारिश समाचार भाग 1 या भाग 2 में शामिल नहीं की जा सकती ?

अब हमें नियम 246 देखना चाहिए, नियम 246 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सभा को अपना संदेश अध्यक्ष के द्वारा देगा और अनुपस्थित की स्थिति में मन्त्री द्वारा उसका संदेश अध्यक्ष को दिया जायेगा क्या राष्ट्रपति 23 अगस्त को अनुपस्थित थे जबकि विधेयक पुरः-स्थापित किया गया ? यह अध्यक्ष महोदय को नहीं कहा गया था ।

इसके लिए एक और व्यवस्था है । मन्त्री महोदय उस पर विश्वास कर सकते हैं । यह है

नियम 348 जिसके अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश को छापी जानी चाहिए। यह बहुत महत्व-पूर्ण है। अध्यक्ष महोदय जिस तरह चाहें उस तरह यह सभा की कार्यवाही में छापी जानी चाहिए।

समाचार भाग दो सभा की कार्यवाही बृत्तांत नहीं है और भाग एक कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा है। नियम के अनुसार इसको कार्यवाही वृत्तांत में छापा जाये। इस विधेयक में इसको अवश्य शामिल किया जाना चाहिए था। जो भी पत्र सभा पटल पर रखे जाते हैं अथवा पुरः-स्थापित किये जाते हैं, कार्यवाही का भाग बन जाते हैं। यह सिफारिश विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये है। प्रस्ताव करने के बारे में भी सिफारिश की जानी चाहिए। वे इसको तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकते जब तक इस के लिए सिफारिश नहीं की जाती।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखा पतनम) : श्री श्रीनिवास मिश्र की दूसरी बात उचित है। यह ठीक होता अगर मन्त्री महोदय विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व यह बताते कि राष्ट्रपति की सिफारिश ले ली गई है। इससे समस्या सुलझ जाती।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : हमने लोक सभा सचिवालय को लिखा है कि अनुच्छेद 117 (1) के अन्तर्गत विधेयक को पुरःस्थापित करने और अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत इस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश ले ली गई है। इसलिये माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बात का कोई महत्व नहीं। जहां तक विधेयक के परिचालन का सम्बन्ध है, इसको गत अधिवेशन में पुरःस्थापित किया गया और यह विधेयक माननीय सदस्यों को परिचालित किया गया है।

सभापति महोदय : 28 अगस्त के समाचार भाग 2 में ऐसा कहा गया है माननीय सदस्य ने इसको आधा ही पढ़ा है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : अनुच्छेद 117 3) के अन्तर्गत सिफारिश केवल विचारार्थ के लिए दी हुई है। अनुच्छेद 117 (1) के अन्तर्गत इसको प्रस्तुत करने की भी सिफारिश होनी चाहिए। राष्ट्रपति से अनुच्छेद 117 (1) और अनुच्छेद 117 (3) के अन्तर्गत सिफारिश प्राप्त कर लेनी चाहिए। चूंकि उन्होंने अनुच्छेद 117 (3) के अन्तर्गत विचारार्थ के लिए सिफारिश प्राप्त की है जो कि अनुच्छेद 117 (1) के लिए पर्याप्त नहीं है। जहां तक अनुच्छेद 117 (3) का सम्बन्ध है वे उस सिफारिश का प्रयोग अन्य मामलों पर विचारार्थ के लिए नहीं कर सकते हैं। नियम में यह दिया हुआ है कि पुरःस्थापित के बाद कौन से प्रस्ताव पेश किये जा सकते हैं। अब वे विचारार्थ के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। अतएव अनुच्छेद 117 (1) का पालन किया जाना चाहिए और 117 (3) का पालन किया जाना चाहिए मेरा आक्षेप यह है कि अनुच्छेद 117 (1) का पालन नहीं किया जा रहा है। अनुच्छेद 117 (1) में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति से सिफारिस के बिना विधेयक अथवा संशोधन को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मन्त्री महोदय को कहा जाये कि वे इसके लिए सिफारिश लायें।

स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : प्रक्रिया नियम के नियम 70 के अन्तर्गत मेरी एक आपत्ति है। नियम 70 के अन्तर्गत यह विधेयक अपूर्ण है क्योंकि इस मामले में वैधानिक शक्तियों को प्रत्यायोजित करने वाले विधान का एक ज्ञापन नहीं शामिल किया गया है जैसे कि इस नियम

के अन्तर्गत अपेक्षित है । रिजर्व बैंक को अधिकार दिया गया है । नियम 70 के अनुसार प्रत्यायोजित विधान का ज्ञापन साथ में होना चाहिए । चूंकि इसके साथ ऐसा ज्ञापन नहीं है अतएव यह अपूर्ण है ।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक प्रत्यायोजन का प्रश्न है, यहां कोई विधान के प्रत्यायोजन का प्रश्न नहीं है । यह केवल अधिकार के प्रत्यायोजन के बारे में है जो रिजर्व बैंक को सरकार की ओर से एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिए दिए जा रहे हैं । अतएव प्रत्यायोजन विधान का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : इसमें कोई संदेह नहीं कि यह रिजर्व बैंक को अधिकार का प्रत्यायोजन है, उनको ऐसा करने का अधिकार है, परन्तु मन्त्री महोदय प्रत्यायोजित विधान का ज्ञापन क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं । इस बारे में नियम 70 स्पष्ट है ।

श्री प्र० चं० सेठी : यदि माननीय सदस्य धारा 3 क को पढ़े तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी यह केवल अधिकार का प्रत्यायोजन है जिससे सरकार की ओर से एजेंट का काम करना है ।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : वैज्ञानिक शास्त्री का कोई ऐसा प्रत्यायोजन नहीं है ।

सभापति महोदय : यह आपात्ति अस्वीकार कर दी गयी है । श्री प्र० चं० सेठी ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा बैंक अधिनियम, 1945, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

यह विधेयक स्पष्ट है । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से धन निकालने सम्बन्धी विशेष अधिकारों की योजना में हमारा भाग लेना है । विधेयक के उपलब्धों की व्याख्या करने से पूर्ण मैं धन निकालने सम्बन्धी विशेष अधिकारों की योजना पर कुछ कहना चाहूँगा ।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि 25 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सोचा गया था कि विश्व के व्यापार और अर्थव्यवस्था में असंतुलन आ गया है और इसको दूर करने के लिए यह व्यवस्था अवश्यक है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से कुछ मुख्य उद्धेश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना है और मुद्रा विनियमन में स्थिरिता लाना है यह निधि इसलिए स्थापित की गई थी ताकि इससे सदस्य राष्ट्र अपने भुगतान संतुलन में आई अस्थिरता और असंतुलन को सही तरीके से दूर कर सके और ऐसे तरीके न अपनाये जिससे वह राष्ट्र अथवा अंतराष्ट्रीय समृद्धता को हानि पहुंच सके ।

इस व्यवस्था ने कुछ समय तक संकटपूर्ण अवधि में अच्छा काम किया परन्तु हाल ही में कुछ समस्याएं उठ खड़ी हुई क्योंकि विश्व की आरक्षित निधि विश्व व्यापार के अनुकूल नहीं बढ़ी, वर्ष 1950 से विश्व व्यापार 7.6 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ा है जबकि आरक्षित निधि 2.5 प्रतिशत से भी कम दर पर बढ़ी है । विश्व के कुल आयात का कुल आरक्षित निधि का अनुपात 1958 में 57 प्रतिशत से 1968 में 34 प्रतिशत तक कम हुआ है । व्यापार पर नियंत्रण के खतरे ने तथा प्रमुख औद्योगिक देशों के गलत आन्तरित नीति के कारण इसके विकल्प

के बारे में सोचा गया ताकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास को कायम रखा जाये, समय-समय पर विभिन्न सुझाव दिये गये ; अन्त में यह सोचा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के अधीन ही कोई व्यवस्था की जाये, इसलिए एक अनुपूरक आरक्षित निधि का निर्माण किया गया जो धन निकालने सम्बन्धी विशेष अधिकार योजना कहलाई गई।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के बोर्ड आफ गवर्नर की वार्षिक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि धन निकालने संबंधी विशेष अधिकार को 3 अरब 50 लाख डालर प्रति वार्षिक कर दिया जाये जो जनवरी 1, 1970 से आरम्भ होगा और इसके आगे आने वाले दो वर्षों में तीन अरब डालर का आवंटन किया जाये यह आवंटन सभी सदस्यों को समान आधार पर होगा।

धन निकाने सम्बन्धी अधिकार एक नया तरीका है जोकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सदस्यों ने स्वेच्छा से बनाया है। धन निकालने संबंधी अधिकार के प्रत्येक इकाई के लिए निर्धारित मूल्य का सोना रखा हुआ है जो कि 1 डालर से वर्तमान सोने के मूल्य के बराबर है इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुद्राओं के सम मूल्य में परिवर्तन के कारण इस मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा। इस कार्य में सदस्यों का सहयोग है और वे इसको परिवर्तनीय मुद्रा के बदले स्वीकार कर सकते हैं।

जिन देशों को धन निकालने संबंघी विशेष अधिकार योजना के अन्तर्गत धन मिलेगा वे बिना शर्त इसका प्रयोग भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में वे इसको परिवर्तनीय मुद्रा में बदल सकते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। यह प्रक्रिया इस प्रकार है कि जब भी भागीदार सदस्य परिवर्तनीय मुद्रा में अपने धन को परिवर्तित करना चाहता है तो नियम के अनुसार सुदृढ़ भुगतान संतुलन वाला भागीदार को परिवर्तनीय मुद्रा देनी होगी।

हमारे विचार में धन निकालने संबंधी विशेष अधिकार आरक्षित धन के लिए अनुपूरक का काम देगा और हमारी भुगतान संतुलन में आई कठिनाईयों को दूर करने में सहायता देगा। हमें वर्ष 1971 ओर 1972 के लिए लगभग डालर 105 मिलियन मिलेगा।

माननीय सदस्य यह देखेंगे कि धन निकालने संबंधी विशेष अधिकार जो कि पेपर गोल्ड के नाम से पुकारा जाता है, एक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण प्रतीक है जिसका प्रयोग मुद्रा तथा विनिमय की व्यवस्था में स्थामित्व लाना है। स्वभावत: हम चाहते हैं कि अम्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थायित्व आए अतएव हमने इस योजना में भाग लिया।

अब मैं विधेयक के बारे में कहूँगा। इसके द्वारा भारत के रिजर्व बैंक को भारत सरकार की ओर से धन निकालने संबंघी विशेष अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। माननीय सदस्य जानते ही हैं कि भारत का रिजर्व बैंक हमारी एजेंसी है जो कि विदेशी मुद्रा और अन्य लेन-देन का कार्य करती है। चूंकि धन निकालने सम्बन्धी विशेष अधिकार का कार्य बाहरी आरक्षित धन का कार्य करना है अतएव यह विचार किया गया कि यह कार्य रिजर्व बैंक को सौंपा जाये। ऐसा संशोधन विधेयक के खंड 3 द्वारा दिया गया है।

संशोधन विधेयक का खंड 2 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अधिनियम 194 को पूर्ण रूप देने का है उदाहरण के लिए 2(क) में कहा गया है कि सभी भुगतान विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, 2(ख) और (ग) में वे संशोधन दिये गए हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष चार्टर से सम्बन्धित हैं। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय मुदा अधिनियम चार्टर में इसलिए किए गए हैं ताकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष धन निकालने की विशेष अधिकार योजना को भली-भांति चला सकें।

माननीय सदस्य जानते हैं कि 145 का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अधिनियम में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकालले गए धन के प्रभार का भुगतान के बारे में दिया हुआ है। इस वर्तमान संशोधन का यह परिणाम होगा कि प्रभार भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आ जायेंगे।

मुझे आशा है कि यह विधेयक, जिसके द्वारा भारत के रिजर्व बैंक को धन निकालने के विशेष अधिकार का कार्य सौंपा गया है, विवादास्पद नहीं होगा। मैं सभा में इस पर विचार करने के लिए सिफारिश करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नन्द केमार सोमानी (नागौर) : इतने महत्त्वपूर्ण विषय पर हमारी प्रधान मन्त्री जी, जिन्होंने वित्त मंत्री का पद भार भी संभाला हुआ है, गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही हैं। वे न केवल महत्वपूर्ण प्रश्र समितियों की बैठकों में अपितु ऐसे बैठक में भी, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अधिनियम का विषय है, वे अनुपस्थित रहती हैं मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अधिनियम ने अपनी रजत जंयती 1 जुलाई 1969 को मनाई है। यदि हम उसके कार्य पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि यह कुछ सीमा तक सन्तोषजनक रही है। भविष्य में भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक गर्वनर स्तर पर होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अभाव में विश्व में मुद्रा सम्बन्धी उलझनें पैदा हो जाएंगी। इसके अस्तित्व में आने से पूर्व कई देश अवमूल्यन कर देते थे और कई देश नहीं करते थे, परन्तु अब वे सब वित्तीय सम्बन्धी मामलों में अनुशासनबद्ध हो गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अच्छा कार्य करने के बावजूद भी कुछ कमियां रह गई हैं नवीनतम दो उदाहरण इसको बताते हैं। फ्रांस को कहा गया था कि वह लम्बे समय के लिए अवमूल्यन न करें परन्तु उसने ऐसा न किया। उसी तरह पश्चिमी जर्मनी को भी अपने मार्क का अवमूल्यन करने को कहा गया परन्तु ऐसा नहीं किया। अतएव भारत और अन्य विकासशील देशों से यह अपेक्षा की गई है कि एक दूसरे को जानने समझने के लिए मिलें और अनुशासनबद्ध होकर कार्य करें ताकि इसकी उपेक्षा करने वाले देशों पर न केवल सामाजिक अपितु भौतिक प्रभाव भी डाला जा सके।

मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है तथा गवर्नर की सलाह लिये बिना ही जिस प्रकार उप-गवर्नर की नियुक्ति की गई है इस से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के रिजर्व बैंक को, जिसे एक स्वायत्र संस्था समझा जाता है कितना आदर दिया जाता है। यदि हमें बैंकिंग प्रणाली का विकास करना है तथा अपनी स्थिति को सुधारना है तो हमें रिजर्व बैंक को वही दर्जा देना चाहिए, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व उसे प्राप्त था।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक मुख्य कार्य विकासशील देशों की तथा उन देशों की जो विश्व बाजार में अपने आप को कमजोर पाते हैं और जो द्विपक्षीय समझौते करने में समर्थ नहीं है तथा जिन्हें खरींदार देशों द्वारा कम दामों पर अपनी वस्तुएं बेचने को बाध्य किया जाता है, उन विकासशील एवं आर्थिक दृष्टि से संकट ग्रस्त देशों की वस्तुओं के लिये समर्थित मूल्य की व्यवस्था करना है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से यह आशा की जाती है कि वह व्यापारिक लेन-देन में विकासशील देशों के हितों की रक्षा करेगा, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है।

हमें व्यापार समझौते करते समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता लेनी चाहिये और उस के तकनीकी ज्ञान से लाभ उठाना चाहिए। जब हम रूस से अथवा किसी अन्य पूर्वी यूरोपीय देश से कोई सामग्री अथवा वस्तु अथवा उपकरण खरीदते हैं और उन्हें उस मूल्य पर खरीदते हैं, जिस पर खरीदने को हमें बाध्य किया जाता है, तो यह पूर्णतया हमारे हितों के विपरीत है और अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुच्छेदों के भी विरुद्ध है। अतः ऐसे समझौते करते समय हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता लेनी चाहिये ताकि हमारी बाजार की कमजोर स्थिति का लाभ उठा कर दूसरे देश हमारे ऊपर अपनी शर्तें न थोंपे और हमें उन्हें स्वीकार करने को बाध्य न होना पड़े। यद्यपि इस दशा में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कुछ प्रयास किये गये हैं तथापि हमें कुछ और हिम्मत से काम लेना चाहिए ताकि हम अपनी कठिनाईयों पर काबू पा सकें।

माननीय मन्त्री ने अभी इस बात का उल्लेख किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों की हाल में धन निकालने के विशेष अधिकार (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) दिये हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है। इस नई सुविधा से अन्तर्राष्ट्रीय रक्षित धन राशि का एक उचित स्तर स्थापित हो जायेगा तथा पहली बार ऐसा जब कि सोने के सुरक्षित भंडार तथा विदेशी मुद्रा के सुरक्षित कोष पर से पूर्ण निर्भरता समाप्त होगी। परन्तु भारत को यहां भी याद करना चाहिये कि इस समझौते पर केवल 61 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं और इसे लागू कराने के लिये कम से कम 67 सदस्यों के हस्ताक्षरों की जरूरत है। अतः हमें इस समझौते के पक्ष में सक्रिय रूप से प्रचार करना चाहिए ताकि और अधिक विलम्ब के बिना इसे संवैधानिक तौर पर अंगीकार किया जा सके।

पूर्वी यूरोप के देशों जैसा कि रुमानिया तथा हंगरी आदि देशों में अब एक नई स्थिति पैदा हो रही है। ये देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रणाली में शामिल होना चाहते हैं। यह पहला अवसर है जब कि भारत इन देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्ण सदस्य बनने में इनकी सहायता कर सकता है। हमें ऐसा करना चाहिये ताकि ये भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के सदस्य बन सकें।

जहां तक धन निकालने के विशेष अधिकारों (एस० आर० डी०) का सम्बन्ध है, मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। आपको इस बात की पूर्ण जानकारी है कि हमारे विभिन्न राज्यों में विशेषतया राजस्थान में वित्तीय मामलों में कितनी अनुशासनहीनता है। वे रिजर्व बैंक से नियत राशि से अधिक धन निकालते हैं। अतः मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें इस सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिये कि कहीं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घाटे की अर्थ-व्यवस्था के लिये धन निकालने के विशेष अधिकारों का दुरुपयोग न किया जाये। हमें धन निकालने के विशेष अधिकार के अधीन धन

निकालने के लिये एक सीमा निर्धारित करनी चाहिये तथा ऐसा करते समय न केवल रिजर्व बैंक बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी सलाह लेनी चाहिए ।

मैं पुनः इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक मण्डलों के सम्मेलन में हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर को वही आदर दिया जाये जो कि अन्य देशों के प्रधानों अथवा वित्त मन्त्रियों को दिया जाता है तो हमें अपने रिजर्व बैंक को और उसके गवर्नर को उच्चतम दर्जा देना चाहिये, अन्यथा यदि हम स्वयं अपने संस्थान का आदर नहीं करते हैं तो दूसरे लोग हम पर हंसेगे । अतः मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के वित्तीय, मुद्रा सम्बन्धी तथा आर्थिक दीर्घकालीन और अल्पकालीन हितों में यह आवश्यक है कि हम अपने रिजर्व बैंक को पुनः वही दर्जा दें, जो उसे पहले प्राप्त था ।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस विधेयक से सदस्य देशों को प्राप्त होने वाली अर्थ सुलभता में अवश्य वृद्धि होगी, परन्तु इस विधेयक में कहीं भी इस बात का उपबन्ध नहीं किया गया है कि विकासित देश अर्द्ध विकसित तथा विकासशील देशों की कीमतें स्थिर करने में, विशेषतया कृषि उत्पादों की कीमतें स्थिर करने में जिनका कि वे उत्पादन करते हैं सहायता दे सकें । यह सुविधा प्राप्त न होने के कारण भारत को भारी हानि हो रही है । जब तक विकासशील देशों को उन के यहां बनाई जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों से सम्बन्धित सहायता नहीं दी जाती है, जिन्हें उन्हें अलाभकर मूल्यों पर बेचने को बाध्य होना पड़ता है तब तक उन्हें वह लाभ नहीं मिल सकता है जो मिलना चाहिये । अतः इस पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिये ताकि हमारे देश को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लाभ प्राप्त हो सके । हमें इस बात पर पूरी तरह से विचार करना चाहिये अन्यथा केवल अर्थ सुलभता से कोई लाभ नहीं होगा । जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री सोमानी ने कहा है हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि इस सुविधा का दुरुपयोग न हो । हमारी वस्तुओं की कीमत सम्बन्धी सहायता मिलनी चाहिये जिससे भारत को यहाँ बनने वाली वस्तुओं से लाभ हो और कीमत संबंधी सहायता मिले ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : महोदय सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब प्रधान मन्त्री ने वित्त मन्त्रालय का कार्य भार स्वयं संभाला था तो यह समझा गया था कि यह प्रबन्ध थोड़े समय के लिये ही किया था तथा स्वयं प्रधान मन्त्री ने भी इस बात का संकेत दिया था कि वित्त मन्त्रालय को अन्ततः किसी अन्य मन्त्री को सौंपा जायेगा । चूंकि प्रधान मन्त्री राजनीति, दल संबंधी मामलों तथा अन्य मामलों में व्यस्त रहती हैं, इस लिये उन के लिये यह संभव नहीं है कि वह इस विभाग के कार्य के लिये पर्याप्त समय दे सकें । वित्त एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि इस के लिये एक पूर्णकालीन मन्त्रीमण्डलीय स्तर का मन्त्री अवश्य होना चाहिये ।

इस विधेयक से सम्बन्धित व्यापक समस्याओं का उल्लेख करने से पूर्व में एक विशिष्ट खंड का उल्लेख करना चाहता हूँ । विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि धन निकालने के विशेष अधिकारों से संबंधित प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिये धन निकालने के विशेष अधिकारों के कुल उपभोग के आधार पर भाग लेने वाले सदस्यों को शुल्क देना होगा, जो कि पेपर गोल्ड तथा कोष से धन निकालने के विशेष अधिकारों के उपयोग का 1.5 प्रतिशत होगी । सर्व प्रथम

तो 1.5 प्रतिशत बहुत अधिक है। दूसरे चूंकि कहा गया शुल्क, धन निकालने के विशेष अधिकारों के इस्तेमाल के आधार पर होगा, इसका अर्थ यह होगा कि विकासशील देश कोष से धन निकालने के विशेष अधिकारों का सब से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जब कि धनी देश इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस का अर्थ यह होगा कि इस से विकासशील देशों पर अनुचित बोझ पड़ेगा, जब कि धनी इन प्रशासनिक शुल्कों से लगभग बिल्कुल बच जायेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वह यह बतायें कि अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में हमारे अधिकारियों द्वारा यह मामला क्यों नहीं उठाया गया।

इस के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में हमारा इतना सम्मान नहीं है जितना कि होना चाहिये। जिन दस सदस्यों ने इस धन निकालने के विशेष अधिकारों की योजना बनाई है, उन्होंने विकासशील देशों की लगभग पूर्ण उपेक्षा की है और इस योजना को इस प्रकार बनाया गया है जिससे उन का अपना लाभ अधिक हो।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन निकालने के विशेष अधिकारों का कोटा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मूल कोटे पर आधारित है। इस का परिणाम यह हुआ कि धनी देश, जिन को धन निकालने के लिये विशेष अधिकारों की जरूरत नहीं है क्योंकि उन में से अधिकांश को भुगतान संतुलन की समस्यायें नहीं हैं और उन के पास अधिशेष धन राशि है, उन की धन निकालने के विशेष अधिकारों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक राशि अथवा पेपर गोल्ड कोटा का होगा, जब कि विकासशील देशों को जिन्हें धन निकालने के अधिकारों की अधिक आवश्यकता है का कोटा केवल 25 प्रतिशत ही मिलेगा, हालांकि उन की सदस्यता कुल सदस्यों के 80 प्रतिशत है और 75 प्रतिशत कोटा अमरीका, जापान, पश्चिम जर्मनी एवं फ्रांस जैसे धनी देशों को चला जायेगा। इस योजना को बनाते समय भुगतान संतुलन की स्थिति का विचार नहीं किया गया है। भुगतान संतुलन की स्थिति पर इस कोटे का नियतन करते समय विचार किया जाना चाहिये था।

अब इस योजना के संदर्भ में जैसी भी है, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि धनी देशों को चाहिये कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को अपने धन निकालने के विशेष अधिकारों को उधार दें, जिस से संघ इन कोटे की राशियों को विकासशील देशों को ऋण के रूप में देने में इस्तेमाल कर सकें। इससे विकासशील देशों को उन के विकास कार्य में सहायता मिलेगी। चूंकि विकासशील देश धन निकालने के विशेष अधिकारों का अधिकांश उपयोग धनी देशों से माल आयात करने के लिये करेंगे, धन राशियां फिर धनी देशों को वापस हो जायेंगी और उन्हें उनकी आरक्षित निधियां वापस मिल जायेंगी तथा इस बीच विकासशील देशों की सहायता हो जायेगी और उन्हें धन उपलब्ध हो जायेगा।

फिर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन निकालने के विशेष अधिकारों के कोटा का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मूल कोटे पर आधारित होने के कारण भारत की एक और बहुत बड़ी हार होगी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी मण्डल में हमारा एक स्थायी स्थान होने से हमारी स्थिति विशेष अधिकार युक्त है इस स्थान पर पहले हमारे तत्कालीन उप-प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई काफी समय से रहे हैं और अब रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री झा इस स्थान पर हैं। परन्तु अब

हम अपने इस विशेष अधिकार युक्त स्थान को खो देंगे और हमारी बजाय यह स्थान कनाडा अथवा जापान को प्राप्त हो जायेगा। यह एक प्रकार की हमारी आर्थिक हार होगी और हमारा अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा कम हो जायेगा।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह विचार करना चाहिये कि साधारण कोटा अथवा धन निकालने के विशेष अधिकारों के जरिय हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो कुछ भी सहायता मिलती है, वह हमारी अस्थायी कठिनायों में सहायता की अल्पकालीन व्यवस्था है। हमें अपनी मुद्रा संबंधी तथा वित्तीय नीतियों को इस प्रकार से बनाना चाहिये कि ऐसी स्थिति पैदा न हो जबकि हमें बार-बार कोटे की राशि में से राशि निकालनी पड़े क्योंकि जितनी राशि भी हम निकालते हैं, वह हमें वापस देनी होगी। यह कोई सहायता अथवा उपहार नहीं है। मेरा सब से बड़ा आरोप यह है कि सरकार अपनी वित्तीय तथा मुद्रा सम्बन्धित उचित नीति बनाने में असफल रही है। हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिये जिससे कि हमें फिर से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़े। मैं इस सभा में एक चेतावनी देना चाहता हूँ। मूल्यों का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। यदि हम ने इसी प्रकार की मुद्रा संबंधी तथा वित्तीय नीतियां जारी रखी, जिन का कि हम पहले पालन करते रहे हैं तो इस का परिणाम यह होगा कि एक अथवा दो वर्ष के बाद हमारे यहां ऐसी मुद्रास्फीति होगी जिस पर हम काबू नहीं पा सकेगें। हम थोक कीमतों के सूचकांक में पहले ही 225 से भी ऊपर पहुँच चुके हैं। अत: मैं सभा को सचेत करना चाहता हूँ कि हमें अपनी वित्तीय तथा मुद्रा सम्बन्धी नीतियों को इस प्रकार का बनाना होगा जिससे मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न न होने पाये अन्यथा इस का अर्थ मुद्रा का फिर से अवमूल्यन करना होगा।

मैं विशिष्ट रूप से यह बात कहना चाहता हूँ कि यदि हम ने बढ़ते हुए मूल्यों को रोकना है तो ऐसा करने का मूल उपाय यह है कि उत्पादन बढ़ाया जाय। मैं आपका ध्यान दत्त लाइसेंसिंग समिति की सिफारिसों की ओर दिलाना चाहता हूँ। दत्त समिति का रवैया नकारात्मक रहा है। दुर्भाग्य से इस समिति ने ऐसा प्रतिवेदन दिया है जो हमें न केवल विपरीत रास्ते पर ले जायेगा, परन्तु यदि इसे क्रियान्वित किया गया तो इस से औद्योगिक ढांचे को अत्याधिक हानि होगी और विकास की गति कम हो जायेगी, उत्पदान में वृद्धि रुक जायेगी तथा मुद्रास्फीती का दबाव पैदा हो जायेगा। व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री श्री बी० आर० भगत को भी औद्योगिक विकास मन्त्रालय का विरोध करना पड़ा है और उन्होंने कहा है कि कृपया दत्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित न कीजिये अन्यथा हमारे निर्यात में वृद्धि नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा है कि कम से कम निर्यात आधारित उद्योगों को विस्तार की अनुमति दी जानी चाहिये। उन्होंने केवल निर्यात-आधारित उद्योगों के बारे में कहा है परन्तु यदि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं की जाती है, तो इस के क्या परिणाम होंगे ? इस से उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव पैदा हो जायेगा और हमें मुद्रा स्फीति का सामना करना पड़ेगा। इस से जन-साधारण पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं कहना चाहता हूं कि दत्त समिति की सिफारिशें नाकारात्मक हैं। अत: इन पर पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिये और यह ध्यान रखना चाहिये कि इन से उत्पादन तथा पूंजी में गतिरोध पैदा न हो।

यद्यपि सरकार की नीति से नीतियों से सम्बन्धित कई अन्य बातें हैं। परन्तु उन सब का उल्लेख करने का मेरे पास समय नहीं है मैं अधिक उत्पादन शुल्क की बात कहना चाहता हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि उत्पादन शुल्क वस्तु की कीमत का भाग बन जाता है और अधिक उत्पादन शुल्क एवं अधिक सरकारी खर्च से मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो गई तो हमें पुनः मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ेगा और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे तथा धन निकालने के विशेष अधिकार भी हमें इस से नहीं बचा सकेगें। अतः मुद्रा का स्थायीकरण करने के लिये सरकार द्वारा उचित वित्तीय तथा मुद्रा सम्बन्धी नीतियां बनाई जानी चाहिये।

*श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सभापति महोदय ! मैं आपका इस बात का आभारी हूँ कि हमें अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर मिला है 'द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम' के सदस्य बहुत दिनों से इस बात की मांग कर रहे थे। संविधान के अनुच्छेद 120 के अन्तर्गत केवल हिन्दी या अंग्रेजी में ही सभा में बोलने की व्यवस्था थी। हमारे दल के सदस्यों ने स्वर्गीय नेहरू से भी इस मामले में बातचीत की तथा उनसे अनुरोध किया कि संविधान में संशोधन होना चाहिए तथा अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को भी समान दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। कुछ दिन पश्चात अंग्रेजी से हिन्दी में तथा हिन्दी से अंग्रेजी में तत्काल अनुवाद करने की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था से पहले की स्थिति यह थी कि जो माननीय सदस्य हिन्दी नहीं जानते थे वह हिन्दी में दिये जा रहे भाषणों का एक शब्द भी नहीं समझ पाते थे ; यही दशा उनकी थी जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। किन्तु दयनीय दशा उनकी थी जो न हिन्दी समझते थे और न अंग्रेजी।

मैंने एक विधेयक भी इस सभा में प्रस्तुत किया था जिसका आशय था कि सभी राष्ट्रीय भाषाओं को समान दर्जा दिया जाय तथा संविधान के अनुच्छेद 120 में संशोधन किया जाय। उस समय विभिन्न दलों के सदस्यों ने विधेयक का पूरा समर्थन किया था। उसके पश्चात श्री मोरारजी देसाई ने विधेयक के विरोध में थोड़ी सी बातें की तथा विधेयक अस्वीकृत हो गया। बाद में तत्कालीन अध्यक्ष महोदय श्री संजीवा रेड्डी ने घोषणा की कि 4 दक्षिण भारतीय भाषाओं का तत्काल अनुवाद करने की व्यवस्था की जायगी। यद्यपि इस संसद के इतिहास में यह दिन स्वर्णिम दिन है तथापि हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। जब तक संविधान के अनुच्छेद 120 में संशोधन नहीं किया जाता तथा सभी राष्ट्रीय भाषाओं को समान दर्जा प्रदान नहीं किया जाता हम अपनी मांग के लिए लड़ते रहेंगे।

जब हमें अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर मिला है तो मैं इस विधेयक पर अपनी मातृभाषा में ही चर्चा करूंगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अपनी स्वर्ण जयन्ती मनाई है। यह अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था विश्व के बहुत से देशों की मुद्रा पद्धति को चला रही है। जब विभिन्न देशों की मुद्रा स्थिति कठिनाई में थी तो इस संस्था को सहायता के लिए बनाया गया था। मेरी व्यक्तिगत भावना है कि इस संगठन को बनाते समय कुछ मौलिक भूल हुई है।

*मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

Translated from English translation of the speech delivered in Tamil.

इस संगठन के सदस्य देशों की मुद्रा पद्धति स्वर्ण पर आधारित थी किन्तु इस संगठन के पश्चात यह पद्धति छोड़ देनी चाहिए थी किन्तु उन्होंने 'डालर' तथा स्वर्ण में सामन्जस्य स्थापित कर दिया। उन देशों ने अपनी मुद्रा को डालर के साथ सम्बन्धित कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि स्वर्ण के रक्षित भण्डार में कमी होने के कारण डालर के मूल्य में वृद्धि होने लगी तथा उसमें वृद्धि होने पर डालर के मूल्य में कमी होने लगी। इससे देशों की आर्थिक स्थित में बाधा पड़ने लगी। अतः मेरे विचार से इस प्रकार के दो आधार नहीं होने चाहिएं।

इस विधेयक में प्रतिशापित की गई नई पद्धति के अनुसार जब किसी देश में कोई अव्यवस्था होती है अथवा विदेशी मुद्रा के आरक्षित भण्डार में कमी आती है तो उसे वित्तीय सहायता दी जायेगी। यद्यपि यह सहायता अल्प कालीन होगी फिर भी इससे सम्बद्ध देश की अर्थ-व्यवस्था को कठिनाई से बचाया जा सकता है।

एक कमी यह भी है कि स्वर्ण के स्थान पर पेपर-गोल्ड की महत्ता बढ़ती जा रही है। मुद्रा निकालने के विशेष अधिकार योजना के अन्तर्गत अमरीका तथा यूरोपीय राष्ट्रों को अधिक मुद्रा प्राप्त करने का अधिकार है तथा उनको अधिक कोटा दिया गया है तथा भारत और अफ्रींका-एशियाई देशों जैसे विकासशील देशों के लिए कम कोटा दिया गया है जहां तक भारत का सम्बन्ध है सम्पूर्ण नियतन में भारत का अंश केवल $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत है तथा मेरा सुझाव है कि हमें अपने लिए नियत कोटे में वृद्धि कराने का यत्न करना चाहिए।

बहुत से देशों की सरकार विश्व बैंक से ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से गैर सरकारी क्षेत्र भी वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। इस सम्बन्ध में भी एक विषमता है। लैटिन-अमरीकी देशों ने कुल सहायता 43% वित्तीय सहायता प्राप्त की है जबकि एशियाई तथा मध्य पूर्वी देशों को केवल 33% सहायता मिली है। यदि जन संख्या तथा उनकी सघनता और पिछड़ेपन की दृष्टि से देखा जाय तो इन देशों को अधिक सहायता मिलनी चाहिए। सरकार को इस बात पर अधिक बल देना चाहिए। जिस प्रकार हमारे देश में अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी विकसित राष्ट्रों को अधिक विकसित होने के अवसर दिये जा रहे हैं तथा पिछड़े और विकासशील देशों की उपेक्षा की जा रही है। इन देशों की उपेक्षा की जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! विश्व बैंक हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो ये सभी संस्था अमरीका की ही उत्पत्ति हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के उपाध्यक्ष भारत में आये तथा उन्होंने यद्यपि कोई सहायता का तो आश्वासन नहीं दिया किन्तु एक सही सुझाव अवश्य दिया। उनका सुझाव था कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके मत से इससे मुद्रास्फीति हो जाती है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक में भाग क्यों नहीं लिया तथा उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर को यह शक्तियां क्यों दी। मेरे विचार से वित्त मंत्री को वहां जाना चाहिए था वास्तव में अमरीका सरकार अविकसित या पिछड़े राष्ट्रों को कोई सहायता नहीं देना चाहती

वरन वह डालर की कीमत में वृद्धि करना चाहती है। अन्य देशों की मुद्रा की उपेक्षा करके डालर को महत्व दिया जा रहा है। फ्रांस तथा पश्चिम जर्मनी जैसे विकासशील देशों ने डालर का अवमूल्यन करने की मांग की थी किन्तु उसका अवमूल्यन कभी नहीं हुआ। यदि वास्तव में देखा जाय तो डालर का महत्व समाप्त हो गया है तथा इसका अवमूल्यन होना ही चाहिए। किन्तु हमें अमरीका जैसे देशों से सहायता लेनी पड़ती है जो कि बहुत से यूरोपीय देशों की अर्थ व्यवस्था का नियंत्रण करता है अतः वे देश हमें सुझाव देते हैं कि हम उनकी सलाह के अनुसार अपनी वित्त व्यवस्था चलायें।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं कि श्री मोरारजी देसाई ने, जो उस समय वित्त मंत्री थे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की बैठक में भाग लिया था। तथा एस० आर० डी० करार को उन्होंने स्वीकार किया था। श्री सेझियान ने इस बात की ठीक ही आलोचना की है। अपने देश के हितों की रक्षा किये बिना इस करार को स्वीकार क्यों किया तथा अपने देश की उपेक्षा करके यूरोपीय देशों को मुद्रा सम्बन्धी शक्तियां क्यों दी गई ?

मैं प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री का आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया है कि हम ऐसे देशों पर आर्थिक संसाधनों के लिये आश्रित हैं। उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तथा इससे देश को 2400 करोड़ रुपये प्राप्त हुये। इसके लिसे भी मैं उनका आभारी हूँ। मेरी यह भी इच्छा है कि अन्य बैंकों को भी राष्ट्रीयकृत किया जाय हम किसी भी देश का अन्तर्राष्ट्रीय संस्था पर आश्रित नहीं रहना चाहते क्यों कि अमरीका जैसे देश बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के किसी की सहायता नहीं करते।

मैं श्री सोमानी से भी सहमत हूँ तथा रिजर्व बैंक की कार्यपद्धति में सुधार करने के पक्ष में हूं। रिजर्व बैंक की कार्य पद्धति की विभिन्न दृष्टिकोणों से जाँच करने के लिये एक समिति स्थापित की जानी चाहिये। रिजर्व बैंक के गर्वनर के विषय में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उन्हें अपने पद से हटा देना चाहिये क्यों कि सुना जाता है वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में नहीं थे। ऐसी स्थिति में उन्हें गर्वनर कैसे रखा जा सकता है ?

मैं माननीय मंत्री से दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारी ओर से धन निकालने के विशेष अधिकारों के करार या जिसने बिना किसी विरोध के सहमति दी ? क्या धन निकालने के के विशेष अधिकारों की योजना से हमारे देश को सहायता मिलेगी या नहीं ? इन बैंकों में कोई भी भाग ले किन्तु उसे बिना देश का हित देखे किसी भी निर्णय को स्वीकार नहीं करना चाहिये .

मैं इस विधेयक का विरोध तो नहीं करना चाहता किन्तु इसका राजनितिक दृष्टि से आगे आर्थिक दृष्टि से व्यापक विश्लेषण होनी चाहिये जिससे बातें स्पष्ट हो जांय तथा सही प्रतिनिधित्व हो सके।

Shri Shiva Chandra Jha : I had opposed this Bill when it was moved in this House. Today, when it has come for passage, I oppose it again.

Special Drawing Right scheme, initiated by International monetary fund to alleviate the shortage of foreign exchange, could be useful only a little. But India, although one of the founder members of the fund, has remained somewhat timid throughout. She acquired membership in 1945 when the fund was instituted. During the pre-independence period one could understand the feebleness of her voice but even after Independence she

has not been able to stress her view point. I have been told that this Special Drawing Right Scheme consists of 9·5 billion dollars but India being a developing country can use only 2.66 billion dollars. This comes to about one fourth of the whole sum. Rest seventy five percent of the amount will be used by the developed countries like Britain, America and France. Keeping this thing in view, the Governor of Reserve Bank has commented that some structural changes are ought to be there in order to make the scheme meaningful. But India has not taken any step to bring about such changes.

Secondly, developing countries are asked to contribute one per cent of their national product towards this fund. This is injustice. All the expenditure should be met by the developed countries. Imperialistic policies of the developed countries are responsible for keeping us undeveloped. The real cause of crisis in foreign exchange position is the decline in our exports. Even in traditional goods, we are being pushed into the background by other countries. Instead of adopting a sound policy for increasing the exports, our Government, on the other hand continues to depend on imperialistic countries. This Bill, therefore, will not serve any useful purpose unless some structural changes are incorporated.

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : सरकार प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा निधि से करोड़ों रुपया ले रही है। मेरे से बोलने वाले किसी वक्ता ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि इस धन का प्रयोग किस प्रकार हुआ। किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यही है।

इस धन का अपव्यय हुआ है। करोड़ों रुपयों का विदेशी धन प्राप्त होने पर आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में केवल भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। तीन पांच वर्षीय योजनाओं के पश्चात भी बेकारी बढ़ी है तथा राष्ट्रीय उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि होने के स्थान पर लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई है। अमीर व्यक्ति और अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता समाप्त हो चुकी है। यह लज्जा की बात है कि विश्व बैंक के सभापति के संकेत पर रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया है हमें करोड़ों रुपये की हानि हुई। शासक दल का विभाजन इसी अवमूल्यन का परिणाम है, जनता के असंतोष में तो वृद्धि हुई ही है।

हमें विदेशी सहायता के प्रति और ऋण देने वाले अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। देश के राजस्व का एक बड़ा भाग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को, लिये गये धन पर, व्याज के रूप में देना पड़ रहा है।

मैं विदेशी सहायता के विरुद्ध नहीं हूँ किन्तु आत्म निर्भरता के अभाव में कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता। सहायता की मात्रा यद्यपि कम हो लेकिन उसका उचित प्रयोग होना चाहिए जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ धन का उचित वितरण भी सम्भव हो सके।

हमें अपने लोगों पर अधिक भरोसा करना चाहिये। 50 करोड़ व्यक्ति 5, 10 वर्ष में देश को महान बना सकते हैं। ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर दिया जाय और लोगों को उचित पारिश्रमिक प्राप्त हो। इससे उन्हें कठोर श्रम करने के प्रति उत्साहित किया जा सकता है और उत्पादन बढ़ जायेगा।

कार्य मंत्रणा समिति चालीसवाँ प्रतिवेदन

Business Advisory Committee Fortieth Report

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : श्रीमान मैं कार्य-मंत्रणा समिति के चालीसवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूँ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार, 20 नवम्बर, 1969 के ग्यारह बजे म०पू० के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 20th November, 1969.

Printed at Akashdeep Printers 20, Daryaganj, Delhi-6.